Scanned by CamScanner

सुन्नते मुतह्हरा
और
आदाबे मुबाशरत

लेखक
मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रह.

प्रकाशक
अल किताब इन्टर नेशनल
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर, नई दिल्ली-25

Scanned by CamScanner

©सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

पुस्तक का नामः सुन्नते मुतह्हरा और आदाबे मुबाशरत

लेखक : नासिरुद्दीन अलबानी रह०

अनुवादक : मुहम्मद अखतर सिद्दक़ी

संख्या : ग्यारह सौ

प्रकाशन वर्ष : 2016

मूल्य :

प्रकाशक : अल-किताब इन्टर नेशनल
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

मिलने का पता : **S. N. PUBLISHERS**
P. O. BOX NO. 9728
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-110025

Scanned by CamScanner

विषय-सूची

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

अनुवादक की ओर से

मैं यक़ीनन इसे अपनी खुशबख़्ती समझता हूँ कि नासिर अलबानी की किताब का हिन्दी अनुवाद करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लामा ने अन्य मुहद्दिसीन की तरह हदीसे रसूल सल्ल0 को ओढ़ना-बिछौना बनाया। जब से इन्होंने हक़ मसलक क़बूल किया तब से इनको एक ही फ़िक्र थी कि इनकी ज़िन्दगी का एक-एक लम्हा किताब व सुन्नत के प्रचार में कैसे खर्च हो? इसी शौक़ को देखते हुए जब इन्होंने तथाकथित मज़हबी जकड़ बन्दियों और तकलीदी जमूद का ताला तोड़कर तहक़ीक़ के वसीअ मैदान में क़दम रखा तो बड़े कम समय में वे आसमाने इल्म पर चौदवीं का चांद बनकर चमकने लगे। जिसकी किरनों से पूरा आलमे इस्लाम लाभ उठाने लगा। किताब व सुन्नत पर मेहनत की यह बरकत है कि अल्लाह तआला की ख़ास रहमत इनके साथ रही, यहां तक कि वे हर ग़ैर मुतास्सिब आलिम, फ़क़ीह मुहद्दिस और आम आदमी के दिल में घर करते गये और उलमा के ज़ाती मक्तबा और अन्य लाईब्रेरियाँ इनकी किताबों के बग़ैर अधूरी नज़र आने लगीं। अल्लाह तआला इनकी कोशिशों को क़बूल फ़रमाये और इन्हें जन्नत में आला मक़ाम नसीब फ़रमायें।

यह किताब जो इस समय आप के हाथों में है इन्होंने अपने एक दोस्त की शादी के मौक़े पर लिखी है इसमें इन्होंने समय की कमी के कारण केवल उन मसाईल पर क़लम उठाया है जो सुहागरात के

Scanned by CamScanner

पहले और बाद में आते हैं इसी तरह मुबाशरत के अदब का तज़किरा भी इस किताब का हिस्सा है, उनकी यह कोशिश इस बिना पर बहुत भली है कि इन्होंने एक ऐसे विषय पर क़लम उठाकर लोगों के लिए किताब व सुन्नत की रहनुमाई करने की कोशिश की है जिस पर असंख्य पुस्तिकाएँ, और मुजामिन बाज़ार में मौजूद हैं अगर आप शहर के फुटपाथों पर बिकने वाली किताबों का जायज़ा लें तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल न होगा कि कोक शास्त्र, गर्भ शास्त्र और इस तरह की बेशुमार किताबे हैं जिनमें ग़ैर अखलाक़ी बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हुए सिफ़ली जज़्बात को कुछ समय के लिए भड़काने की नाकाम कोशिश की गयी है। ऐसे मैटर को पढ़कर हमारे नौजवान तबाही की ऐसी दलदल में उतरते जा रहे हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। इन हालात में शैख़ मौसूफ प्रशंसा के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने इस नाज़ुक मौज़ू पर ऐसी पाकीज़ा और आला मालूमात पेश की हैं जिनकी बुनियाद अल्लाह तआला का पाक कलाम और नबी सल्ल0 की ज़बान से निकले हुए महबूब तरीन शब्द हैं यह किताब इस लिहाज़ से बड़ी ही मुफ़ीद है कि शादी करने वाला हर नौजवान इससे मुनासिब रहनुमाई ले सकता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे मसाइल के बारे में सवाल करते हुए आमतौर पर झिझक महसूस करते हैं।

जब मुझे भाई मुहम्मद सर्वर आसिम साहब मुदीर मक्तबा इस्लामिया ने इस किताब को हिन्दी में ढालने का हुक्म दिया तो मेरी खुशी की इन्तिहा न रही क्योंकि मैं खुद इसका तर्जुमा करने की इच्छा रखता था। मैंने जब इस मक़सद से इसका जाय़जा लिया तो मुझ पर यह हक़ीकत खुली कि यह किताब हर शादी करने वाले के लिए रोशनी का मीनार है और इसे हमारे हिन्दी जानने वाले भाईयों के हाथों में ज़रूर होना चाहिए। मैं सर्वर साहब का शुक्र अदा

Scanned by CamScanner

करना चाहता हूँ जिनकी वजह से यह किताब तर्जुमा व प्रकाशन के दौर से गुजरी है। इस हकीकत से इन्कार मुमकिन नहीं कि हमारे समाज और हमारे रहन-सहन में बहुत सा फर्क है इसलिए मैंने अनुवाद में कुछ बातों को सामने रखा है।

1. जहाँ पर मैंने जरूरत महसूस की अनुवाद की बजाए मफ़हूम का सहारा लिया।

2. फिट नोट में मौजूद लम्बी बहसों का खुलासा पेश करने की कोशिश की ताकि किताब के पन्ने कम रहें।

3. वे इल्मी बहसें जिनका ताल्लुक आम लोगों से नहीं है, मैंने उनका जिक्र न करना ही बेहतर समझा है।

4. औरतों के लिए गौलाई वाला जेवर शैख़ रहिम. ज़ायज नहीं समझते जबकि जमहूर उलमा इसको ज़ायज कहते हैं। इस मसले में शेख़ रहिम. ने तवील बहस की है जिसका ज़िक्र मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इसमें आपत्तियां और जवाब इल्मी अदाज़ से ज़िक्र किये गये हैं जिसका आम लोगों को शायद कोई खास फ़ायदा न हो।

5. शैख़ रहिम. ने हर हदीस के मुख्तलिफ़ हवाले नकल किये हैं मैंने केवल मशहूर व मारूफ किताबों का ज़िक्र मुनासिब समझा है ताकि अधिक पन्ने न हों।

6. कुछ स्थानों पर मैंने अपनी तरफ से मुश्किल अल्फ़ाज़ की व्याख्या की है ताकि हमारे हिन्दी जानने वाले भाई कोई मुश्किल महसूस न करें। इबारत का रूप क़ायम रखने के लिए कुछ स्थानों पर ब्रेकिट लगाकर कुछ शब्दों के मुश्किल अर्थ लिख दिये गये हैं।

7. हवाले शैख़ अलबानी रहिम. के नकल किए हुए हैं जो इसी तरह ही मुन्तकिल कर दिए हैं। मैं पाठकों की खिदमत में गुज़ारिश

Scanned by CamScanner

करूंगा कि इस किताब में मौजूद किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें और लेखक, अनुवादक और प्रकाशक के लिए सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह तआला हम सब के लिए आखिरत का साधन बनाये। आमीन।

- मुहम्मद अख़तर सिद्दीक़ी

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तक़दीम

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख़्शिश तलब करते हैं और हम अपने नफ़्सों और बुरे आमाल की बुराई से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसको अल्लाह तआला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको कोई गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के अलावा कोई माबूद बरहक़ नहीं वह अकेला है और उसका कोई साझी नहीं और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्ल0 उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ

"ऐ ईमान वालों अल्लाह तआला से डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है और तुम हरगिज़ फ़ौत न होना मगर यह कि तुम मुसलमान हो।"

सूरह—आले इमरान-102

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝﴾

Scanned by CamScanner

ऐ लोगों! अपने रब से डरते रहो जिसने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी जान में से उसके जोड़े को पैदा किया और उन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं और अल्लाह से डरते रहो जिसका वासता देते हो (सवाल करने के लिए) और नाता तोड़ने से (बचो) बेशक अल्लाह तआला तुम पर निगरां है।"

(सूरहनिसा-1)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝﴾ [۳۳/الاحزاب:۷۰،۷۱]

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डर जाओ और सीधी साफ़ बात करो अल्लाह तुम्हारे काम बना देगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो वह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर गया।" (सुरह अहज़ाब 70-71)

बेशक सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे प्यारी हिदायत रसूल सल्ल0 कि रहनुमाई है और सबसे बुरा काम (दीन) में नई चीज़ें पैदा करना हैं हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में दाखिल करने वाली है।

इसके बाद—

प्रिय पाठकों आपके हाथ में इस समय हमारी किताब पवित्र सुन्नत और आदाबे मुबाशरत का तीसरा प्रकाशन है। हम इसको लोगों की खिदमत से पेश करने का सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। इस किताब के पहले दोनों प्रकाशन बहुत पहले खत्म हो चुके हैं लेकिन इसकी मांग में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है। दुनिया के मुख़्तलिफ़ इस्लामी देशों ने इस

Scanned by CamScanner

किताब में दिलचस्पी का सबूत दिया है मैंने इस एडीशन में बहुत सी बातों और हदीस तखरीज का इज़ाफ़ा कर दिया है। जो पहले नुस्खों में नहीं है ऐसा केवल इसलिए किया गया है कि हर एडीशन में पाठकों के लिए कुछ नई काम की बातें और हों ताकि लोग पहले से बढ़कर नेक अमल कर सकें और मेरे रब के यहाँ मेरा सवाब अल्लाह तआला के इस क़ौल के मुताबिक़ और बढ़ सके और ज्यादा हो सके।

"और हम लिखेंगे जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा।"

(सूरह यासीन-12)

"और जैसा कि नबी करीम सल्ल0 ने फ़रमाया-जिस आदमी ने किसी को हिदायत की तरफ़ बुलाया तो उसके लिए अमल करने वाले की तरह ही सवाब है जबकि उनमें से किसी के सवाब में कमी नहीं होगी।" (सही मुस्लिम)

मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि इस किताब को अपने मोमिन बन्दों के लिए नफ़ा बख़्श बनाये और मेरे लिए इसको उस दिन के वास्ते जख़ीरा बनाये जो आमाल की जज़ा का दिन है और उस दिन माल और औलाद कोई फ़ायदा ना दे सकेंगे। मगर यह कि कोई अल्लाह के पास सही (ऐब से खाली) दिल लेकर आये।

Scanned by CamScanner

मुक़दमा

अल्लाह तआला की प्रशंसा और नबी सल्ल0 उनकी औलाद, उनके सहाबा, उनसे मौहब्बत करने वालों और उनकी हिदायत की पैरवी करने वालों पर दरूद और सलाम के साथ (शुरू कर रहा हूँ)

इस किताब की तालीफ़ और इसे लोगों की ख़िदमत में पेश करने का सबब हमारे दीनी भाई मोहतरम उस्ताद अब्दुल रहमान अल्बानी की इस इच्छा का एहतेराम है जिसका ज़िक्र उन्होंने अपनी शादी के मौके पर मेरे सामने किया। अल्लाह तआला उनको भलाई अता फ़रमाये कि उन्होंने इस मुबारक मौके पर इसकी तालीफ का मश्वरा दिया। उन्होंने अपने खर्च पर इस किताब को छपवाकर शादी की रात तकरीब उरूसी में मुफ्त तक़सीम किया जबकि लोग ऐसी महफ़िलों में मिठाइयां और शीरीनियां बांटते हैं जिनका ना ही तो असर बाक़ी रहता है और न ही वे खास फ़ायदेमन्द होती हैं।

मैं समझता हूँ कि यह उनकी दीगर बहुत सी नेकियों में से एक बेहतरीन नेकी और बहुत अच्छा तरीक़ा है।

आज मुसलमानों को सख़्त ज़रूरत है कि वे ऐसे ही तरीक़े को इस्तेमाल करें और ऐसे ही रास्तों पर चलें।

जब इस किताब का पहला नुस्ख़ा खत्म हुआ तो मुख़्तलिफ शहरों और इलाक़ों में इससे लोगों ने खूब फायदा उठाया और अक्सर भाइयों ने इसे दुबारा छापने का मश्वरा दिया और उन्होंने बड़ी सख़्ती के साथ मुझसे इसकी इशाअत का मुतालबा किया। मैंने उनकी बात का उचित जवाब दिया और कुछ समय निकाल कर दूसरे एडीशन में कुछ मुफीद

Scanned by CamScanner

चीज़ों का इज़ाफ़ा कर दिया जो समय की कमी और जल्दी की वजह से पहले नुस्ख़े में ज़िक्र न हो सकीं।

मैंने कोशिश की है कि उन जरूरी मसलों पर थोड़ा तफ़सील के साथ लिखा जाये जिनको मौजूदा दौर में या इससे पहले कुछ लोगों ने ग़लत रंग में पेश किया है। मैंने अपनी ताकत के मुताबिक उन लोगों की ग़लतियाँ उजागर करने की कोशिश की है। मेरी तमाम कोशिश दलील व सनद से पुर है ताकि किताब पढ़ने वाला हर पाठक दलील के साथ बात कर सके और वह (इस मामले में) पूरी दीनी बसीरत का हामिल हो कि कहीं ऐसा न हो कि वह भ्रम पैदा करने वालों, बेबुनियाद झगड़ा करने वालों और हक पर चलने वालों की कमी की वजह से मुतास्सिर हो जाये क्योंकि मौजूदा दौर में सुन्नत पर अमल दीन वालों में भी अजनबी सा होता जा रहा है। मुख़ालिफ़िन और दीन से रोकने वालों की तो बात ही क्या करें?

मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि वह हमको अपने उन कलील बन्दों में शामिल फरमाले जिनके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्ल0 का इरशाद गिरामी है—

“बेशक इस्लाम अजनबी शुरू हुआ और अनक़रीब अजनबी की हालत में लौट जायेगा। अतः अजनबियों के लिए मुबारकबाद है”

मैं इस किताब के शुरू में अल्लामा शैख़ मुहिब्बुद्दीन अलख़तीब के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ मुकदमा ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि यह बेशुमार फायदों और नसीहतों पर मुश्तमिल है और यह पहले एडीशन में भी छप चुका है। मेरी राय के मुताबिक़ यह मुकदमा आज कल की औरतों के लिए इस किताब पर अमल करने के लिए तमहीद की हैसियत रखता है। मुझे उम्मीद है कि यह ऐसी बेहतरीन

Scanned by CamScanner

रहनुमाई पर मुश्तमिल है कि शायद इन औरतों ने इससे पहले इतनी बेहतरीन बातें न ही सुनी हों और न ही देखी हों।

तो ऐ अल्लाह हम को हक़ बात हक़ बात बनाकर दिखा और इसकी पैरवी करने की तौफीक़ अता फ़रमा और हमें बातिल बातिल बनाकर ही दिखा और इससे बचने की तौफ़ीक़ फ़रमा बेशक तू बहुत ज्यादा सुनने वाला और ज्यादा कबूल करने वाला है।

दमिश्क 25.10.1376

मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी

Scanned by CamScanner

पहले एडीशन का मुक़दमा

بقلم فضيلة الشيخ محب الدين الخطيب

بسم الله الرحمن الرحيم

तमाम तारीफ़ अल्लाह तआला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है मखलूकात के लिए उसके सिवा कोई रब नहीं है उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर-व-बातिन में उसकी इताअत की जाये और दरूद व सलाम हो कायनात के बेहतरीन मुअल्लिम मुहम्मद सल्ल0 पर जिन्होंने लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ़ हिदायत दी उनकी औलाद और उनके सहाबा पर भी लाखों रहमतें नाज़िल हों।

इस बात में कोई शक नहीं है कि अक्सर मुसलमान बच्चों जैसी ज़ेहनियत रखते हैं उनको हर वह बात गफ़लत और लालच में डाल देती है जो बच्चों को मशगूल कर देती है और वह हर चीज़ उनको भलाई, सिराते मुस्तकीम, सही तरीके और असल मक्सद से दूर कर सकती है जिसके साथ बच्चों का दिल बहलाया जा सकता है। मुसलमानों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये लोग इस्लाम की रहनुमाई नामो निहाद एतिदाल पसन्दी के पुर फ़रेब नारे में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और शरीअत की तफ़सीर उन बेफ़ायदा कामों गन्दी ख़्वाहिशात, बेहूदा बातों और बेकार की चीजों में ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ये खुद गुलाम बने हुए हैं।

इस हालत में अगर मुसलमान अपने अल्लाह की तरफ पलटे तो वह जहाँ उनकी अक़्लों की हिफ़ाज़त करेगा (सीधी राह पर लगायेगा)

Scanned by CamScanner

वहीं उनके आमाल और कोशिशों में बरकत अता फ़रमायेगा। वह उनको ऐसे असबाब, ताक़त और ऐसी सीढ़ी अता करेगा जिसकी बिना पर उनकी खोई हुई अज़्मत लौट सकेगी और उनको दुनिया की हुकूमत नसीब होगी। सुन्नत इस्लाम की हक़ीक़ी जगह में तलाश, दीन की सही रह्नुमाई, हिदायते इस्लाम के नूर से मुकम्म्ल रौशनी का हासिल करना और ऊपर वाली बीमारियों से निजात कि मुसलमान जिनके एक हजार साल से भी ज्यादा समय से गुलाम बने हुए हैं। दो बातों पर मुश्तमिल है—

1. बा अमल उलमा का इख़्लास, वे बाअमल उलमा जो इस उम्मत के लिए अपने दीन की तमाम वे सुन्नतें और सुनहरे तरीक़े हर लिहाज से ज़ाहिर करने की कोशिश करें जिनपर दीन-इस्लाम की इमारत क़ायम है।

2. ऐसे मुसलमानों की कसरत जो इन बयानों की तरदीद अपने अमल से करने के लिए अपनी जानों को हर समय तैयार रखें ताकि वे लोग जो बाक़ायदा पढ़ाने और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता नहीं हैं वे उन लोगों से मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सके। ये बेहतरीन किताब कि शादी ब्याह और वलीमा वगैरह के बारे में नबी सल्ल0 की तालीमात में एक मॉडल (नमूना) की हैसियत रखती है। यह ऐसी सही बातों पर मुश्तमिल है जो इस मसले में दीनी तालीमात की बुनियाद की हैसियत रखती हैं।

शादी ब्याह के मसले में मुसलमान इस्लाम के तरीक़ों से इतना दूर हो चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम से पहले की जिहालत को भी पीछे छोड़ दिया है वे बिल्कूल नई जिहालत के गढ़ने वाले नज़र आते हैं जिसकी बिना पर एक तब्क़ा दूसरे तब्क़े से जहन्नुम की तरफ़ दौड़ता हुआ नज़र आता है वे इस क़दर गुमराह हो चुके हैं कि उन्होंने शादी-ब्याह को

Scanned by CamScanner

नाजायज़ खर्चों की बिना पर इतना मुश्किल बना डाला है कि यह आम लोगों की ताक़त से बाहर नज़र आने लगी है। ऐसा लगता है कि लोग शादी में दिलचस्पी लेना ही छोड़ देंगे हालांकि यह तो इस्लाम की एक सादा और आसान सी सुन्नत थी। जब इन लोगों ने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया तो इस ग़लती ने उन्हें जिहालत के बुरे और नुक़सानदेह रास्तों पर डाल दिया।

इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि खुद मुझे इस किताब की तरतीब के लिए मुनासिब मौक़ा मिल गया और मैंने इसका नाम भी तरतीब दे दिया था। मगर नेकी हमारे एक ऐसे भाई के हिस्से में आई जो सुन्नत की तरफ़ दावत देने वाली है और उनका शुमार ऐसे उलमा में होता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िन्दगी सुन्नत के प्रचार के लिए वक़्फ़ कर रखी है। हमारे इस भाई का नाम जिन से हमारा ग़ायबाना परिचय है शैख़ अब्दुर्रहमान मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी है जिन्होंने मुसलमानों के सामने सुन्नत और आदाबे मुबाशरत के नाम से एक किताब पेश की है जो सही या हसन[1] हदीसों से सजी है। काश कि इन्हें खुला समय और असबाब मिलते वे अज़्दूअजी ज़िन्दगी बेहतरीन घर के आदाब और जो कुछ भी एक इस्लामी खानदान के मुताल्लिक़ था सब ज़िक्र कर देते। लेकिन यह बात सही है कि पहली रात को चाँद एक बार एक शाख की तरह होता है फिर एक समय ऐसा भी आता है कि वह आसमान का सफर तय करते-करते पूरा हो जाता है जिसे बदर कहते हैं।

जिस तरह इस किताब की तैयारी और इसका मौज़ू तलाश करने और लेखक ने इसे बयान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है इसी तरह इसको पूरा करने के लिए मौजूदा दौर में पहला मुसलमान मर्द और

1. हसन हदीस सही से कम दर्जा रखती है

Scanned by CamScanner

मुसलमान औरत दोनों तैयार हुई कि वे इस मामलें में मुसलमानों के लिए नमूना बनेंगे वे कमी व ज़्यादती से बचते हुए बेकार और बेहूदा आदतों से दूर रहते हुए ज़िन्दगी गुज़ारेंगे। उन दोनों ने जब अल्लाह तआला से इस्तिख़ारा किया तो उनके लिए अल्लाह तआला ने यह इख्तियार किया कि वे दोनों ऐसे इस्लामी और पाक घर पर बुनियाद रखें जो इस्लामी खानदानी निज़ाम का नमूना और जिहालत की तकलीफ, गैर इस्लामी रस्मों और बुरी आदतों से महफ़ूज़ हो।

मै अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि वे हमारे मोमिन और मुजाहिद भाई अब्दुर्रहमान अलबानी की मदद फ़रमायें और ज़िन्दगी के तमाम मामलों में उनका हामी और मददगार हो ताकि इस्लामी उसूलों पर अमल करने की बिना पर उनकी तमाम नेक ख़्वाहिशात पूरी हो सकें।

मैं अपनी बात को मुसलमान अरब औरतों की तारीख की एक मिसाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ जो हर शादी करने वाली मुसलमान औरत के लिए रोशनी का मीनार है। मैं उम्मीद करूँगा कि वह इसको हर समय अपने सामने रखेगी ताकि उसका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहे।

फ़ातिमा बिन्त अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान की जब शादी हुई तो उसके बाप की हुकूमत की हद शाम इराक़ हिजाज़, यमन, ईरान, सिन्ध, क़फ़क़ासिया, कराकोरम और इसी तरह माउश उन्नहर, नजारा, मिस्र, सूडान, टयूनस, अलजज़ाइर, मग़रिबुल उक़्सा (मराकश) उन्दलुस वग़ैरा तक फैली हुई थी। फ़ातिमा केवल खलिफ़ा की बेटी ही नहीं बल्कि इस्लाम के चार मशहूर ख़लीफ़ों खालिद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, यज़ीद बिन अब्दुल मलिक और हिशाम बिन अब्दुल मलिक की बहन भी थी।

Scanned by CamScanner

मज़ीद यह कि वह चारों खलीफ़ों के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर खलीफ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी हैं। यह औरत खलीफा की बेटी, चार खलीफ़ों की बहन और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी हैं। जब उसने अपने बाप के घर से अपने खाविन्द के घर की तरफ़ सफर किया तो दुनिया की तमाम औरतों से ज़्यादा ज़ेवर, हीरे, जवाहरात में लदी हुई थी और यह उस अज़ीम खज़ाने की तन्हा मालिक थी। उसके ज़ेवर से ही मारिया नामी औरत के दो कांटे बनाये गये थे जो तारीख में मशहूर हैं। मुख्तलिफ शायरों ने भी अपनी शायरी में कई मुकामात पर इस बात का तज़किरा किया है कि उन दो कांटों में से हर कांटा एक ख़ज़ाने के बराबर था।

इस वज़ाहत के बाद यह कहना बेकार सा मालूम होता है कि फ़ातिमा को इतनी नेमतें हासिल थीं कि जो उस समय किसी और औरत को भी हासिल नहीं थीं। अगर वह अपने खाविन्द के घर में इसी तरह ज़िन्दगी गुजारती जिस तरह अपने बाप के घर में रह रही थी तो चारों ओर से तमाम नेमतें उसके दामन में सिमट आतीं। लाज़मी बात है कि हर रोज़ उसे नयी नयी क़िस्म के बेहतरीन और महंगे खाने मिलते। उसे हर वह नेमत हासिल रहती जिस से बनी नोए इंसान वाक़िफ़ थे क्योंकि वह उसकी ताकत रखती थी।

अगर मैं लोगों में इस बात का ऐलान करू कि ऐशो आराम पर बनी तकल्लुफ़ पर मुश्तमिल ज़िन्दगी हक़ीक़त में बेकार और सेहत के लिए नुक़सान देह है वह सेहत व आफ़ियत जिससे दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाले लोग खूब फ़ायदा उठाते हैं तो ग़लत न होगा और दूसरे यह कि ऐशभरी ज़िन्दगी ग़रीब और फ़ाक़ा कश लोगों के दिल में नफ़रत हसद और कीना को जन्म देती है।

याद रखें कि ज़िन्दगी कितनी ही ऐशो आराम व सहूलियातों से भरी क्यों न हो वह आम आदतों से मुनासिबत ज़रूर रखती है। वे लोग जो हर समय नेमतों की ऊंची किस्मों से फ़ायदा उठाते हैं वे भी उस समय फाक़ा से दो-चार हो जाते हैं। जब उनका नफ्स उससे बड़ी नेमतों की इच्छा करता है और वे उसको हासिल काने में नाकाम रहते हैं। इसके मुकाबले में मियानारवी इख़्तियार करने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ इनके हाथ में है जो कुछ पीछे है वे जब चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। उन्होंने केवल इतना सा काम किया है कि ज़िन्दगी की इन्तिहाई आला सहूलियात और इस सोच से किनारा कशी का ज़ेहन बना रखा है ताकि वे अपनी ख्वाहिशात पर ग़ालिब रहें ऐसा न हो कि वे नफ़सानी ख्वाहिशात के गुलाम बन कर रह जायें। इसी लिए तो खलीफ़ा आज़म उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने घर का खर्चा कुछ दिरहम रखा। जबकि वे बहुत बड़ी सलतनत के मालिक थे उनके इस फैसले पर उनकी बीवी भी मुक्कमल रज़ामंद हो गयी। वह बीवी जो खलीफा की बेटी और चार खलीफ़ों की बहन थी। वह इस फ़क़ीराना ज़िन्दगी पर बहुत खुश थी क्योंकि उसने क़िनाअत और मियानारवी का मीठा ज़ायक़ा चख लिया था और यही हक़ीक़ी लज़्ज़त उसकी पसंद बन गई। उसने इस नेमत को दौलत और बेकार व बेफ़ायदा ज़िन्दगी पर तर्जीह दी जिससे वह पिछले दिनों खूब वाक़िफ़ थी। जब उसके खाविन्द ने उससे बचकाना ज़ेहन तर्क करने का मुतालबा किया और हुक्म दिया कि वह खेल-कूद का सामान अपने घर से निकाल दे जिसके साथ वह अपने कान, गर्दन, बाल और बाज़ू वज़नी किये हुए है जो न ही इन्सान को मोटा करते हैं और न भूख में काम आ सकता है और अगर इसको बेच दिया जाये तो हजारों मर्दों और बच्चों का पेट

पाला जा सकता है तो उसने फ़ौरन ख़ाविन्द की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपने ज़ेवर हीरे, जवाहरात और मोतियों के बोझ से राहत हासिल कर ली जो वह बाप के घर से लेकर आई थी उसने यह सब कुछ बैतुल माल को हिबह कर दिया।

जब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गुज़र गए तो उन्होंने अपनी बीवी और औलाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा तो बैतुल माल का निगरां आया और फ़ातिमा को कहने लगा—ऐ मेरी मलिका आप का सामान ज़ेवर हीरे, जवाहरात मेरे पास इसी तरह अमानत पड़ा हुआ है मैंने उस दिन से लेकर आज तक उसकी हिफ़ाज़त की है अब मैं आपसे इज़ाज़त तलब करने आया हूं कि आपकी खिदमत में हाज़िर कर दूँ? उसने जवाब दिया कि मैंने यह माल अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक़ बैतुल माल को हिबह कर दिया था। फिर कहने लगी मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि ज़िन्दगी में तो उनकी इताअत करूं और उनके मरने के बाद उनकी ना फ़रमानी करूं।

उसने विरासत में मिलने वाले करोड़ों माल लेने से इंकार कर दिया हांलाकि वह इस समय कोड़ी-कोड़ी की मुहताज थी इसीलिए तो अल्लाह तआला ने उसका नाम हमेशा के लिए ज़िन्दा रखा है। आज हम भी कई साल गुजर जाने के बाद उसके शर्फ़ म़र्तबा और उसके ऊँचे दरजात के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह तआला उसपर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमायें और उसे जन्नत में इन्तिहाई आला मुक़ाम नसीब फ़रमायें। आमीन

याद रखो! खुशहाली और खुशबख़्ती यह है कि इंसान हर चीज़ के अन्दर मियानारवी पर मौजूद रहे। ज़िन्दगी का कोई भी लम्हा कैसा ही क्यों न हो जब लोग उसकी आदत डाल लेते हैं तो इन्तिहाई सुकून

Scanned by CamScanner

महसूस करते हैं। हक़ीक़त में आज़ाद इंसान वही है जो हर बेफ़ायदा और ग़ैर ज़रूरी चीज़ों से आज़ादी हासिल कर लेता है। इस्लाम और इन्सानियत के अन्दर इसे ही हकीकी ग़नी कहते हैं। अल्लाह तआला हमको ऐसे लोगों में शामिल फ़रमाये। आमीन

7 सितम्बर 1952 ई. मुहिब्बुद्दीन अलख़तीब

Scanned by CamScanner

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तमाम तारीफ़ अल्लाह तआता के लिए है जिसने अपनी मोहकम किताब में फ़रमाया

"और उसकी निशानियों में फिर ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियाँ तुम ही में से पैदा की। इसलिए कि तुम उसके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान उल्फ़त और मौहब्बत रखी।"

(सूरह रूम-21)

और दरूदो सलाम हो मुहम्मद सल्ल0 की ज़ात गिरामी पर जिनसे यह हदीस वारिद है।

"ज़्यादा मौहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो। मैं तुम्हारी कसरत की वजह से (दीगर) अम्बिया के मुक़ाबिल गर्व करूँगा।"

अम्मा बाअद (इसके बाद) बेशक शादी करने वाला अपनी बीवी से हमबिस्तरी का इरादा करे तो इस्लाम ने इसके लिए कुछ आदाब बताए हैं जिनसे अक्सर लोग ग़फ़लत बरतते हैं या फिर उन्हें उनका इल्म ही नहीं है।

यह बात मुझे पसंद आई कि मैं अपने एक क़रीबी दोस्त की शादी की मुनासिबत से उन आदाब को एक बेहतरीन किताब की शक्ल में जिक्र करूँ ताकि उसकी रौशनी में मेरे उस भाई और दीगर मुसलमानों के लिए नबी सल्ल0 की इस शरीयत पर अमल पूरा होना आसान हो सके जो उनपर कायनात के स्वामी ने नाजिल फ़रमाई हैं। मैंने इस किताब के आखिर में कुछ ऐसी बातों पर चेतावनी भी दी है जिनको आजकल शादी करने वाले अक्सर करते हुए नज़र आते हैं।

Scanned by CamScanner

मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि वह उसको मुनाफ़ा बख़्श बनाये और इस कोशिश को अपने लिए खालिस कर ले। बेशक वह नेकी की तौफ़ीक देने वाला और इन्तिहाई मेहरबान है।

याद रहे कि (मुबाशरत) के आदाब तो बहुत ज़्यादा हैं मगर इस जल्दी में हम केवल ऐसे आदाब का तज़किरा मुनासिब समझते हैं जो मुहम्मद सल्ल0 की सुन्नत मुबारक से साबित हैं सनद के एतेबार से उनका और सेहत के एतेबार से उनमें शक का मामूली सा हिस्सा भी नहीं है। मेरी यह कोशिश केवल इसलिए है कि (शादी करने वाला) पूरी बसीरत और मुकम्मल यक़ीन के साथ इन तालीमात पर अमल कर सके। मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि सुन्नत पर अमल करने के साथ अपनी घरेलू जिन्दगी को आरंभ करने की बिना पर वह (हमारे भाई) पूरी जिन्दगी ठीक ठाक बनाये और उसको अपने उन बन्दों में शामिल फ़रमाले जिनके औसाफ़ अल्लाह तआला ने अपने इस इरशाद मुबारक में ब्यान फ़रमाये हैं।

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًاO﴾ [۲۵/الفرقان:۷۴]

"और जो यह दुआ करते हैं–ऐ हमारे रब! हमें ऐसी बीवियाँ और औलाद अता फ़रमा जो हमारी आंखों की ठंडक हों और हमें परहेज़गारों का इमाम बना।" (सूरह फ़ुरक़ान-74)

यह सही है कि अच्छा अंजाम केवल परहेज़गारों के लिए ही है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया–

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَّ عُيُونٍO وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَO كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَO إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَO﴾

Scanned by CamScanner

"बेशक परहेजगार वे सायों, चश्मों और उन मेवों में होंगे जो वे चाहेंगे (कहा जायेगा) दिल भर के खाओ और पीयो। उस चीज़ के बदले जो तुम अमल किया करते थे बेशक हम नेकी करने वालों के साथ यही सलूक करते हैं।" (सूरह मुर्सलात 41-44)

1. बीवी के साथ लुत्फ़ व मेहरबानी और हुस्ने सुलूक

आदमी के लिए ये मुसतहब[1] है कि जब अपनी बीवी के पास जाये तो उसके साथ हुस्ने सुलूक व मेहरबानी से पेश आये। मसलन उसको कोई खाने-पीने की चीज़ पेश करे। असमा बिन्त यज़ीद फ़रमाती हैं।

"मैंने आयशा रज़ि. को नबी करीम सल्ल0 के लिए तैयार किया और पैग़ाम भेजा कि आप आकर उनको देख लें। आप सल्ल0 तशरीफ़ लाये और आयशा रज़ि. के पहलू में बैठ गये। आप को दूध का एक बड़ा प्याला पेश किया गया। आप सल्ल0 ने उसमें से पहले खुद पिया और फिर आयशा रज़ि. की तरफ़ बढ़ा दिया। मगर उन्होंने शर्म से सर झुका लिया। मैंने उनको डांटा और कहा नबी. सल्ल0 के हाथ से प्याला पकड़ लो। जिस पर उन्होंने प्याला पकड़ लिया और थोड़ा सा दूध पिया। फिर नबी. सल्ल0 ने आयशा रज़ि. को कहा अपनी बहन को दे दो। असमा कहती हैं मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0 बल्कि आप पकड़ें और पहले खुद पिये फिर मुझे दे।आप सल्ल0 ने प्याला पकड़ लिया इसमें से कुछ दूध पिया और बाक़ी मुझे वापस कर दिया। वे कहती हैं मैं बैठ गई प्याले को घुमाना शुरू किया ताकि मैं उस मक़ाम पर अपने होंठ रख सकूँ जहाँ पे नबी. सल्ल0 ने होंठ मुबारक रख कर पिया था' फिर नबी. सल्ल0 ने मेरे साथ मौजूद दीगर औरतों को कहा–'तुम भी पी लो। वे अर्ज़ करने लगी–हमें तलब नहीं

1. शरीअत की नज़र में पसंदीदा अमल (अनुवादक)

Scanned by CamScanner

है।' नबी. सल्ल0 ने फरमाया 'तुम झूठ और भूख को जमा न करो।" (मुसनद अहमद)

2. बीवी के सर पर हाथ रखकर उसके लिए दुआ करना

दुल्हे को चाहिये कि वह अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी से पहले उसके सर के अगले हिस्से पर हाथ रखे, अल्लाह तआला का नाम ले बिस्मिल्लाह कहे और बरकत की दुआ करे और नबी. सल्ल0 का यह फ़रमान पढ़े। आप सल्ल0 ने फ़रमाया—

"तुम में से अगर कोई किसी औरत से शादी (हमबिस्तरी) करे या गुलाम खरीदे तो उसको पेशानी से पकड़े।[1] और अल्लाह तआला का नाम ले और बरकत की दुआ करे।" ये शब्द कहे—

((اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.))

"ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई का सवाल करता हूँ और उसकी भलाई का जिस पर तूने इसको पैदा किया और इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ और उस शर से जिस पर तूने इसे पैदा किया।"

और जब कोई ऊँट खरीदे तो उसकी कोहान की चोटी से पकड़कर यही शब्द कहे।[2]

3. मियाँ बीवी का इकटठे नमाज़ पढ़ना

मियां-बीवी दोनों के लिए मुस्तहब है कि वे इकट्ठे दो रकात नमाज़ अदा करें। क्योंकि यह सल्फ़ सालिहीन से मन्कूल है। इस मसले में

---

1. यहां पैशानी से मुराद पैशानी के बाल पकड़ना है।
2. अबू दाऊद 1/336 इब्ने माजा 1/592 बैहैकी 147/7 इसकी सनद बेहतरीन है अहकाम किबरिया के अन्दर अब्दुलहक अबू सबीली सही ने इसे सही कहा है।

Scanned by CamScanner

दो बातें साबित हैं कि अबी सईद जो कि अबी उसैद सईद के गुलाम हैं कहते हैं मैंने गुलामी की हालत में शादी की। मैंने सहाबा किराम रज़ि. की जमाअत को दावत दी जिनमें इब्ने मसऊद, अबुज़र और हुज़ैफ़ा रज़ि. भी शामिल थे। अबू ज़र रज़ि. जमाअत करवाने के लिए आगे हुए तो सहाबा ने उन्हें कहा ठहरो।[1] वे कहने लगे क्या वाक़ई (ठहरूं) सहाबा ने कहा—हाँ (अबू सईद) कहते हैं उन्होंने मुझे आगे कर दिया हालांकि मैं गुलाम था। उन्होंने मुझे सिखलाया और कहा जब तेरे पास बीवी आये तो उसके साथ दो रकआत अदा कर ले। फिर अल्लाह तआला से उस दाखिल होने वाली की भलाई और उसके शरसे महफ़ूज रहने का सवाल करना। इसके बाद तू जान और तेरी घर वाली जाने।[2]

हजरत शक़ीक़ रह. से रिवायत है कि एक आदमी जिसका नाम अबुहुरीज़ है उनके पास आया और कहने लगा मैंने नौजवान कुवांरी लड़की से शादी की है और मुझे डर है कि वह मुझसे नफ़रत करेगी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. ने कहा बेशक मौहब्बत अल्लाह की तरफ़ से और नाचाती शैतान की तरफ़ से है, क्योंकि वह तो चाहता है कि इन चीज़ों को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दे जिन को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए हलाल कर रखा है। जब वह तेरे पास आये तो उसे हुक्म देना कि वह तुम्हारे पीछे दो रकआत नमाज़ अदा करे। एक और

---

1. इसमें इस बात की तरफ़ इशारा है कि सहाबा यह कहना चाहते थे कि मेज़बान के घर में उसकी इजाज़त के बग़ैर नमाज की इमामत करवाना मना है। हदीस में आता है कि कोई आदमी किसी के घर में या उसकी सलतनत में इमामत न करवाये। सही मुस्लिम सही अवाना, सही अबु दाऊद 594।
2. मुसन्नफ़अबी शीबा।

Scanned by CamScanner

रिवायत में है कि यह किस्सा इब्ने मसऊद रज़ि. से मनकूल है कि उन्होंने उससे कहा तू इस तरह कह–

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ اَهْلِيْ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَ فَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلٰى خَيْرٍ.))

"ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे घर वालों में और उन के लिए मुझमें बरकत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तू हम दोनों को अपनी तरफ़ से भलाई पर जमा फ़रमा और हममें जब तू जुदाई डाले तो भलाई के लिए ही डालना।"[1]

4. हमबिस्तरी के समय क्या कहे?

जब अपनी बीवी से हमबिस्तरी का इरादा करे तो यह दुआ पढ़े–

((بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا))

"अल्लाह के नाम के साथ! ऐ अल्लाह हमें शैतान से महफूज फ़रमा और जो तू हमें रिज़्क़ (औलाद) दे उसे भी शैतान से बचा।"

नबी सल्ल. ने फ़रमाया अगर (इस दौरान) अल्लाह तआला इन दोनों को औलाद अता कर दे तो उसको शैतान कभी भी नुक़सान नहीं पहुंचा सकता।[2]

5. जिमाअ कैसे करे?

इसके लिए जायज़ है कि वह अपनी बीवी से (पैदाइश की जगह) में जिमाअ करे। चाहे वह किसी तरफ़ से हो, आगे से हो या पीछे

---

1. मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक, तिबरानी–इसकी सनद सही है।
7. सही बुख़ारी 187/9

Scanned by CamScanner

से हो। इस दावे की दलील यह फ़रमान है—

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾

"तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहों आओ।"

यानि जिस तरह तुम चाहते हो आगे से पीछे से (अगले हिस्से में) जिमाअ करो। इसके मुताल्लिक़ बहुत सी हदीस वारिद हैं यहाँ केवल दो का ज़िक्र ही काफी है।

1—हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है—

यहूदी यह बात कहा करते थे कि कोई आदमी अपनी बीवी के पीछे होकर उसके अगले हिस्से में जिमाअ करे तो बच्चा बहंगा पैदा होता है। उसपर ये आयत उतरी। ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ "तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ।" इस पर फ़रमाया आगे से पीछे से मगर यह कि (पैदाइश की जगह) में।"

2—हजरत इब्ने अब्बास रज़ि. से रिवायत है—

मदीना में अन्सारियों का एक क़बीला आबाद था जो कि बुतों की पूजा करते थे। उनके साथ किताब वाले (यहूदी) भी रहते थे। यहूदी अपने आप को किताब वाले अंसारी कबीले से इल्म की बुनियाद पर अफ़ज़ल ख़्याल करते थे। अंसारी क़बीले के लोग बहुत सारी चीज़ों में उनकी पैरवी करते थे। किताब वाले औरत को (चित लिटाकर) ताल्लुक क़ायम करते थे यह औरत के लिए ज़्यादा सतर पोशी का सबब था। इस बात में भी अंसारी यहूदियों की पैरवी करते थे। कुरैशी लोग अपनी औरत से ताल्लुक के लिए तरह-तरह के तरीक़े इस्तेमाल करते थे और जिमाअ की लज़्ज़त हासिल करते थे। औरतों के आगे

Scanned by CamScanner

से पीछे से होकर और चित लिटाकर ताल्लुक क़ायम करते थे। जब मुहाजिर सहाबा मदीना आये तो उनमें से एक आदमी ने अंसार की औरत से शादी कर ली (उसने अपने रिवाज के मुताबिक़) उससे जिमाअ करना चाहा तो उस औरत ने इंकार कर दिया और कहा हमारे साथ तो केवल एक ही तरीक़े पर ताल्लुक किया जाता है तुम भी ऐसे ही करो वरना इससे दूर रहो। वह औरत इसी पर इसरार करती रही और मामला शिद्दत इख़्तियार कर गया। यह बात नबी सल्ल. के पास तक जा पहुँची तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी—

यानि आगे पीछे या चित लिटाकर फ़ायदा उठाओ मगर इस शर्त के साथ कि जिमाअ बच्चा पैदा होने की जगह में हो।[1]

6. तहरीम दुबुर

शोहर पर हराम है कि वह अपनी बीवी की दुबुर (पाखाने की जगह) में जिमाअ करे। इसकी दलील साबक़ा आयत का मफ़हूम है कि इसी तरह मज़कूरा हदीस और दीगर कई हदीस इस बात पर दलालत करती हैं।

पहली हदीस—हजरत उम्मे सलमा रजि. फ़रमाती हैं—

जब मुहाजिरीन अन्सार के पास मदीना आये, उनकी औरतों से शादियाँ रचाई। मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर उल्टा लिटाकर (या

1. इसकी सनद हसन है इमाम हाकिम ने इसको इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही कहा है और इमाम ज़हबी ने भी इनकी मुआफिकत की है। सईद बिन यसार रह. कहते हैं मैंने इब्ने उमर रजि. से कहा हम लौंडिया खरीदते हैं और उनसे दुबुर में जिमाअ करते हैं। उन्होंने कहा उफ़ क्या मुसलमान ऐसा कर सकता है। मैं कहता हूँ इसकी सनद सही है और यह इब्ने उमर से सरीह नस है कि औरतों से दुबुर में करना हराम है और उन्होंने इसका शदीद इंकार किया है।

Scanned by CamScanner

उनके हाथ जमीन या घुटनों पर रखवाकर) जिमाअ करते थे। मुहाजिरीन में से एक आदमी ने अंसारी औरत के साथ इसी तरह करने का इरादा किया तो उसने इंकार कर दिया और कहा कि मैं रसूल सल्ल. से पूछने से पहले ऐसा नहीं कर सकती। वह आप सल्ल. की खिदमत में हाजिर हुई लेकिन सवाल करने से शर्माती रही। फिर आप सल्ल. से उम्मे सलमा रज़ि. ने पूछा तो यह आयत नाज़िल हुई–

और नबी सल्ल. ने फ़रमाया ,नहीं मगर एक ही जगह (मकाम पैदाइश) में हो।[1]

दूसरी हदीस–हजरत इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ि. नबी करीम सल्ल. के पास तशरीफ लाये और फ़रमाया ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. मैं हलाक हो गया। नबी सल्ल. ने पूछा किस चीज ने तुझे हलाक कर दिया। अर्ज़ करने लगे। आज रात मैंने अपना कजावा उल्टा कर दिया[2]। आप सल्ल. खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया तो नबी करीम सल्ल. की तरफ यह आयत वह्य कर दी गयी। आप सल्ल. ने फ़रमाया आगे से आओ या पीछे से आओ मगर दुबुर और हैज़ वाली से बचो।[3]

तीसरी हदीस–हज़रत खुजैमा बिन साबित रज़ि. से रिवायत है।

एक आदमी ने औरतों से दुबुर में जिमाअ करने के मुताल्लिक़ सवाल किया या यह कि कोई मर्द अपनी औरत से दुबुर में जिमाअ करे तो कैसा है। नबी सल्ल. ने कहा जायज़ है। जब वह आदमी जाने

---

1. इमाम तिर्मिज़ी ने इसे सही कहा है
2. औरत के पीछे खड़े होकर (मक़ाम पैदाइश) में जिमाअ करने से किनाया है।
11. इमाम नसाई ने इसे अपनी किताब अल अशरह में नक्ल किया है इसकी सनद हसन इमाम तिर्मिज़ी ने भी इसको हसन कहा है।

Scanned by CamScanner

के लिए मुड़ा तो आप सल्ल. ने उसको बुलाया या फिर बुलाने का हुक्म दिया। उसको बुलाया गया। आप सल्ल. ने पूछा—"तूने क्या कहा? किस जगह (शर्मगाह) के मुताल्लिक तूने पूछा? तूने औरत की मक़ाम पैदाइश या दुबुर के मुताल्लिक सवाल किया? क्या (तेरा मतलब यह है कि) पीछे से औरत की कब्ल (मकाम पैदाइश) में? यह तो जाइज़ है और अगर यह कि पीछे से औरत की दुबुर में तो यह नाजाइज़ है। बेशक अल्लाह तआला हक बात से नहीं शरमाते तो तुम औरतों की दुबुर में जिमाअ न करो[12]

चौथी हदीस—अल्लाह तआला उस आदमी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा जो अपनी औरत की दुबुर में जिमाअ करे।[13]

पांचवी हदीस—वह आदमी मलऊन है जो औरतों की महाश यानि (दुबुर) में जिमाअ करे।[14]

---

1. इमाम शाफ़ई रह० अलैही ने इसको रिवायत किया है। 260/2 बेहैकी 196/7 दार्मी, 1405/1, तहावी 25/2, खिताबी ने इसे ग़रीबुल हदीस से नक्ल किया है। 73/2 इसकी सनद सही है इसको इब्ने हिबान ने सही कहा है (1299) इमाम इब्ने हज्म ने इसे सही कहा है। 7/10 हाफिज़ इब्ने हजर ने भी इनकी मुआफ़िक़त की है। फ़तहुल बारी 154/7।
2. अल असरत लिल नसाई 77/2, 1/78, तिर्मिजी 27/1 इब्ने हिबान 1302 इस हदीस की सनद हसन है। इमाम तिर्मिजी ने भी इसको हसन कहा है। इब्ने राहूया ने इसे सही कहा है इब्ने जारूद ने इसको एक और सनद से रिवायत किया है (334) इमाम अहमद ने इसको अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत किया है। मुसनद अहमद 272/2।
3. इब्ने अदी 1/2 यह हदीस उक्बा बिन आमिर की सनद से मरवी है और उसकी सनद हसन है यह अहमद रिवायत इब्ने वहब है। अबी हुरैरह हसन रज़ि. की हदीस इसकी शाहिद है। देखो अबुदाऊद 2162 और मुसनद इमाम अहमद 444/2, 479।

Scanned by CamScanner

छटी हदीस—जिस आदमी ने हायज़ा औरत या औरत की दुबुर में जिमाअ किया या (नुजूमी) की बातों की तसदीक़ की तो उसने मुहम्मद सल्ल. पर नाजिल होने वाली भलाई (कुरआन) का इन्कार कर दिया।[1]

7. दुबारा जिमाअ का इरादा हो तो वजू करे

जब आदमी अपनी औरत के साथ ज़ायज तरीक़े से हमबिस्तरी करे और उसका इरादा दुबारा जिमाअ करने का हो तो नबी. सल्ल. के फ़रमान के पेशे नज़र वजू करे। जब तुम में से कोई घरवाली से हमबिस्तरी करे फिर दुबारा जिमाअ करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह वजू कर ले। एक रिवायत में है कि दो दफा के दरमियान (वजू करे) एक रिवायत में कि है कि नमाज़ की तरह वजू करे ये दुबारा जिमाअ के लिए ज्यादा नशीत (तैयारी चुस्ती) का बाइस है।

8. गुस्ल अफ़ज़ल है

अगर वह दोबारा जिमाअ करने से क़ब्ल गुस्ल कर ले तो यह अफ़ज़ल है अबी राफ़ेअ रिवायत करते हैं।

"एक रात नबी. सल्ल. अपनी मुख़्तलिफ़ औरतों के पास गये। आपने हर औरत के पास अलेहदा गुस्ल किया। वे कहते हैं मैंने अर्ज़

---

1. इमाम नसाई के अलावा असहाब सुनन ने इसे रिवायत किया है इमाम नसाई ने इसे अल असरह में नक़्ल किया है। 78 मुसनद अहमद 407/2, 474 इसकी सनद सही है। इब्ने अब्बास रज़ि. से जब औरतों की दुबुर में जिमाअ के मताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने इसे कुफ़र से ताबीर किया। इसे नसाई ने रिवायत किया (2/77) अबाना 56/6 इसकी सनद सही है। इमाम ज़हबी फ़रमाते हैं हमे बेशुमार दलाइल से यह यकीन हो चुका है कि औरतों से दुबुर में जिमाअ करने से नबी सल्ल. ने मना फ़रमाया है और हमें पुख़्ता यकीन है कि यह हराम है।

Scanned by CamScanner

किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. आपने एक ही दफ़ा गुस्ल क्यों न कर लिया? आप सल्ल. ने ज़वाब दिया यह (गुस्ल) ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पाकीज़ा है।"

9. मियाँ बीवी का इक्टठे गुस्ल करना

मियां बीवी के लिए जाइज है कि वह एक ही जगह पर इक्टठे गुस्ल करें अगरचे वे एक दूसरे को देख रहे हों। इस मसले में मंदरजाज़ेल अहदीस बतौर दलील पेश की जा सकती हैं।

(1)

हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं–

मैं नबी सल्ल. इक्टठे एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। बर्तन के अन्दर हमारे हाथ एक-दूसरे से टकरा रहे होते। आप जल्दी फ़रमाते तो मैं अर्ज़ करती मेरे लिए भी छोड़ दीजिए और वे फ़रमाती हैं हम दोनों जुन्बी होते थे"।[1]

---

1. सही मुस्लिम, सही अबु अवाना ये लफ्ज़ मुस्लिम के हैं। इमाम बुखारी रह. ने इस हदीस पर यह उनवान कायम किया है आदमी का अपनी बीवी के साथ गुस्ल करना।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. फ़रमाते हैं दाऊद ने इस हदीस से इस्तदलाल किया है कि मियां-बीवी एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं। फ़तहुलबारी 290/1, सलमान बिन मूसा से जब इस आदमी के मुताल्लिक़ सवाल हुआ जो अपनी बीवी की शर्मगाह देखता है तो उन्होंने कहा मैंने यही सवाल अता से किया तो उन्होंने कहा मैंने यही सवाल हज़रत आयशा रज़ि. से पूछा तो उन्होंने यही हदीस ब्यान की। इस हदीस से पता चलता है कि हज़रत आयशा का वह कौल कि मैंने कभी भी नबी सल्ल. के पर्दे की जगह को नहीं देखा साबित नहीं है क्योंकि इसकी सनद में बरकत बिन मुहम्मद हलबी है। जिसमें कोई बरकत नहीं। यह झूठा है और मनगढ़त रिवायत ब्यान करता था। इस कौल की मज़ीद दो सनदें हैं जो सही नहीं हैं।

Scanned by CamScanner

मुआवियह ये बिन हैदह रज़ि. से रिवायत है–

"मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. हम अपने सतर किन से छुपायें और किन से खोलें। आप सल्ल. ने फ़रमाया अपनी बीवी और अपनी लोंडी के अलावा अपनी शर्मगाह की हिफाज़त करो।"

वे कहते है कि मैंने अर्ज़ किया लोगों के साथ हो (मर्द और मर्दो के साथ हों) तो आप सल्ल. ने फ़रमाया अगर तू इसकी ताक़त रखता है कि तेरी (शर्मगाह) कोई न देखे।" तो कोई न देखे। वे कहते हैं

अख़लाके नबी सल्ल. नामी किताब के सफ़ह नम्बर (251) पर एक और सनद है यह असर मनकूल है मगर इसमें अबू सालेह है जिसका नाम बाज़ाम है और वह ज़ईफ़ है मुहम्मद बिन क़ासिम असदी झूठा है। इस हदीस में है कि "जब तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी का इरादा करे तो पर्दा कर ले और ऊँटों की तरह बेपदर्गी का मुजाहिरा न करे।" इब्ने माजा 592/1 इस हदीस की सनद में अहवस बिन हकीम है जो कि ज़ईफ़ है।

इसी तरह आला हया इशरतूल निशा फवाईदूल मुस्कात, बिन आबी शीबा, मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक तिबरानी वगैरह में इसी मफहूम की हदीस दर्ज है वे सब की सब झूठी मकर या शख़्त जईफ है। एक हदीस में है 'जब तुम में से कोई अपनी बीती या लौंडी से जिमाअ करे तो उसकी शर्मगाह को न देखे वर्ना बच्चा अंधा पैदा होता। यह रिवायत भी झूठी और मनगढ़त है।

1. इब्ने उरवा हम्बली कहते हैं मियां-बीवी के लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना और छूना जाइज़ है। हत्ता कि शर्मगाह को छूना भी जायज है क्योंकि शर्मगाह से ही तो वह (बीवी) से फ़ायदा उठाता है लिहाज़ा बक़्या बदन की तरह शर्मगाह को देखना छूना बिल्कुल जायज़ है अलकवाकिब 1/29/575 यही मज़हब इमाम मालिक बिन अनस का है और इब्ने अबी ज़ईब भी इसी बात के क़ाइल थे कि मियां-बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देखें तो उनपर कोई गुनाह नहीं है फिर इब्ने उरवा ने यह भी कहा कि शर्मगाह को देखना मकरूह है क्योंकि हज़रत आयश रजि. कहती हैं कि मैंने नबी सल्ल. के मक़ामे पर्दो को नहीं देखा।" मैं कहता हूं कि इस हदीस की कमज़ोरी उन पर वाज़ेह नहीं हो सकी।

Scanned by CamScanner

कि मैंने अर्ज़ किया कभी इंसान अकेला होता है। नबी सल्ल. ने फ़रमाया "अल्लाह तआला ज़्यादा हक़ रखते हैं कि लोग उससे शर्म करें।"[1]

10. जनबी* सोने से क़ब्ल वज़ू करे

मियां-बीवी अगर जनबी हों तो उनको सोने से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। इस मसले में कई हदीस वारीद हैं

(1)—हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं—

"नबी करीम सल्ल. जब हालते जनाबत में खाना खाते या सोने का इरादा करते तो मक़ाम पर्दे को धोते और नमाज़ की तरह वज़ू फ़रमाते।"[2]

(2)—इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत है—

"बेशक हज़रत उमर रज़ि. ने अर्ज़ किया "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. क्या हम में से कोई हालते जनाबत में सो सकता है?" आप सल्ल. ने फ़रमाया। "हां जब वह वज़ू कर ले।"

और एक और रिवायत में है—

वज़ू कर अपनी शर्मगाह को धो और फिर सो जा।

---

1. इमाम नसाई रह. के अलावा इसको दीगर मुवल्लिफ़ीन सुनन ने रिवायत किया है इमाम नसाई ने भी इसे अल अशरह में रिवायत किया है 1/76 रूयानी ने इसे मुसनद में ज़िक्र किया है इसकी सनद हसन है इमाम ज़ेहबी ने भी मुवाफ़िकत की है इमाम नसाई ने इस हदीस का उनवान कुछ इस तरह ब्यान किया "औरत का अपने खाविंद की शर्मगाह को देखना" इमाम बुखारी रह. ने इस तरह बाब ब्यान किया है "जो आदमी खिलवत में नंगा नहाये और अगर पर्दा करे तो पर्दा अफ़ज़ल है।"

* जनबी से मुराद जिस पर गुस्ल वाजिब हो।

2. सही बुखारी सही मुस्लिम, सही अबू अवाना सही सुनन अबुदाऊद 218।

Scanned by CamScanner

और एक रिवायत में है—

"हाँ उसे चाहिए कि वह वजू करे फिर सोये और जब चाहे गुस्ल कर ले।"[1]

हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया फ़रिशते तीन आदमियों के क़रीब नहीं जाते काफ़िर की लाश और जिसने ज़ाफरान मिली खुशबू लगाई हो और जनबी आदमी जब तक वह वजू न कर ले[2]

11. इस वजू का हुक्म

अगचे यह वजू वाजिब नहीं मगर हजरत उमर रज़ि. की हदीस के पेशे नज़र सुन्नत मोआक्किदा जरूर है क्योंकि इन्होंने नबी सल्ल. से पूछा था "क्या हम में से कोई हालते जनाबत में सो सकता है?" उन्होंने फ़रमाया "हाँ अगर वह चाहे तो वजू कर ले।[3]

इस राय की ताईद हज़रत आयशा रज़ि. की इस हदीस से भी होती है। नबी सल्ल. कभी सो जाया करते थे हालांकि वे जनबी होते थे

---

1. सही बुखारी सही मुस्लिम इब्ने असाकर 2/223/13 दूसरी रिवायत सही अबू दाऊद 217 तीसरी रिवायत सही मुस्लिम, अबी अवाना, और सुनन बेहैकी 210/1 आखिरी रिवायत सही इब्ने खज़ीमा सही इब्ने हिबान तलखीस 156/2 में है। यह रिवायत वजू के वाजिब न होने पर दलालत करती है जमहूर उल्मा के नज़दीक वजू वाजिब नहीं है।
2. अब्बू दाऊद 193, 192/2 यह हदीस हसन है। इमाम अहमद तहावी बैहेकी ने भी इसको रिवायत किया है। अबू दाऊद ने इसको दो सनद में नक्ल किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने इसे सही कहा है यह बात अगरचे महल नज़र है मगर इसकी गवाही मौजूद है जबकि हेसमी ने इसको अल जामेअ में रिवायत किया है 156/5।
3. सही इब्ने हिबान 223 यह रिवायत इन्होंने अपने शेख़ बिन खज़ीमा से नकल की है (इन्शा) "यानि अगर वह चाहे" के लफ्ज भी सही मुस्लिम में साबित हैं यह इस बात की दलील है कि वजू वाजिब नहीं है।

Scanned by CamScanner

और वे पानी को छूते तक नहीं थे (हत्ता कि आप बेदार होते और गुस्ल फ़रमाते)।[1]

हज़रत आयशा रज़ि. से रिवायत है कि—

"नबी सल्ल. जनाबत की हालत में रात गुज़ारते। इतने में हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाते नमाज़ के लिए अज़ान कहते। आप सल्ल. खड़े होते और गुस्ल फ़रमाते। मैं उनके सर से पानी गिरता हुआ देख रही होती थी कि आप तशरीफ ले जाते (कुछ देर बाद) मुझे आपकी आवाज़ नमाज़ फ़ज्र से सुनाई देती। फिर आप रोज़ा रखते।

मुतरिफ़ कहते हैं मैंने आमिर रज़ि. से पूछा क्या यह रमज़ान में होता था? उन्होंने कहा हाँ रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी ऐसा होता था।[2]

12. जन्बी का वजू के बदले तयम्मुम करना

मियां बीवी दोनों के लिए कभी-कभी तयम्मुम भी जायज है। हज़रत आयशा रज़ि. फरमाती हैं "जब नबी सल्ल. हालते जनाबत में सोने का इरादा करते तो वजू करते और कभी तयम्मुम कर लेते।"[3]

---

1. इब्ने अबी शीबा 1/45/1 इमाम नसाई के अलावा असहाब सुन्नह ने इसे रिवायत किया है। इन्होंने भी अल इशरह में इसे रिवायत किया है 80/79 इमाम तहावी तयालसी इमाम अहमद और बग़वी ने भी इसको रिवायत किया है।
2. इब्ने अबी शीबा 2/173/2 इसकी सनद सही है। मुसनद अहमद 254/101/6 मुसनद अबू याअली 1/224।
3. बेहैकी 200/1 हाफ़िज इब्ने हजर रह. ने इसकी सनद को हसन कहा है 313/1 इब्ने शीबा में भी जन्बी आदमी के लिए गुस्ल या तयम्मुम की इज़जात है। 48/10 हिशाम बिन उरवा से मरवी है कि नबी सल्ल. अपनी कुछ बीवियों से हमबिस्तरी करने के बाद तयम्मुम कर लिया करते थे। तबरानी से इसको औसत में रिवायत किया है (1/9) और कहा कि हिशाम से फ़क्त इस्माईल रिवायत करता है मैं कहता हूँ इस्माईल अगरचे जईफ़ है मगर इस हदीस की मुताबिअत मौजूद है।

Scanned by CamScanner

13. सोने से पहले गुस्ल अफ़ज़ल है

मियां-बीवी सोने से पहले गुस्ल करले तो यह अफ़ज़ल है। अब्दुल्लाह बिन कैस की हदीस में है कि वे कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ि. से पूछा नबी सल्ल. जनाबत की हालत में क्या करते थे। क्या वे सोने से क़ब्ल गुस्ल करते या गुस्ल करने से पहले भी सो जाया करते थे? वे कहती हैं वे दोनों ही तरह किया करते थे। कभी आप्र गुस्ल कर लेते फिर आराम फ़रमाते और कभी-कभी वजू कर लिया करते और सो जाते। वे कहती हैं मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने इस मामले में आसानी रखी है।"[1]

14. हायज़ा औरत से जिमाअ़ हराम है

हालते हैज़ में औरत के साथ जिमाअ़ करना हराम है क्योंकि अल्लाह तआला फरमाते हैं–

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝﴾

"ये लोग आपसे हैज़ के मुताल्लिक सवाल करते हैं (इन्हें) कह दीजिए यह गन्दगी है। हैज़ के दिनों में तुम औरतों से अलग हो जाओ उनके क़रीब न आओ जब तक वे पाक न हो जायें। जब वे पाक हो जायें तो उनके साथ ताल्लुक क़ायम करो जहाँ से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है।"

---

1. सही मुस्लिम 1/171, अबू अवाना 278/1 मुसनद अहमद 149, 73/68।

Scanned by CamScanner

इसी मसले में कई हदीसें साबित हैं

(1) आप सल्ल. ने फ़रमाया–

“जिस आदमी ने हायज़ा के साथ या किसी औरत की दुबूर में जिमाअ किया या वह किसी काहिन (नजूमी) के पास आया और उसकी बात की तसदीक़ कर दी तो उसने मुहम्मद सल्ल. पर नाज़िल शुदा (किताब) का इन्कार कर दिया।”[1]

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. से रिवायत है कि वे कहते हैं “यहूदियों की किसी औरत के अय्यामे माहवारी शुरू हो जाते तो वे उसे घर से निकाल देते, न ही उसके साथ खाना खाते थे, और न ही पीते, और उसे घर के अन्दर अपने पास भी न आने देते।” आप सल्ल. से जब इस बारे में पूछा गया तो अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में यह हुक्म उतारा–

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ....(الخ)﴾

“नबी सल्ल. ने फ़रमाया उनको अपने साथ घरों में रखो और जिमाअ़ के अलावा उन से हर तरह का फ़ायदा उठाओ। यहूदी कहने लगे आदमी (मुहम्मद सल्ल.) तो चाहता है कि कोई ऐसा काम न छोड़े जिसमें हमारी मुखालिफ़त ना करे तो उसैद बिन हफ़ीर और उबाद बिन बशीर नबी (मुहम्मद सल्ल.) की ख़िदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे....यहूदी ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हम औरतों से हैज़ के (दिनों) में निकाह (जिमाअ) न करें? आप (मुहम्मद सल्ल) का चेहरा

---

26. यह हदीस सही है असहाबे सुनन और दीगर लोगों ने इसे रिवायत किया है। हवाला जात मसला नं. 6 के तहत गुजर चुके हैं।

Scanned by CamScanner

बदल गया, हत्ता कि हमें महसूस होने लगा कि उन दोनों पर आप सल्ल. नाराज़ हो गये हैं। वे दोनों चले गये (अभी कुछ दूर चले थे) कि उनके सामने नबी सल्ल. की तरफ़ से भेजा हुआ दूध का प्याला आया, जो उनके लिए हदया था। आप सल्ल. ने उनके पीछे दूध भेजा और उनको पिलाया, हमें यक़ीन हो गया आप उनसे नाराज़ नहीं है।"[1]

15. जो हायज़ा से जिमाअ करे उसका कफ़्फ़ारा

वह आदमी जो अपने आप पर क़ाबू न रख सके और हालते हैज़ में ही बीवी से जिमाअ कर लिया तो उस पर लाज़िम है कि वह तक़रीबन आधा जुनया[2] या जुनया का चौथाई हिस्सा सदक़ा करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि. नबी सल्ल. ने उस आदमी के बारे में रिवायत नक़्ल करते हैं जो हैज़ की हालत में अपनी बीवी से जिमाअ करता है कि आप सल्ल. ने फ़रमाया वह एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा करे।"[3]

---

1. सही मुस्लिम, सही अबूअवाना, अबू दाऊद (250)
2. सिकका का नाम
3. सुनन के मुवाल्लिफीन ने इसको रिवायत किया है और देखिए मोजमुल कबीर 61/14/3–2/147 इमाम दारमी और हाकिम ने भी इसको रिवायत किया है और इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक इस की सनद सही है। इब्ने हजर और इब्ने क़य्यिम ने इसकी मुवाफिकत की है। जिस तरह मैंने सही सुनन अबु दाऊद 226 में वजाहत कर दी है। इमाम अहमद से जब उस आदमी के बारे में पूछा गया जो हैज़ की हालत में बीवी से जिमाअ करता है तो उन्होंने भी इसी हदीस की तरफ इशारा किया, इमाम शौकानी ने नीलुल अवतार में उन सल्फ सालिहीन के नाम जिक्र किये हैं जो इस हदीस पर अमल के कायल थे 244/, मैं कहता हूँ दीनार और आधा दीनार के दरमियान में इख्तियार शायद आदमी के मआशी हालात के ऐतेबार से है।

Scanned by CamScanner

16. हायज़ा औरत से कहां तक फ़ायदा उठाया जा सकता है?

उस (खाविन्द) के लिए हायज़ा औरत की शर्मगाह के अलावा तमाम (बदन) से फ़ायदा उठाना जायज़ है इस मसले में कई हदीस वारिद हैं।

(1) नबी करीम सल्ल. ने फ़रमाया जिमाअ के अलावा सब कुछ कर लो।[1]

(2) हज़रत आयशा रज़ि. कहती हैं रसूल सल्ल. हम औरतों को महावारी के अय्याम में हुक्म फ़रमाते कि वे अपना इजारबंद सख़्ती के साथ बांधें और फिर उसका खाविन्द उसके साथ लेटे और कभी वे कहती कि मुबाशरत (जिमाअ के अलावा) करे।[2]

(3) नबी सल्ल. की कुछ औरतों से रिवायत है वे कहती हैं। बेशक नबी सल्ल. हायज़ा (बीवी) से फ़ायदा उठाने का इरादा करते तो उसकी शर्मगाह पर कपड़ा डाल देते और फिर जो आपका इरादा होता वह करते।[3]

---

1. इस हदीस की तखरीज मसला नं. 14 के तहत गुज़र चुकी है।
2. सही बुखारी सही मुस्लिम, सही अबु अवाना अबू दाऊद 260, इस हदीस में लफ्ज़ मुबाशरत से मुराद औरत के जिस्म का मर्द के जिस्म के साथ मिलना है। यह लफ्ज अगरचे जिमाअ के मायने में भी आता और जिमाअ के अलावा मुबाशरत (बोस किनार) के मायनो में भी आता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ दूसरे मायना (जिमाअ़ के अलावा) ही मुराद है। जैसा कि बिन्त सहबा करीम कहती हैं, मैंने आयशा रज़ि. को कहा, आदमी अपनी औरत से हैज़ की हालत में फ़ायदा उठा सकता है उन्होंने कहा जिमाअ के अलावा वह हर चीज़ उसके लिए है इब्ने साअद 485/8।

32. सही अबू दाऊद 262 इसकी सनद इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है। इस हदीस को इब्ने अब्दुल हादी ने सही कहा था और इब्ने हजर ने इस हदीस को मज़बूत कहा है सुनन बेहैकी 3/4/1।

Scanned by CamScanner

17. औरत के पाक होने के बाद जिमाअ कब जायज है?

जब औरत महावारी के अय्याम से पाक हो जाये और उसका खून रुक जाये तो उससे जिमाअ जायज है बशर्ते कि वह गुस्ल कर ले या खून की जगह को अच्छी तरह धो ले या वजू कर ले। इनमें से किसी भी चीज़ का वह एहतेमाम करती है तो पाक हो जाएगी इसलिए उस समय उससे जिमाअ करना जायज होगा।[1] इसकी दलील अल्लाह तआला का वह फ़रमान है जो पिछली आयते करीमा में गुज़रा है—

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝﴾ 2

---

1. इब्ने हज़्म, अता और कतादा वग़ैरह इस बात के काइल हैं कि खून रुक जाने के बाद वे खून की जगह को अच्छी तरह धो ले तो खाविन्द के लिए हलाल हो जाएगी, यह भी उन्होंने कहा अगर वजू कर ले तो भी पाक हो जाएगी। मुजाहिद व अता भी इस बात के काइल हैं कि जब उस पर पाकी वाज़ेह हो जाये और और वह पानी से सफ़ाई हासिल कर ले तो बगैर गुस्ल के वह अपने खाविन्द के लिए हलाल है हाफ़िज बिन कसीर रह. ने कुछ उलमा की यह बात नकल की है कि वे यह दावा करते थे कि गुस्ल के बगैर हायज़ा औरत पाक नहीं होगी। तफ़सीर बिन कसीर 261/1।

मैं कहता हूं कि इत्तेफाक का इरादा व दावा बिल्कुल बेबुनियाद है जिस तरह कि आप ने इसके खिलाफ उल्मा की राय मुलाहेजा कर ली है इमाम अबू हनीफा रह. के नज़दीक फ़क्त खून का रुक जाना भी पाकी का बाअस होगा। मगर यह क़ौल दलील के खिलाफ़ है हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम दलील के खिलाफ किसी के कौल को तरजीह दें। याद रखो पाकी तीन तरह से हासिल होगी। औरत खून के असरात धो डाले, वजू करे या गुस्ल करे, क्योंकि लफ़्ज तोहर (पाकीजगी) का इतलाक़ इन तीन अशया पर होता है इब्ने हज़्म कहते हैं। वजू वगैर किसी इख़्तिलाफ़ के तहारत है, इसी तरह शर्मगाह को धो लेना भी तहारत है। पूरे बदन का धो डालना यह भी तहारत ही है। इन तीनों कामों में से किसी के साथ भी तहारत हासिल की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

"जब वे औरतें पाक हो जाएं तो उनके पास वहाँ से आओ जहां अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है।"

18. अज़ल का जवाज़[1]

आदमी के लिए जायज़ है कि वह अपनी औरत से अज़ल करे, इसकी दलील ये हदीसें हैं–

(1) हजरत जाबिर रज़ि. फरमाते हैं–

"हम अज़ल करते थे जब कुरआन नाज़िल होता था।"

एक और रिवायत में है

"हम नबी करीम सल्ल. के ज़माने में अज़ल करते थे नबी करीम सल्ल. को जब यह ख़बर पहुँची तो आपने हमें मना नहीं किया।[34]

(2) हजरत अबू सईद खुदरी रज़ि. से रिवायत है वे कहते हैं–

"एक आदमी नबी सल्ल. की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा...मेरी एक लौन्डी है। मैं उससे अज़ल करता हूँ मैं वही कुछ चाहता हूँ जो आदमी चाहता है, यहूदियों ने दावा किया है छोटा मुवद्दत (यानी लड़की को ज़िंदा गाड़ने के जैसा) है। नबी सल्ल. ने फ़रमाया– "यहूदियों ने झूठ बोला है अगर अल्लाह उसको पैदा करना चाहता तो तुझे कुछ कर सकने का कोई इख़्तियार नहीं है।[2]

(3)–हज़रत जाबिर रजि. से रिवायत है–

एक आदमी नबी सल्ल. की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा हमारी एक लौन्डी है वह हमारी खिदमत भी करती है और

---

1. अज़ल से मुराद जिमाअ के दौरान इन्ज़ाल के समय मर्द की मनी बाहर गिरा देना ताकि हमल न ठहरे।

2. सही बुखारी 250/9, सही मुस्लिम 10/4, इमाम नसाई ने इसे अल अशरत में रिवायत किया है (1/82) तिर्मिज़ी 193/2।

Scanned by CamScanner

हमारे दरखतों को पानी भी देती है। मैं उससे हम बिस्तरी करता हूँ मैं यह पसंद नहीं करता कि वह हामला हो जाए। आप सल्ल. ने फ़रमाया अगर तू चाहे तो उससे अज़ल कर बेशक वह (बच्चे) आकर ही रहेगा जो अल्लाह ने लिख दिया। कुछ दिनों के बाद यही शख्स आया और अर्ज करने लगा बेशक लौन्डी हामला हो चुकी है। नबी. सल्ल. ने फरमाया, मैंने तुम्हें बता दिया था कि वह आकर ही रहेगा जिसे अल्लाह तआला ने तक़दीर में लिख दिया है।[1]

19. अज़ल न करना बेहतर है

अज़ल (अगरचे जायज़) है मगर इसको तर्क करना कई वजूहात की बिना पर अफ़ज़ल है।

1. इसमें औरत के लिए नुकसान और तकलीफ है कि उस को लज्ज़त हासिल नहीं होती। अगर औरत इस बात पर मुत्तफिक भी हो तब भी अज़ल इन वजूहात की बिना पर बेहतर नहीं है।

2. इससे निकाह के कुछ मक़ासिद ही खत्म हो जाते हैं मसलन निकाह के मक़ासिद में से एक यह भी है कि उम्मते मुहम्मदी सल्ल. में इज़ाफ़ा हो। नबी सल्ल. ने फ़रमाया—

"ज्यादा मौहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जननें वाली औरत से शादी करो क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी कौमों पर फ़ख़्र करूँगा।"[2]

---

1. अबू दाऊद 238/1 अलमुशिक्ल लिलतहावी 371/2, तिर्मिज़ी 193/2, मुसनद अहमद 53, 51; 33/3, इस की सनद सही है।
2. यह हदीस सही है देखें अबू दाऊद 320/1, नसाई 71/2, इमाम हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा है। 1602/2 इमाम ज़हबी ने इसकी मुआफिकत की है। मुसनद 157/3, बैहेकी 81/7, इस रिवायत को इब्ने हिबान ने सही कहा है (1228) इसकी सनद हसन है इसमें कुछ कलाम भी है। मैंने इसको अरावाउल ग़लील में ब्यान कर दिया है (1811)

Scanned by CamScanner

इसीलिए तो नबी सल्ल. ने इसको खुफ़िया कत्ल का नाम दिया है। जब आप से अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो आप सल्ल. ने "फ़रमाया यह तो खुफ़िया कत्ल है।"[1]

---

1. सही मुस्लिम 160/4 तहावी ने अल मुश्किल में रिवायत किया है 370/2, 371, मुसनद अहमद 361/6, 434, बैहेकी 231/1, इमाम शौकानी ने इस हदीस के मुताल्लिक दावा किया है कि सईद बिन अय्यूब इस रिवायत में मुनफरिद हैं मगर यह उनकी वाज़ेह ग़लती है हीवह बिन शुरीह और याहया बिन अय्यूब से इसकी मुताबिअत साबित है। हाफिज़ इब्ने हजर रह. फरमाते हैं यह हदीस बिल्कुल सही है इसकी सेहत में कोई शक नहीं फ़तहुलबारी 254/9, इससे यह पता चलता है कि अज़ल को आप सल्ल. ने पसंद नहीं किया है। इब्ने हज़्म से भी गलती हुई कि उन्होंने इसके हराम होने का दावा कर दिया। उलमा ने उनका इस बात पर ताक्कुब किया और यह साबित किया कि अज़ल हराम नहीं बल्कि नापसंदीदा है। सही इब्ने ख़ज़ीमा में अली बिन हजर की हदीस है जब इब्ने अब्बास रज़ि. से अज़ल के मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें कोई हरज नहीं है। (इसकी सनद सही है) कुछ लोगों ने इस हदीस को अबी सईद खुदरी रज़ि. की गुज़िशता हदीस के खिलाफ कहा है मगर हकीकत में ऐसा नहीं है क्योंकि आपने यहूदियों के जवाब में जब उन्होंने दावा किया था कि यह क़त्ल है। कहा था कि यहूदी झूठ बोलते हैं अल्लाह ने उस (बच्चे) को पैदा करना चाहा तो तुझे कोई इख़्तियार नहीं है। हाफिज़ इब्ने हजर ने दोनों अहादीस का मुशतरका मफ़हूम ब्यान किया कि आपका यह कहना कि यह खुफ़िया कत्ल है। यह यहूदियों के कौल से एक अलग चीज़ है क्योंकि वे तो इसे जिन्दा दरगोर करने से ताबीर करते हैं। यह इससे कहीं कम है क्योंकि जिन्दा दर गोर तो पैदाइश के बाद होता है जबकि अज़ल में तो बच्चे के वजूद का तसव्वुर भी नहीं होता। अगरचे जाहिरी तौर पर ऐसे ही मायना महसूस होते हैं मगर इसका हुक्म ज़ाहिर पर नहीं है। क़तअ विलादत में दोनों के मुशतरक होने से यह लफ्ज़ बोला गया है कुछ ने कहा यह फक्त तशबीह के लिए इस्तेमाल हुआ है पैदा होने से कबल इरादा कत्ल को पैदा होने के बाद कत्ल से तशबीह दी गई है। इब्ने कय्यिम रह. फरमाते हैं यहूदियों ने अज़ल

Scanned by CamScanner

इसी बिना पर तो नबी सल्ल. ने अबी सईद खुदरी की रिवायत में यह इशारा कर दिया कि "अज़ल न करना बेहतर है।" नबी सल्ल. के पास अज़ल का जिक्र किया गया तो आप ने फ़रमाया–"तुममें से कोई भी यह क्यों करता है?" आप सल्ल. ने यह नहीं फ़रमाया तुममें से कोई न करें। कोई जान ऐसी नहीं जो पैदा होने वाली है मगर उसका खालिक़ अल्लाह है (वह पैदा कर ही देगा)। एक रिवायत में है आप सल्ल. ने फ़रमाया–"तुम (अज़ल) करते रहोगें, तुम यह करते रहोगें अलबत्ता तुम यह करते रहोंगे। कोई ऐसी जान नहीं जिसने क़यामत तक पैदा होना है मगर वह हो कर रहेगी।"[1]

को जिन्दा दरगोर करना कहा वे इस दावे में झूठे हैं बल्कि हकीकत यह है कि अज़ल बच्चे की पैदाइश से राह फरार इख़्तियार करते हुए कहा जाता है। इसकी नीयत का एतेबार करते हुए इसे खुफ़िया कत्ल कहा गया। गोया कि वे बच्चे को कत्ल करना चाहता है। अल तहज़ीब 85/3।

1. इमाम बुखारी ने इस हदीस को मुस्लिम की दूसरी सनद के साथ रिवायत किया है हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने फ़तहुलबारी में यह इशारा किया है कि अज़ल को नबी सल्ल. ने सहाबा रज़ि. के लिए हराम करार नहीं दिया बल्कि नापसन्द किया है क्योंकि लोग बच्चे पैदा होने के डर से अज़ल करते थे तो जिसने पैदा होना है वह हो ही जायेगा। अज़ल उसको रोक नहीं सकता क्योंकि कभी-कभी मर्द का पानी निकल जाता है और महसूस भी नहीं होता और यही पानी बच्चे की पैदाइश का सबब बन जाता है और जिसको अल्लाह तआला ने पैदा करना है वह पैदा हो ही जायेगा। आज के तरक्की याफ़्ता दौर में तो इन्सान के लिए मुमकिन है कि वह अपने मादा मनविया को रोक ले इसलिए मौजूदा दौर में भी मज़कूरा दो बातों की बुनियाद पर अज़ल न करना बेहतर है। हमारे कलाम का खुलासा बहर हाल यह है कि अगर कुफ्फार की तरह अज़ल इस ज़हन से किया जाये कि कहीं औलाद की कसरत न हो कि उन पर खर्च कहां से होगा और उनकी तरबियत कौन करेगा वग़ैरह तो उस समय अज़ल मकरूह की बजाये हराम है क्योंकि वे लोग अपनी औलाद को फकीरी

Scanned by CamScanner

20. निकाह में मियां और बीवी की नीयत क्या हो?

उन दोनों को चाहिए कि वे निकाह के ज़रिये गुनाह से बचें और अल्लाह तआला की हराम करदा चीज़ों से दूर रहने की नीयत करें ताकि मियां और बीवी का ताल्लुक भी उनके लिए सदका बन जाये। इस बात की दलील अबूज़र रज़ि. की हदीस है।

नबी करीम सल्ल. के सहाबा में से कुछ ने अर्ज़ किया—ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. अहले सर्वत (माल दौलत वाले) तो बहुत ज्यादा अज्र ले गये वे हमारी तरह नमाज़े पढ़ते हैं रोज़े भी रखते हैं और इसके (साथ-साथ) अपने मालों से सदका भी करते हैं। नबी सल्ल. ने फ़रमाया—"क्या अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए (कुछ चीजों को) सदक़ा नहीं बनाया। बेशक हर तसबीह सदका है हर तकबीर सदका है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है नेकी का हुक्म देना सदका है बुराई से रोकना सदका है। तुम्हारा (बीवी से हमबिस्तर होना) सदका है।" सहाबा ने अर्ज़ किया...ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. हम में से जब कोई अपनी शहवत पूरी करता है तो क्या यह भी उसके लिए सदका है? नबी सल्ल. ने फ़रमाया—"तुम्हारा क्या ख़्याल है अगर वह यही ताल्लुक हराम जगह पर करे तो इस पर गुनाह नहीं है?" सहाबा ने अर्ज किया" क्यों नहीं? आप सल्ल. ने फ़रमाया—''इसलिए जब वह हलाल जगह (बीवी या लौन्डी) के साथ यह ताल्लुक कायम करे तो उसके लिए सबाब है।'' इसके अलावा भी नबी सल्ल. ने कई चीज़ें शुमार की और

के डर से कत्ल कर देते थे लेकिन अगर औरत बीमार हो और कोई माहिर डाक्टर यह समझता है कि हमल की वजह से इसका मर्ज़ ज्यादा हो जायेगा तो मानेअ हमल दवाएं और अज़ल वग़ैरह जायज़ है और अगर मर्ज़ ज्यादा ही खतरनाक हो तो मानेअ हमल तरीका इस्तेमाल करना वाजिब है।

Scanned by CamScanner

उन्हें सदका कहते गये और आखिर में फ़रमाया चाश्त की दो रकाअतें इन सब से किफायत कर जाती हैं।"[1]

मैं कहता हूं कि शादी हर दफा तो नहीं मगर औरत से शादी के समय नीयत करना ज़रूरी है।

21. शादी से अगले दिन क्या करे

उसके लिए मुसतहब है कि वह शादी के अगले दिन अपने उन अज़ीज़ों के पास हाज़िर हो जो उसकी शादी में आये हुए हैं। उनको सलाम करे उनके लिए दुआ करे और उनको भी चाहिए कि वे उसको सलाम करें और उसके लिए बरकत की दुआ करें।

हज़रत अनस रज़ि. से मर्वी है–

"जब नबी सल्ल. ने हज़रत जैनब रज़ि. से शादी की तो आपने सहाबा किराम रज़ि. को पेट भर कर रोटी और गोश्त खिलाया। फिर आप सल्ल. उम्मेहातुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ ले गये। उनको सलाम किया और उनके लिए दुआ फरमाई। उन्होंने ने भी आप सल्ल. को सलाम किया और आप के लिए दुआ फ़रमाई आप सल्ल. शादी से अगले दिन यही अमल करते थे।"

22. घर में गुस्लखाना बनाना वाजिब है

मियां और बीवी पर लाज़िम है कि वे घर के अन्दर गुस्लखाना बनवायें। इनके लिए जायज नहीं है कि वे दोनों बाज़ार में मौजूद हमाम में (गुस्ल करने के लिए) जायें। बेशक यह काम हराम है इसके दलाइल मन्दरजा ज़ेल हैं।

---

1. इस हदीस की सनद इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है

इमाम सुयूती ने अज़कारुल अज़कार में फरमाया इस हदीस से पता चलता है कि बीवी से हमबिस्तर होना भी सदका है अगरचे इसमें नीयत न की जाये।

Scanned by CamScanner

(1) हज़रत जाबिर रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–

"जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वह अपनी बीवी को हमाम में दाख़िल न करे और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वह हमाम में कपड़ा बांधकर दाखिल हो और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वह किसी ऐसे दस्तरख़्वान पर न बैठे जिस पर शराब रखी गई हो।"

(2) हज़रत उम्मेदर्दा रज़ि. फरमाती हैं मैं हमाम से निकली तो नबी सल्ल. से मेरी मुलाकात हो गई। आप सल्ल. ने पूछा–"उम्मे दरदा कहां से आ रही हो? मैंने अर्ज़ किया–हमाम से आप सल्ल. ने फ़रमाया "उस ज़ात की क़सम जिसके कब्जअए क़ुदरत में मेरी जान है कोई औरत ऐसी नहीं जो अपनी माँओं (वालिदैन, खाविन्द) के घर के अलावा कपड़े उतारे। मगर यह कि उसने अपने और अपने रब के दरमियान तमाम पर्दो को पछाड़ डाला।"

(3) अबीमलीह फरमाते हैं शाम की औरतें हज़रत आयशा रज़ि. के पास आयी। आयशा रज़ि. ने पूछा–तुम कहाँ से हो उन औरतों ने अर्ज़ किया हम अहले शाम में से है। उन्होंने फ़रमाया–शायद तुम उस ज़िले (इलाका) से हो जहाँ औरतें हमाम में दाखिल होती हैं। हमने कहा हाँ। वे कहने लगी मैंने नबी सल्ल. को यह फरमाते हुए सुना–"कोई औरत ऐसी नहीं जो अपने घर के अलावा कहीं कपड़े उतारती हो। मगर यह कि उसने अपने और अल्लाह के दरमियान पर्दो को चाक कर दिया।"[1]

1. इमाम नसाई के अलावा सुनन के मुवल्लिफीन ने इसको रिवायत किया है सुनन दारमी तयालसी मुसन्द अहमद 25/28/3, मोजम इब्नुल आराबी 1/71, हाकिम 288/4 बग़वी की शरह अलसुन्नह 216/3, 2, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम बग़वी ने इसे हसन कहा है। यह हदीस शैख़ीन की शर्त पर सही है।

Scanned by CamScanner

23. मियां बीवी अपने राज़ दूसरों को ब्यान न करें

उन दोनों पर हराम है कि वे आपस के ताल्लुक की बातें और राज़ दूसरों को ब्यान करें। इस सिलसिले में दो हदीसें पेशे ख़िदमत हैं।

(1) आप सल्ल. का फ़रमान है–

"क़यामत के दिन अल्लाह तआला के यहाँ सबसे बुरा शख़्स वह है जो अपनी बीवी के पास आता है और वह उसके पास आती है फिर उन खुफ़िया ताल्लुकात की ख़बरें नशर करता है।"[1]

(2) असमा बिन्त यज़ीद नबी सल्ल. के पास बैठी थी जब कि दीगर मर्द और औरतें भी हाज़िर मजलिस थे।

आप सल्ल. ने फ़रमाया–

"शायद कुछ लोग वह कुछ ब्यान करते हैं जो अपनी बीवियों के साथ करते है और शायद कुछ औरतें वह कुछ बयान करती हैं जो वे अपने खाविन्द के साथ करती हैं?" लोग यह सुन कर खामोश रहे। मैंने कहा–"ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. बिल्कुल ऐसे ही है मर्द भी ऐसे करते हैं और औरतें भी यही कुछ करती हैं।" आप सल्ल. ने फ़रमाया– "हरगिज़ ऐसा न करो (ऐसा करना) ऐसे ही है कि एक मज़क्कर शैतान, मुअन्स शैतान को रास्ते में मिलता है और उसको वहीं ढांप लेता है (जिना करता है) जबकि लोग उनकी तरफ देख रहे होते है।"[2]

---

1. यह हदीस मुझे दुबारा तहकीक करने पर ज़ईफ़ महसूस हुई उल्माये सल्फ़ ने भी इसको ज़ईफ़ कहां है लेकिन इसके बाद आने वाली हदीस इसको तकवियत देती है इसमें रावी उमर बिन हमज़ा ज़ईफ़ है इमाम ज़हबी और याहया बिन मुईन ने इसे जईफ कहा। इमाम अहमद ने इसकी हदीस को मुनकर कहा है।
2. मुसनद अहमद, इब्ने अबी शीबा ने भी ऐसी ही हदीस नक्ल की है अबू दाऊद 339/1 बेहैकी, इब्ने सुन्नी 609 इस हदीस को मज़ीद दो हदीसें जो कि कसफु

Scanned by CamScanner

24. वलीमा करना वाजिब है

बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के बाद दुल्हा पर वलीमा वाजिब है। क्योंकि नबी करीम सल्ल. ने अब्दुल रहमान बिन औफ़ को वलीमे का हुक्म दिया था। इसी सिलसिले में दूसरी हदीस बरीदा बिन हसीब की है कि--

जब हज़रत अली रज़ि. ने फातिमा रज़ि. की तरफ़ शादी का पैग़ाम भेजा तो आप सल्ल. ने फ़रमाया--

"शादी करने वाले के लिए या शादी के लिए वलीमा ज़रूरी है।"[1]

वे कहते हैं यह सुनकर सईद रज़ि. ने कहा मेरे जिम्मे एक मैन्ढा है (यानि में दूंगा) कुछ ने कहा मैं इतने या इतने जौ पेश करूंगा। एक और रिवायत है कि अन्सार के कुछ लोगों ने उन (अली रज़ि.) के लिए चन्द किलो जौ जमा कर दिये।

25. वलीमा और सुन्नत तरीक़ा

1. बीवी से हमबिस्तरी के बाद तीन दिन तक वलीमा है यह नबी सल्ल. से साबित है। हज़रत अनस रजि. रिवायत करते हैं--

"नबी सल्ल. ने एक औरत के साथ शादी की तो मुझे भेजा कि मैं लोगों को खाने पर बुलाऊँ।[2]

लअसतार और हुलिया में है। तकवीयत देती है यह हदीस सही या कम से कम हसन है।

1. इस हदीस की सनद में अब्दुल करीम बिन सलीत है मगर उलमा ने इसकी रिवायत को क़बूल किया है। इब्ने हिबान ने इसे सिक़ा में शुमार किया है। 183/2
2. सही बुख़ारी 189/9, 149, बैहक़ी 260/7।

Scanned by CamScanner

उनसे ही रिवायत है–

"नबी सल्ल. ने हजरत सफ़िया रज़ि. से शादी की। आपने उनकी आज़ादी को ही उनका हक़ महर बनाया और आपने तीन दिन तक वलीमा किया।"[1]

2. उसे चाहिए कि वह वलीमें की दावत में नेक लोगों को बुलाये चाहे वे फ़कीर हों या दौलतमंद हों। क्योंकि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–

"तू नेक आदमी के अलावा किसी को अपना दोस्त न बना और तेरा खाना फ़क्त परहेजगार ही खायें।"[2]

3. वलीमा कम से कम एक बकरी या ज्यादा के साथ किया जाये। अनस रज़ि. की रिवायत है कि जब अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ि. मदीना तशरीफ़ लाये तो नबी सल्ल. ने सईद बिन रबीअ के साथ उनका भाईचारा क़ायम कर दिया। साअद रज़ि. उनको अपने घर ले गये। दोनों ने मिलकर खाना खाया तो सईद रज़ि. ने उनसे कहा देखों मेरे भाई मैं अहले मदीना या एक रिवायत में है कि मैं अन्सार में सबसे ज्यादा मालदार हूँ। आप ऐसा करें मेरा आधा माल ले लें। एक रिवायत में है कि साअद ने कहा आओ मेरे बाग़ में चलते हैं तुम आधा बाग़ ले लो। ऐ मेरे भाई मेरी दो बीवियां हैं देखों जो तुमको पसंद आती है उसका नाम लो मैं उसको तलाक दे दूँगा। जब उसकी इद्दत खत्म हो जायेगी तो तुम निकाह कर लेना। अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ि. कहने लगे अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं अल्लाह तेरे लिए तेरे अहल व अयाल व माल व दौलत में बरकत अता फ़रमाये।

---

1. अबू याअली ने इसको हसन सनद के साथ रिवायत किया है जैसा कि फतहुलबारी बारी में है। 199/9, इसका मायना देखे सही बुख़ारी 387/7
2. अबू दाऊद, तिर्मिजी, हाकिम 128/4, मुसनद अहमद 38/3, हदीस अबु सईद खुदरी इसकी सनद सही है इमाम ज़ैहबी ने भी मुआफ़िकत की।

Scanned by CamScanner

मुझे फ़क्त बाजार का रास्ता दिखा दो। उन्होंने उनको बाजार का रास्ता समझाया। उन्होंने वहां से कुछ खरीदा और वहीं बेच दिया और मुनाफा हासिल कर लिया। फिर वे मुसलसल बाज़ार जाते रहे और खरीद व फ़रोख़्त करते रहे।

एक दिन वे बाज़ार से पनीर और घी (बचा हुआ) घर लेकर आये कुछ दिन इसी तरह गुज़र गये। एक दिन ऐसा भी आया कि उनपर जाफ़रान से तैयार शुदा (शादी की मखसूस) खुशबू के असरात थे। एक रिवायत में (खुलूक) खुशबू का ज़िक्र है। नबी करीम सल्ल. ने उनको देखकर कहा यह क्या? उन्होंने अर्ज किया—ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. मैंने अन्सार की एक औरत से शादी कर ली है। आप सल्ल. ने पूछा—"तूने उसे (हक) महर क्या दिया है?" तो उन्होंने अर्ज किया—"चार या पाँच दिरहम के जितना सोना—" नबी. सल्ल. ने फ़रमाया—"अल्लाह तुझे बरकत अता फ़रमाये। वलीमा करो चाहे एक बकरी से।" (यह जाइज़ करार दिया) हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि. कहते हैं मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैं पत्थर उठाऊँ तो मुकम्मल उम्मीद है कि उसके नीचे सोना या चांदी होगी।

हज़रत अनस रज़ि. कहते हैं (अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि.) की वफ़ात के बाद उनकी हर बीवी के हिस्से में एक लाख दिरहम आये।

हज़रत अनस रज़ि. से यह रिवायत है कि नबी करीम सल्ल. ने जैसा वलीमा हज़रत ज़ैनब रज़ि. (के साथ शादी) पर किया ऐसा वलीमा मैंने आप को करते हुए नहीं देखा। बेशक आप सल्ल. ने बकरी ज़िब्हा की (लोगों को रोटी गोश्त इस क़दर खिलाया कि वे छोड़कर चले गये)।

26. गोश्त के बग़ैर भी वलीमा जायज़ है

इंसान के लिए जो मयस्सर हो उसी से ही वलीमा किया जा सकता है अगरचे इसमें गोश्त न हो। हज़रत अनस रजि. की हदीस में है—

Scanned by CamScanner

"नबी सल्ल. ने खैबर और मदीना के दरमियान तीन रातें कयाम किया। इस दौरान आप ने हज़रत सफ़िया रज़ि. से शादी की। आपने मुसलमानों को वलीमा की दावत दी। हालांकि उसमें गोश्त था और न ही रोटी। आप सल्ल. ने चमड़े का दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। दस्तरख्वान बिछा दिया गया। (एक रिवायत में है कि ज़मीन को साफ किया गया अच्छी तरह साफ़ करना) फिर चमड़े का दस्तरख्वान लाया गया और उस साफ़ की हुई ज़मीन पर उसे बिछाया गया। फिर उस पर खजूरें, खुश्क दूध और घी चुन दिया गया। (जो लोगों ने सैर होकर खाया)।"

27. खाते पीते लोगों से मदद और वलीमें की दावत

उसके लिए मुस्तहब है कि वह खाते पीते लोगों को वलीमें की तैयारी में शरीक करे। इसकी दलील हज़रत अनस रज़ि. की हदीस है। जिसमें हज़रत सफिया रज़ि. के साथ नबी सल्ल. की शादी का क़िस्सा मज़कूर है।

"आप सल्ल. रास्ते में ही थे तो उम्मे सुलैम ने सफिया रज़ि. को आप सल्ल. के लिए तैयार किया और रात को आपके पास भेज दिया। आपने सुबह इस हाल में की कि आप दुल्हा बन चुके थे। आप सल्ल. ने फ़रमाया जिसके पास जो कुछ है वह ले आये। एक रिवायत में है कि जिसके पास कुछ बच गया वह ले आये। चमड़े का दस्तरख्वान बिछा दिया गया। कोई खुश्क दूध, कोई खजूरें और कोई घी ले आया। इन (सब चीजों) से खाना तैयार किया गया। लोगों ने खाया और क़रीब ही एक तालाब से बारिश का पानी पिया। तो यह नबी सल्ल. का वलीमा था।"[1]

---

1. मुत्तफ़क़ अलैहि, मुसनद अहमद, 195, 102/3,,,,,, इब्ने साअद 123, 122/8, बेहैक़ी 259/7।

Scanned by CamScanner

28. केवल अमीर लोगों को दावत वलीमा पर बुलाना हराम है

फ़कीरों को नज़र अन्दाज करके केवल मालदार लोगों को वलीमें की दावत में बुलाना नबी सल्ल. के इस फ़रमान की बिना पर हराम है।

"तमाम खानों में सबसे बुरा खाना ऐसे वलीमें का है जिसमें अमीरों को बुलाया गया हो और ग़रीब लोगों को नज़र अन्दाज कर दिया गया हो और जो कोई दावत कबूल न करे उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. की ना फ़रमानी की।"[1]

29. दावत में हाज़िर होना वाजिब है

जिसको वलीमें की दावत में बुलाया जाये उस पर वाजिब है कि वह दावत में हाज़िर हो। इन दो अहादीस को देखें।

(1) क़ैदी को आजाद कराओ, दावत को कुबूल करो, और मरीज़ की इयादत करो।[2]

(2) "जब तुममें से किसी को वलीमें की दावत में बुलाया जाये तो वह (शादी वग़ैरह) पर हाज़िर हो। जो ऐसी दावत को कुबूल न करे उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।"[3]

---

1. सही मुस्लिम 154/2, बेहैकी 262/7, इमाम बुखारी रह. ने इस रिवायत को मौकूफ ज़िक्र किया है, देखिये सही बुख़ारी 201/9, हाफिज़ इब्ने हजर ने इसकी सनद मरफ़ूअ जिक्र की है। इस हदीस से यह भी पता चलता है कि अगर वलीमें के अलावा आम दावत में केवल अमीर लोग बुला लिये जायें तो कोई हरज नहीं।
2. सही बुखारी 198/9, अब्द बिन हमीद ने इस रिवायत को अलमुन्तखिब फ़ी मुसनद में नक्ल किया है 1/65।
3. सही बुखारी 198/9 सही मुस्लिम 152/4 मुसनद अहमद 6337, बेहैकी 262/7 इस हदीस से पता चलता है कि दावत वलीमें में हाज़िर होना वाजिब है क्योंकि

Scanned by CamScanner

30. वलीमें में हाज़िर हो अगरचे वह रोज़ादार हो

रोज़ेदार के लिए भी नबी सल्ल. के इस फ़रमान की बिना पर दावत वलीमा में हाज़िर होना वाजिब है।

"अगर तुम में से किसी को दावत पर बुलाया जाये तो वह जरूर हाज़िर हो अगर वह रोजा के बग़ैर हो तो खा ले और अगर रोज़ेदार हो तो दुआ कर दे।"[1]

31. दावत देने वाले के कहने पर रोज़ा इफ्तार करना

अगर उसने नफ़ली रोज़ा रखा हुआ हो तो इफ्तार कर दे। खुसूसन जब वलीमा करने वाला इसरार कर रहा हो इस सिलसिले में ये हदीस मुलाहिज़ा फ़रमाये।

(1) "जब तुमसे से किसी एक को खाने की दावत दी जाये तो वह ज़रूर हाज़िर हो अगर वह चाहे तो खा ले अगर चाहे तो तर्क कर दे।"[2]

(2) "नफली रोजा रखने वाला अपनी मर्ज़ी का मालिक है अगर चाहे तो रोज़ा (बाक़ी) रखे और चाहे तो इफ्तार कर दे।"[3]

अल्लाह और उसके रसूल की ना फरमानी का परवाना तो केवल वाजिब छोड़ने पर ही मिलता है।

1. सही मुस्लिम 153/4 इमाम नसाई ने इसको अलकुबरा में रिवायत किया है (2/62) मुसनद अहमद 507/2 बेहैकी 263/7।
2. सही मुस्लिम मुसनद अहमद 392/3, अलमुनतखिब 1/116 अल मुश्किल लिल तहावी 148/4 इस हदीस की शरह में इमाम रह. फरमाते हैं अगर उसने नफली रोजा रखा हो और दावत करने वाला इसरार कर रहा हो तो वह रोज़ा इफ्तार कर दे। यह उसके लिए अफज़ल है। इब्ने तैमियह रह. का फतवा भी यही है देखिये फ़तावा 143/4।
3. बेहैकी 276/4 अल कुबरा इमाम नसाई 2/64 हाकिम 439/3 इसकी सनद सही है इमाम ज़हबी ने मुआफ़िक्त की है सिमाक की सनद से यह रिवायत

Scanned by CamScanner

(3) हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं–

के दिन रसूलुल्लाह सल्ल. मेरे पास तशरीफ़ लाये और पूछा–"क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है?" मैंने अर्ज किया नहीं। आप सल्ल. ने फ़रमाया–"मैं फिर रोज़े से हूँ।" फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे किसी ने हैस (खजूर, सत्तू, घी का हलवा) हदया दिया। मैंने नबी सल्ल. के लिए रख दिया क्योंकि आप हैस बहुत पसन्द करते थे। आयशा रज़ि. ने अर्ज़ किया–"ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. मुझे हैस हदया दिया गया है मैंने आपके लिए बचा के रखा हुआ है।" आप सल्ल. ने फ़रमाया–"जाओ लेकर आओ", फिर फ़रमाया–"सुबह तो मैंने रोज़ा रख लिया था।" आप सल्ल. ने इससे खाया फिर कहने लगे–"बेशक नफली रोज़े की मिसाल उस आदमी की तरह है जो अपने माल से सदका करता है अगर वह चाहे तो सदक़ा कर ले चाहे तो रोक ले।"[1]

मरवी है और सिमाक इस हदीस को रिवायत करने में अकेला नहीं है। शोअबी ब्यान करते हैं मुझे जायदा ने उम्मे हानी से यह हदीस रिवायत की। शोअबी कहते हैं मैंने जाअदा से कहा क्या तुमने इसे उम्मे हानि से सुना है वे कहते हैं मुझे मेरे अहल और अबू सालेह उम्मे हानि के गुलाम ने ब्यान की है। इसे दारकुतनी ने इफराद में रिवायत किया है (31, 30/2) बेहैकी, मुसनद अहमद 341/6 कामिल बिन अदी 12/59 इसकी तीसरी शाहिद हदीस को अबू दाऊद ने नक्ल किया है (तम्बीह) अरनाउत ने अबी सालेह बाजाम जो उम्मे हानि के गुलाम हैं की वजह से इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है और कहा है कि नासिरुद्दीन अल-बानी पर मामला खलतमलत हो गया है। इनका यह दावा सही नहीं है। यह हदीस तीन सनदों से मरवी होने की वजह से मज़बूत है। हमने इस हदीस के शवाहिद जिक्र कर दिये हैं जो इसके सही होने के लिए काफी हैं।

1. सुनन नसाई, और उसकी सनद सही है मैंने अरवाउत ग़लील में इसकी वज़ाहत कर दी है (135/4, 234)

Scanned by CamScanner

32. नफली रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं है

अगर कोई आदमी नफ़ली रोज़ा इफ़्तार कर देता है तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है इस मसले में दो हदीसें मुलाहेज़ा फ़रमाएं।

(1) हज़रत अबु सईद खुदरी रज़ि. से रिवायत है कि वे कहते हैं–

"मैंने नबी सल्ल. के लिए खाना तैयार किया। आप अपने सहाबा रज़ि. के साथ हमारे यहाँ तशरीफ लाये। जब खाना चुन दिया गया तो उनमें से एक आदमी ने कहा मैं तो रोज़े से हूँ। नबी सल्ल. ने फ़रमाया–"तुम्हारे भाई ने तो तुमको बड़ी अच्छी दावत पर बुलाया है फिर उसको फ़रमाया–"रोज़ा इफ्तार कर दे। अगर तू चाहे तो इस दिन की जगह रोज़ा रख लेना।"[1]

(2) हज़रत अबी हज़ैफ़ा फ़रमाते हैं कि "बेशक नबी सल्ल. ने सलमान रज़ि. और अबु दरदा रज़ि. के दरमियान भाई चारा क़ायम किया। एक दिन सलमान अबी दरदा के पास आये तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी ज़ेब व ज़ीनत तर्क किये हुए है। उन्होंने पूछा–ऐ उम्मे दरदा तुझे क्या हुआ है? वे कहने लगी–तेरा भाई (अबू दरदा) रात को नमाज़ में लगा रहता है और दिन को रोज़ा रखता है और दुनिया की किसी चीज़ से उसे दिलचस्पी नहीं है इतने में अबू दरदा तशरीफ़ लाये। उन्होंने (सलमान रज़ि.) को मरहबा कहा और साथ ही खाना पेश कर दिया। सलमान रजि. ने कहा आप भी खाईयें उन्होंने कहा मैं तो रोज़े से हूँ। सलमान रजि. कहने लगे–मैं तुझे कसम देता हूँ कि तुम रोज़ा जरूर इफ्तार करो। मैं उस समय तक खाना नहीं खाऊँगा जब तक तुम नहीं खाओगें" (अबू दरदा) ने उनके साथ खाना खाया

---

55. बेहैकी 279/4 इसकी सनद हसन है। देखिये फ़तहुल बारी 170/4
मैं कहता हूँ इसको तबरानी ने औसत में रिवायत किया है (1/132/1) मैंने अरवाह में इसको जिक्र किया है (1952)।

Scanned by CamScanner

(सलमान रज़ि.) उनके पास ही रात ठहरे। जब रात को सोने का वक़्त हुआ तो अबू दरदा ने क़याम करने का इरादा किया तो सलमान रज़ि. ने उनको मना कर दिया और कहने लगे–ऐ अबू दरदा तेरे ऊपर तेरे जिस्म का भी हक़ है। (तेरे ऊपर तेरे मेहमान का भी हक है) तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक है। तू रोज़ा रख और इफ्तार भी कर तू नमाज़ भी पढ़ और अपने घर वालों के पास भी समय गुजार। हर हक़ वाले को उसका हक़ पूरा अदा कर। जब सुबह करीब थी तो सलमान ने कहा--अगर तू चाहता है तो अब उठ जा। यह कहते ही दोनों उठे, वजू किया नमाज़ तहज्जुद पढ़ी फिर सुबह नमाज के लिए चले गये। अबू दरदा नबी सल्ल. के क़रीब हुए ताकि उन्हें इसकी खबर दे सकें जो उनके साथ रात को सलमान रज़ि. ने किया। नबी सल्ल. ने फ़रमाया–"ऐ अबू दरदा बेशक तेरे ऊपर तेरे जिस्म का हक है" फिर वही कुछ कहा जो उनको सलमान रजि. ने कहा था। एक रिवायत में कि आप सल्ल. ने फ़रमाया सलमान ने बिल्कुल सच कहा है।"[1]

33. अल्लाह की ना फ़रमानी पर मुश्तमिल दावत में न जाना

अगर किसी दावत में अल्लाह की ना फ़रमानी का इरतिकाब किया जा रहा हो तो उसमें हाज़िर होना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। हाँ अगर वह उस बुराई को वाज़ेह करने समझाने या उसको खत्म करने की ग़रज़ से जाये तो जायज़ है। इस सिलसिले में अहदीस देखी जा सकती हैं।

(1) हज़रत अली रज़ि. से रिवायत है कि "मैंने अपने घर में खाना तैयार करके नबी. सल्ल. को दावत दी। जब आप सल्ल. तशरीफ लाये, आपकी नज़र घर में मौजूद तस्वीर पर पड़ी तो आप वापस चले गये। (अली रज़ि.) कहते हैं--मैंने अर्ज़ किया–मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा

Scanned by CamScanner

हों आपको किस चीज़ ने वापस जाने पर मजबूर कर दिया है? आप सल्ल. ने फ़रमाया—"बेशक तुम्हारे घर में एक ऐसा पर्दा लटका हुआ है जिसपर तस्वीर है यक़ीनन (रहमत) के फ़रिशते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस में तस्वीरें हों।"

(2) हज़रत आयशा रज़ि. से रिवायत है—

"उन्होंने एक तकिया खरीदा जिस पर तस्वीर बनी हुई थी। जब नबी सल्ल. की नज़र उस पर पड़ी तो आप घर के दरवाज़े पर ही खड़े हो गये और अन्दर दाखिल नहीं हुए। वे कहती हैं। मैंने आप के चेहरे पर नापसन्द दीदगी के असरात देखकर अर्ज़ किया। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. की तरफ़ रुजूअ करती हूँ मुझे बताएं मेरा गुनाह क्या है? आप सल्ल. ने फ़रमाया—यह तकिया किस लिए यहाँ सजा है? मैंने अर्ज किया मैंने आपके लिए खरीदा है ताकि आप इस पर टेक लगा सकें और अपने सिर के नीचे रख सकें। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"ये तस्वीरें बनाने वाले (और एक रिवायत में है वे लोग जो तस्वीरें बनाने का काम करते हैं) क़यामत के दिन उनको अज़ाब दिया जायेगा और उनको कहा जायेगा जिसको तुमने बनाया उसे जिन्दा करो और बेशक वह घर जिसमें इस तरह की तस्वीरें हों (रहमत के) फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। वे फ़रमाती हैं—आप सल्ल. उस समय तक घर में दाखिल नहीं हुए जब तक मैंने उस तकिये को घर से निकाल नहीं फेंका।[1]

---

56. सही बुखारी 204/9, 319/10, 320, सही मुस्लिम 144/41, मुसनद तयालसी 358/1, 359 बेहैकी 267/7 बग़वी 2/23/3 उसमें इस बात की दलील है जिसमें मुसलमान को किसी ऐसे वलीमें वग़ैरह पर बुलाया जाये जहाँ अल्लाह की नाफ़रमानी हो रही हो तो उसपर वाजिब है कि वह वहां न जाये। हाँ उसका इरादा समझाने या तम्बीह करने का हो तो अलग बात है।

Scanned by CamScanner

(3)—आप सल्ल. ने फ़रमाया

"जो शख़्स अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यक़ीन रखता है वह ऐसे दस्तरख़्वान पर न बैठे जिस पर शराब रखी गई हो।"[1]

हमने जो राय ब्यान की है उसपर सल्फ सालिहीन का अमल था इस मामले में और भी बेशुमार मिसालें ब्यान की जा सकती हैं। चन्द एक मिसाल जो मुझे याद हैं उनके जिक्र पर ही इक्तिफा करूँगा।

मैं कहता हूँ बज़ाहिर यह हदीस हज़रत आयशा रज़ि. की इस हदीस के खिलाफ महसूस होती है जो मसला नम्बर 38 के तहत आ रही है जिसमें उस तकिए को फाड़कर इस्तेमाल करने का जिक्र है (गुजिश्ता से पेविस्ता) बाज़ उलमा ने दोनों अहादीस का मुशतरका मफहूम ब्यान किया है कि अगर तस्वीर की शक्ल वदल जाये, फाड़ दी जाये या उसकी असली शक्ल खत्म हो जाये तो उसका इस्तेमाल जायज है वे कहते हैं इस मफहूम की ताईद आने वाली हदीस से होती है मगर हकीकत यह है कि दोनों हदीसों में जमा के साथ-साथ आखिरी अल्फाज़ का ख्याल रखा जाये जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि तस्वीर वाला तकिया इस्तेमाल करना मना है आपने इसका इन्कार कर दिया था हाँ अगर सूरतेहाल यह हो कि उसका खत्म करना ना मुमकिन हो तो फिर माल की बर्बादी से बचते हुए उसकी शक्ल बदलकर इस्तेमाल करना जायज है।

इस हदीस में यह अल्फाज़ कि फरिश्ते तस्वीर वाले घर में दाखिल नहीं होते। आप सल्ल. ने इससे पहले एक और जुमला जिक्र किया कि तस्वीरें बनाने वाले या तस्वीरों का काम करने वाले। यह कलाम तस्वीरें बनाने से रोकने और डांट के लिए है। जब इसके बनाने वाले के लिए इतनी सख्त वईद (सज़ा) है तो इस्तेमाल करने वाले के लिए तो अपने आप ही है क्योंकि कोई भी चीज़ किसी न किसी इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाला दोनों ही वईद में दाखिल हैं।

1. मुसनद अहमद अन अमर तिर्मिज़ी इमाम हाकिम ने इस रिवायत को हसन कहा है, और जाबिर रजि. ने इसको सही कहा है। इमाम ज़हबी ने मुआफिकत की है अरवाऊल ग़लील 1949।

Scanned by CamScanner

(अलिफ) हज़रत उमर रज़ि. के गुलाम असलम रज़ि. ब्यान करते हैं जब उमर रज़ि. शाम आये तो ईसाइयों के एक आदमी ने उनकी दावत की और उनसे कहने लगा मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे घर अपने साथियों सहित तशरीफ लायें और मेरी हौसला अफ़जाई करें। यह आदमी शाम के सरदारों में से था। उसको हज़रत उमर रज़ि. कहने लगे।

"हम तुम्हारे गिरजाघरों में मौजूद तस्वीर की वजह से दाखिल नहीं होते।"[1]

(बा) अबू मसऊद और उक्बा बिन अम्र रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने उनकी दावत की और उनके लिए बढ़िया खाना तैयार किया—जब उसने उनसे आने की दरख्वास्त की तो वे पूछने लगे क्या घर में तस्वीरें हैं? उसने कहा जी हां। उन्होंने घर में दाखिल होने से

---

58. बेहैक़ी 267/7 इसकी सनद सही है। याद रखो हज़रत उमर रज़ि. के कौल में इस बात की वाज़ेह दलील है कि जो कुछ आज कल के उलमा व मशाइख़ कर रहे हैं यह बिल्कुल ग़लत है वे कुछ ग़ैर मुस्लिम जिम्मेदारों की दावत पर गिरजाघरों और चरचों में जाते हैं हालांकि वे तस्वीर और बुतों से भी भरे हुए होते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि वे वहाँ जाकर कलिमा कुफ़्र के अलफाज़ भी सुनते हैं कभी-कभी बात करने वाला वैसे ही मुसलमान होता है फिर उस पर खामोश रहते हैं वहाँ पर शरीअत का हुक्म वाज़ेह करने की तकलीफ गवारा नहीं करते ये उस बात से भी भली प्रकार आगाह हैं कि वे लोग बरमला कहते हैं। मुसलमान और ईसाई में इस लिहाज़ में कोई फ़र्क़ नहीं क्योंकि दीन तो अल्लाह के लिए है जबकि वतन तो सबका मुशतरक है। इसी तरह कुछ मशाइख ग़ैर मुस्लिम के लिए गवाही का दावा करते हैं जबकि उन्हें यह इल्म है कि एक मुसलमान के लिए भी गवाही मशहूर व मारूफ शर्तों की बुनियाद पर ही दी जा सकती है। इसके अलावा दीगर कई मशाइख ग़ैर शरअी कामों के होते हुए भी उनके कलिसाओं में हाजिरी देते हैं इस पर यही कहा जा सकता है— اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.

Scanned by CamScanner

इन्कार कर दिया। यहां तक कि उन तस्वीरों को खत्म किया गया फिर वे दाखिल हुए।"[1]

(ज) इमाम औज़ाई रह. फरमाते हैं—

"हम उस वलीमें में हाज़िर नहीं हो सकते हैं जिसमें तबला या सारंगी वग़ैरह हो।"[2]

34. दावत में हाज़िर होने वाले के लिए क्या मुस्तहब है?

जो आदमी दावत में हाज़िर हो उसको दो चीज़ों का एहतेमाम करना मुस्तहब है।

पहली चीज़—खाना खाने से फ़ारिग़ होने के बाद दावत करने वाले के लिए दुआ करे क्योंकि नबी सल्ल. से इसी तरह साबित है। इस दुआ की कई क़िस्में हैं। अब्दुल्लाह बिन बसर रिवायत करते हैं कि उनके बाप ने नबी सल्ल. के लिए खाना तैयार किया। उन्होंने आप सल्ल. को बुलाया। आप सल्ल. दावत में हाज़िर हुए। जब खाना खा कर फ़ारिग़ हुए तो कहा—

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ))

"ऐ अल्लाह तू इनको बख़्श दे इनपर रहम फ़रमा और इनके लिए रिज़्क़ में बरकत अता कर।"

मिकदाद रज़ि. रिवायत करते हैं—

"मैं और मेरे दो साथी नबी सल्ल. की खिदमत में हाज़िर हुए। हमें शदीद भूख लगी हुई थी। हमने लोगों के सामने इसका इज़हार किया मगर किसी ने हमारी मेहमान नवाज़ी न की। नबी सल्ल. हमें

---

1. बेहैक़ी इसकी सनद सही है जैसा कि इब्ने हजर ने इसकी वज़ाहत की है। देखे फ़तहुलबारी 204/9
2. फवाइदुलमिश्कात 1/3/4 इसकी सनद सही है।

Scanned by CamScanner

अपने घर में ले गये जहाँ पर चार बकरियाँ थी। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"ऐ मिकदाद इन चारों का दूध हमारे दरमियान तकसीम कर दो। इसी तरह मैं उन चारों बकरियों का दूध अपने दरमियान तक़सीम कर दिया करता और नबी सल्ल. का हिस्सा उनको दे देता। एक रात नबी सल्ल. लेट हो गये। मैंने अपने दिल में सोचा कि आप किसी अन्सारी सहाबी के घर गये। वहाँ से खूब सैर होकर खा पी लेंगे। अगर मैं उनके हिस्से का दूध पी लूं (तो कोई बात नहीं) मैं इसी तरह सोचता रहा। आखिरकार उठा और मैंने नबी सल्ल. के हिस्से का दूध पी लिया। फिर मैंने वह बर्तन इसी तरह ही ढांप दिया। जब मैं दूध पी कर फ़ारिग़ हुआ तो मुझे इन्तिहाई अफ़सोस हुआ कि मैंने जो किया अच्छा नहीं किया। मैं अपने आप से कहने लगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्ल. आयेंगे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसी सोच में गुम मैंने नींद की ग़रज़ से अपने आप को कपड़े में ढांप लिया। मेरे ऊपर एक ऐसी चादर थी जो भेड़ की ऊन से बनाई गई थी। जब मैं उसमें अपना सर छुपाता तो पाँव नंगे हो जाते और जब पाँव छुपाता तो सर नंगा हो जाता। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं अपने आप से बातें कर रहा था जबकि मेरे दो साथियों को कुछ खबर न थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नबी सल्ल. तशरीफ ले आये और इस अन्दाज़ से सलाम किया कि जो जाग रहा हो वह सुन ले और जो सो रहा हो वह बेदार या बेआराम न हो। आप मस्जिद में तशरीफ लाये। नमाज़ पढ़ी। फिर उस प्याले से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें कुछ नहीं है। आप ने फ़रमाया—"ऐ अल्लाह जो मुझे खिलाए तू उसे खिला और जो मुझे पिलाये तू उसे पिला।" मैंने यह मौक़ा ग़नीमत जाना मैंने बड़ी छुरी पकड़ी और बकरियों के पास आया। मैं उन्हें छूने लगा कि इनमें से मोटी कौन सी है ताकि मैं अपने नबी सल्ल. के लिए ज़िब्हा कर सकूँ। मैं अभी यह जायज़ा ले रहा था कि मेरा हाथ

Scanned by CamScanner

एक बकरी के थन को लगा जो दूध से भरा हुआ था। मैंने जल्दी से वह बर्तन पकड़ा जो आमतौर पर दूध के लिए आप सल्ल. इस्तेमाल नहीं करते थे। मैंने उसमें दूध दुहना शुरू किया यहां तक कि वह भर गया। मैं उसे लेकर नबी सल्ल. की खिदमत में हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया—"ऐ मिकदाद! क्या तुम लोगों ने अपने हिस्से का दूध पी न लिया था?" वह कहते हैं मैंने अर्ज़ किया—"ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. यह पीजिये।" आपने मेरी तरफ़ सर (चेहरा) मुबारक उठाया और फ़रमाया—"ऐ मिकदाद! अपना सतर दुरुस्त करो, बताओ बात क्या थी?" मैंने कहा "आप पहले दूध पीजिए फिर बताऊँगा।" आपने खूब सैर होकर पिया फिर मुझे पकड़ाया और मैंने भी पिया। जब मुझे अंदाजा हुआ आप सैर हो चुके हैं और आपकी दुआ मुझे पहुँच चुकी है। मैं हँसने लगा यहां तक कि ज़मीन पर गिर गया। आप सल्ल. ने पूछा—"क्या बात है?" मैंने उन्हें सारा वाक़िया सुनाया। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"यह बरकत तो आसमान से नाज़िल हुई थी तुमने मुझे पहले क्यों न बताया? हम अपने दूसरे दो साथियों को यह (बरकत वाला) दूध पिला देते।" मैंने अर्ज़ किया—"उस ज़ात की क़सम जिसने आप को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है। जब मुझे और आपको यह बरकत हासिल हो गई तो इस बात की कोई परवाह नहीं कि किस-किस को यह नहीं पहुँची।"[1]

दूसरी चीज़—अनस रज़ि. के अलावा किसी सहाबी का ब्यान है कि नबी सल्ल. अन्सार के पास तशरीफ लाए। जब आप अन्सार के घरों में पहुँच जाते तो बच्चे भागकर आते आपके इर्द-गिर्द जमा हो जाते। आप उनके लिए दुआ करते उनके सरों पर हाथ फेरते उनको

1. इस हदीस का कुछ हिस्सा इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। 394/3 इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को सही कहा है और हरबी ने भी इसको अलगरीब में सही कहा है। 1/189/5।

Scanned by CamScanner

सलाम करते। एक दिन चलते-चलते साद बिन उबादा रज़ि. के घर तशरीफ लाये। जब आप दरवाज़े पर पहुँचे तो साद से इजाज़त तलब की और कहा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि (तुम पर सलामती और अल्लाह की रहमत नाज़िल हो) साद रज़ि. ने कहा वाअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि (आप पर भी सलामती और अल्लाह की रहमत नाज़िल हो) उन्होंने इतना धीमे जवाब दिया कि नबी. सल्ल. ने नहीं सुना। आप सल्ल. ने तीन बार ऐसे ही किया। साद रज़ि. ने भी तीन बार ही आहिस्ता से जवाब दिया। जो कि नबी सल्ल. सुन सकें। नबी सल्ल. तीन बार से ज्यादा सलाम नहीं किया करते थे। अगर आप को इज़ाजत दी जाती तो बेहतर वरना आप सल्ल. वापस चले जाते। नबी. सल्ल. वापस हुए तो उनके पीछे-पीछे हज़रत साद रज़ि. निकले और अर्ज़ किया--ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. मेरे माँ-बाप आप पर कुरबान हों। मैंने हर बार आप का सलाम सुन लिया था मगर यह बात मुझे ज़्यादा पसंद थी कि आप हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा सलामती और बरकत का तज़किरा (दुआ) करें। (पस दाखिल हो जाइए) फिर वे नबी सल्ल. को अपने घर में ले गये और आप सल्ल. की खिदमत में ज़बीब (किशमिश) पेश की। नबी सल्ल. ने उसको खाया जब आप फ़ारिग़ हुए तो कहा—

((أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ.))

"तुम्हारा खाना नेक लोग खाते रहें तुम पर फ़रिशते रहमतें नाज़िल करते रहें और तुम्हारे पास रोजेदार रोज़ा इफ्तार करते रहे।"[1]

1. जान लो, यह दुआ सिर्फ रोज़ेदार के लिए इफ्तार के समय के साथ खास नहीं है। यह कहना कि तुम्हारे पास रोज़ा इफ़्तार करते रहें। यह मेज़बान के लिए केवल, तौफीक, हिम्मत की दुआ है। यहां तक कि उसके पास रोज़ेदार भी

Scanned by CamScanner

दूसरी चीज़—उसे चाहिए कि वह वलीमा करने वाले और उसकी बीवी के लिए खैरो-बरकत की दुआ करे। इस सिलसिले में ये हदीसें मुलाहेज़ा हों।

1. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है—

मेरा बाप गुज़र गया उसने अपने वुरसा में सात या नौ लड़कियां छोड़ी। मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली। मुझे नबी सल्ल. ने कहा—"ऐ जाबिर क्या तूने शादी कर ली है?" मैंने अर्ज़ किया—जी हाँ। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"कुंवारी के साथ या बेवा के साथ?" मैंने अर्ज किया—बेवा के साथ। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"तूने कुंवारी लड़की से शादी क्यों न की। तू उसके साथ खेलता और वह तेरे साथ खेलती। तू उसको हँसाता वह तुझको हँसाती।" मैंने अर्ज़ किया—बेशक मेरा बाप गुज़र गया है और उसने सात या नौ लड़कियां पीछे छोड़ीं है। मैंने यह बात नापसंद की है कि उन जैसी ही एक औरत ले आऊं। मैंने इसलिए एक बड़ी औरत से शादी की कि वह उनका ख़्याल रखे और उनकी इस्लाह करे। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"अल्लाह तुझे बरकत अता फ़रमाये। या फिर यह कहा मुझे भलाई की दुआ दी।"[1]

2. बरीदा रज़ि. से रिवायत है वे फरमाते हैं अंसारियों की एक जमाअत ने अली रज़ि. को फ़ातिमा रज़ि. से शादी करने का मशवरा

रोज़ा इफ्तार करें और यह कि वह उस दावत की तरह रोज़ा इफ्तार करवाने का सवाब भी हासिल करें। वैसे भी हदीस में यह तखसीस नहीं कि आप इस समय रोज़े से थे इसलिए इसको केवल रोज़ेदार के लिए खास करना सही नहीं होगा। रही वह हदीस जो हज़रत इब्ने जुबैर से मरवी है कि नबी सल्ल. ने रोज़ा इफ्तार किया। सख़्त जईफ है कसीर रिवायत हज़रत अनस रज़ि. से भी मरवी है मगर याहया बिन अबी कसीर का हज़रत रज़ि. से सुनना साबित नहीं है लिहाज़ा यह भी ज़ईफ है।

1. सही बुखारी 423/9, सही मुस्लिम 176/4

Scanned by CamScanner

दिया। वे अल्लाह के रसूल सल्ल. की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्ल. ने पूछा—"ऐ अबू तालिब के बेटे क्या बात है?" उन्होंने अर्ज़ किया—"ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. (कुछ लोगों की तरफ़ से) मेरे पास फ़ातिमा का ज़िक्र किया गया है।" आप सल्ल. ने फ़रमाया—"तेरा आना मुबारक हो खुश आमदीद इसके अलावा आपने कोई बात नहीं की। अली रज़ि. उन अंसारी लोगों के पास वापस गये जो आपका इन्तिज़ार कर रहे थे। वे पूछने लगे क्या खबर लाये हो? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं मगर आपने सिर्फ़ मरहबा और एहलन कहा है। वे कहने लगे? नबी सल्ल. की तरफ़ से इन दो अल्फ़ाज़ में से एक भी तेरे लिए काफ़ी था। उन्होंने आपको अपना दामाद तसलीम कर लिया है और आपको खुश आमदीद कहा है। कुछ दिन इसी तरह गुज़र गये। जब अली रज़ि. की शादी का समय आया तो आप सल्ल. ने कहा—"ऐ अली दुल्हा के लिए वलीमा जरूरी है।" साद रज़ि. ने कहा—मेरे पास मेन्ढा है। अन्सार के कुछ लोगों ने उनके लिए कुछ जौ वग़ैरा जमा किए। जब शादी की रात आई तो नबी सल्ल. ने अली रजि. को फ़रमाया- "मुझे मिलने से पहले किसी से कोई बात नहीं करना।" नबी सल्ल. ने पानी मंगवाया उसमें वज़ू किया फिर उसको अली रज़ि. पर बहा दिया और कहा—

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَ بَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا))

"ऐ अल्लाह इन दोनों में बरकत पैदा फ़रमा और इनकी सुहागरात को बा-बरकत बना।"

3. हज़रत आयशा रज़ि. फरमाती हैं—"जब मेरे साथ नबी सल्ल. ने शादी की तो मेरे पास मेरी वालिदा आई। उन्होंने मुझे एक घर में दाखिल किया। वहाँ अन्सार की कुछ औरतें मौजूद थी वे कहने लगी "(आपकी शादी) खैरो-बरकत की शादी हो और नेक शगुन (नसीब) के साथ हो।"

Scanned by CamScanner

4. हज़रत अबू हुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि जब कोई आदमी शादी करता तो आप सल्ल. उसको दुआ देते और फ़रमाते—

((بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ. وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلٰى خَيْرٍ))

"अल्लाह तुझे बरकत अता फ़रमाये और अल्लाह तेरे ऊपर बरकतों का नुजूल फरमाये और तुम दोनों को भलाई पर जमा करे।"[1]

35. (अल्लाह का नाम छोड़कर) दुनिया की मुबारक बाद देना जिहालत का काम है।

शादी करने वाले को केवल नरीना औलाद या दुनियावी कामयाबियों की मुबारकबाद देना सही नहीं है जिस तरह कुछ जाहिल लोगों का तरीक़ा है। इस बात से हदीस में मना किया गया है जिसमें से कुछ का तज़किरा यह है।

हज़रत हसन रज़ि. से रिवायत है कि अक़ील बिन अबी तालिब ने एक क़बीले की किसी औरत से शादी की। कुछ लोग उनके पास आये और उन्हें भलाई (खुशहाली नरीना औलाद) की मुबारकबाद देना शुरू कर दी तो उन्होंने फ़रमाया—"ऐसा मत करो। अल्लाह के नबी सल्ल. ने इससे मना किया है" वे कहने लगे—"ऐ अबू ज़ैद फिर हमें क्या कहना चाहिए?" उन्होंने फ़रमाया—"तुम यह कहो—

((بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَ بَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذٰلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ))

"अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाये तुम्हारे ऊपर बरकतों का नुजूल फ़रमाये। हमें हुक्म दिया जाता था।"[2]

---

1. जिहालत में लोग दुल्हा को खुशहाली और औलाद (नरीना) कहकर मुबारकबाद देते थे।
2. इब्ने अबी शीबा 2/52/7 मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ 10458/189/6 नसाई 91/2 इब्ने माजा 589/1 दारमी 134/2 बेहैकी 147/7 मुसनद अहमद 739 हाफिज़

Scanned by CamScanner

36. दुल्हन का मेहमानों की ख़िदमत करना

दुल्हन के लिए जाइज़ है कि वह है अपने आने वाले मेहमानों की ख़िदमत करे। बस शर्त यह कि उसने पर्दे का मुकम्मल एहतेमाम किया हो और किसी फ़ितने व खराबी का खतरा भी न हो।[1] सहल बिन साअद की हदीस में है कि जब अबू उसैद अस्साअदी रज़ि. ने शादी की तो नबी सल्ल. और उनके असहाब रज़ि. को खाने पर बुलाया। उस खाने की तैयारी और उसे मेहमानों की खिदमत में उनकी बीवी ने पेश किया। उन्होंने खुद कुछ न किया उस (औरत) ने पत्थर के एक बर्तन में रात को खजूरें भिगोकर रखी थी। जब नबी. सल्ल. खाने से फ़ारिग़ हुए तो उसने अपने हाथ से तैयार किया हुआ शरबत खासतौर पर नबी सल्ल. को बतौर तौहफा पेश किया। उस दिन उनकी बीवी उनकी खिदमत करती रही हालांकि वह दुल्हन थी।"[2]

कहते हैं इस सनद के तमाम रावी मज़बूत हैं मगर हसन ने अक़ील से सुना नहीं है लेकिन कुछ उल्मा ने कहा दावे की कोई दलील नहीं है। मैं कहता हूँ हसन बसरी ने यहाँ सिमाअ वज़ाहत नहीं की इसलिए यह हदीस मुनक़ताअ है मगर इसके दीगर शवाहिद मौजूद हैं जिनमें से एक मुसनद अहमद में और दूसरा अल मौज़ाह में रिवायत किया गया है। 255/2।

1. यहाँ शरअी पर्दा मुराद है इसमें 8 चीज़ों का एहतेमाम ज़रूरी है। (1. तमाम बदन को अच्छी तरह ढांपा जाये, 2. यह पर्दा जीनत का बाइस ना हो, 3. कपड़ा मोटा हो बारीक न हो, 4. इतना तंग न हो कि जिस्म की बनावट ज़ाहिर हो, 5. उसने खुशबू न लगा रखी हो, 6. उसका लिबास मर्दो के लिबास की तरह न हो, 7. काफ़िर औरतों का लिबास न हो, 8. लिबास से शौहरत (सबकी तवज्जोह का मरकज़) न हो)
   मैंने इस मौजू पर मुस्तक़िल किताब लिखी है जिसमें ये तमाम शर्ते दलाइल से साबित की गई हैं।
2. इस हदीस से पता चलता है कि दुल्हन के लिए मेहमानों की खिदमत करना जाइज़ है। इस बात में कोई शक नहीं कि यह उस वक़्त ही है जब फ़ितना

Scanned by CamScanner

37. दफ़[1] बजाकर अशआ़र वग़ैरह पढ़ना

1—रबीअ बिन्त मुअव्विज़ रज़ि. कहती हैं—

जब नबी सल्ल. की शादी मेरे साथ हुई। आप तशरीफ लाये। और मेरे साथ बिस्तर पर बैठ गये (जैसे तुम मेरे करीब बैठे हो) छोटी बच्चियों ने दफ़ बजाना शुरू कर दी। वे अपने बाप दादाओं के पहले कारनामें ज़िक्र करने लगीं जो उन्होंने जंगे बदर में शहादत से पहले सर अंजाम दिये थे उनमें से एक बच्ची कहने लगी—"हमारे दरमियान ऐसे नबी सल्ल. मौजूद हैं जो कल के मुताल्लिक़ जानते हैं।" आप सल्ल. ने फ़रमाया यह बात मत कहो और वही बात कहो जो तुम पहले कह रही थी।''

2—हज़रत आयशा रज़ि. रिवायत करती हैं कि अन्सार में से एक औरत की शादी हुई। आप सल्ल. ने फ़रमाया—

"ऐ आयशा तुम्हारे साथ कोई खेल-तमाशा नहीं है अन्सार तो खेल तमाशा पसंद करते हैं।"

एक रिवायत में है कि आप सल्ल. ने फ़रमाया—"तुमने इस औरत के साथ एक लौन्डी को क्यों न ले लिया जो दफ़ बजा कर कुछ गाती?"

और खराबी का खतरा हो। इसी तरह खाविन्द भी अपनी बीवी की खिदमत करता है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह इज़ाजत पर्दे का हुक्म नाज़िल होने से पहले की है। मगर यह बात हक़ीकत पर मबनी नहीं है। आज भी कई महफ़िलों में देखा गया है कि दुल्हन मुकम्मल पर्दे और इज्जत, व वक़ार के साथ मेहमानों की खिदमत करती है। इमाम बुखारी रह० ने औरत का शादी में खुद मेहमानों की खिदमत करना, के उनवान से एक बाब का ज़िक्र किया है लेकिन उन शर्तों का ख्याल रखा जाये जो हमने ज़िक्र कर दी हैं। आजकल अक्सर इस्लामी आदाब को पसे पुश्त औरतें डाले हुए हैं।

1. दफ़ को एक तरफ चमड़ा लगा होता है और दूसरी तरफ से खाली होती है और आवाज़ में तरन्नुम नहीं होता।

Scanned by CamScanner

वह कहती है मैंने अर्ज़ किया "वह क्या कहें?" आप सल्ल. ने फ़रमाया "वह ये कहे–"

"हम तुम्हारे पास आये तुम हमारे पास आये। तुम हमें खुश आमदीद कहो हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं।"

"अगर सुर्ख सोना होता तो सेहरा के लोग तुम्हारे पास न आते।"[1]

"अगर भूरी रंगत वाली (बेहतरीन किस्म की) गन्दुम न होती तो तुम्हारी लड़कियाँ मोटी न होती।"

3—नबी सल्ल. ने कुछ लोगों को सुना। शादी के मौक़े पर ये अशआर पढ़ रहे थे–

"मैं उनको एक दुम्बा हदिया दूँ। वह दुम्बा जो बकरियों, भेड़ों के बारे में आवाज़ निकालता है–"

"तेरी मौहब्बत (खाविन्द) मजलिस में है और वह जानता है कल क्या होगा।" और एक रिवायत में हैं–

"और तेरा शौहर महफ़िल में है और उसको पता है कि कल क्या होगा।"

वे कहती हैं नबी सल्ल. ने (यह सुनकर) फरमाया–

"कल के मुताल्लिक अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता।"[2]

4—आमिर बिन साअद अल बजली रिवायत करते हैं–

"मैं कर्ज़ा बिन काअब और अबी मसऊद के पास आया। उन्होंने तीसरे का भी ज़िक्र किया। जिसका नाम मेरे ज़हन में नहीं रहा। वहाँ

---

1. तबरानी ने इसको जवाइद में रिवायत किया है 1/167/1, इसमें साफ है मगर एक और सनद से यह कवी है।
2. तबरानी ने इसे अस्सग़ीर में रिवायत किया है 69श, हदीस नं. 830, हाकिम 184/2, 185, बेहैकी 289/7, इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है। इमाम जेहबी ने भी इसकी मुआफिकत की है।

Scanned by CamScanner

लड़कियां दफ़ बजा कर कुछ गा रही थी। मैंने कहाँ तुम दफ़ सुन रहे हो हालांकि तुम नबी सल्ल. के साथी हो। उन्होंने कहा नबी सल्ल. ने शादी के मौक़े पर हमें (दफ) की और मुसीबत के वक़्त रोने की इज़ाजत दी है।"

और एक रिवायत में है—

"मय्यित पर बग़ैर चीख़ पुकार के रोने की इज़ाजत दी है।"[1]

5—इब्ने बलज याहया बिन सुलेमान से रिवायत है वे कहते है "मैंने दो औरतों से शादी की है किसी पर भी दफ़ नहीं बजाई गई। मुहम्मद रज़ि कहने लगे कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया—"हलाल और हराम (आवाज़ों) के दरमियान हदे फ़ासिल, दफ़ की आवाज़ है।[2]

6- "निकाह का ऐलान करो।"

38. शरीअत की मुखालिफ़त से बचने का हुक्म

आदमी को चाहिए कि वह उस (खुशी के) मौके पर शरीअत की मुखालिफ़त से बचे। खसूसन जब मौजूदा दौर में बेशुमार लोगों ने ऐसे मौकों पर शरीअत की मुखालिफ़त को आदत बना लिया है यहां तक कि उल्मा के खामोश रहने की वजह से अक्सर लोग यह समझते हैं कि ऐसे काम जायज़ हैं। यहां हम शरीअत मुखालिफ़ कुछ कामों पर सचेत कर रहे हैं मुलाहेज़ा फ़रमायें।

1. तस्वीर लटकाना—

1—दीवारों पर तस्वीर लटकाना। चाहे वे मुजस्समे हों या दीगर तस्वीर हों उनका साया हो या ना हो। हाथ से बनाई गई हो या फिर

1. हाकिम बेहैकी नसाई 93/2, तयालसी 1221।
2. नसाई 91/2 तिर्मिज़ी 170/2 और उन्होंने कहा यह हदीस हसन है इब्ने माजा, मुसनद अहमद 418/3 इसकी सनद सही है। इमाम ज़हबी ने इसकी मुआफिकत की है। मेरे नज़दीक इसकी सनद हसन है। देखिये (अरवाउलगलील 1994)।

Scanned by CamScanner

फोटोग्राफी (कैमरे) के जरिए। ये सब की सब नाजाइज़ और हराम हैं। जिस आदमी के पास इख़्तियार हो उनको हटा दे या कम से कम उतरवा दे। इस सिलसिले में कई अहादीस आयी हैं।

1. हज़रत आयशा रज़ि. फरमाती हैं—"नबी सल्ल. मेरे पास तशरीफ लाये। मैंने अपने गुड़िया घर के सामने एक पर्दा लटका रखा था जिस पर तस्वीर बनी हुई थी (एक रिवायत में है कि उसपर एक घोड़े की तस्वीर थी जिसके पर भी बने हुए थे)। जब आप सल्ल. की नज़र उस पर पड़ी तो उसको फाड़ डाला और आपके चेहरे का रंग बदल गया। आप सल्ल. ने फ़रमाया—'ऐ आयशा क़यामत के दिन सब से सख़्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो तख़लीक के ज़रिए अल्लाह से मुकाबला करते हैं। (एक रिवायत में है कि उन तस्वीर बनाने वालों को सख़्त अज़ाब होगा)। उन्हें कहा जायेगा जो तुमने बनाया उसको ज़िन्दा करो। फिर आप सल्ल. ने फ़रमाया—"ऐसे घर में फ़रिशते दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हों।"[2]

आयशा रज़ि. फरमाती हैं—"हमने उस कपड़े को फाड़ डाला और उससे धोती बना ली। (मैंने नबी सल्ल. को देखा वे उनमें से एक पर टेक लगाये हुए हैं जबकि उसपर तस्वीर भी थी)।"[2]

---

1. इब्ने हिबान (1285) तबरानी 1/169, अलमश्की 2/64/12, इसकी सनद हसन है और इसके सिक़ह है।
2. सही बुखारी 317/10, सही मुस्लिम 16158/6 बेहैकी 269/7

मैं कहता हूँ इस हदीस से दो फ़ायदें हासिल हुए। 1. तस्वीर का लटकाना या उस चीज़ को लटकाना जिस पर तस्वीर हो हराम है। 2. तस्वीर हराम है चाहे उसका साया हो या न हो। कुछ लोगों ने कहा जिसका साया न हो वह तस्वीर जाइज़ है मगर यह मजहब बातिल है क्योंकि पर्दे पर तस्वीर बग़ैर साये के थी जिसको आप सल्ल. ने फाड़ने का हुक्म दिया। कुछ ने कहा कि एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें घोड़े के पर बनाये गये थे जो हकीकत के खिलाफ़ है इसलिए

Scanned by CamScanner

2. हज़रत आइशा रज़ि. से ही रिवायत है—

"मैंने नबी सल्ल. के लिए एक तकिया तैयार किया जिसमें तस्वीर थी। वह तकिया छोटा सा था। आप (उसे देखकर) दरवाज़े पर खड़े हो गये। आप के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने अर्ज़ किया "हमसे क्या ग़लती हो गई है मैं अल्लाह तआला से अपनी ग़लती की माफ़ी मांगती हूँ।" आप सल्ल. ने पूछा—"यह तकिया कैसा है?" मैंने अर्ज़

आप सल्ल. ने उसे नापसंद फ़रमाया। मगर यह बात भी कई लिहाज़ से ग़लत है। मसलन हदीस में कोई ऐसा इशारा भी नहीं पाया जाता कि आपके इन्कार का सबब खिलाफे हकीकत तस्वीर थी बल्कि उसकी इल्लत तो उसके खिलाफ है क्योंकि आपने कहा जिस घर में तस्वीर हो उसमें फरिशते दाखिल नहीं होते। यहाँ लफ्ज़ तस्वीर आम है। एक दूसरी हदीस में वजाहत है कि आप सल्ल. ने उस घोड़े को पसंद फ़रमाया। रही अबू तलहा की हदीस कि फरिशतें उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो मगर यह कि वह तस्वीर कपड़े पर हो तो इसका मतलब यह है कि वह लटकी हुई न हो और उसे हकीर और बोसीदा करके इस्तेमाल किया गया हो। जिस तरह हजरत आयशा रज़ि. का क़ौल है (जब उन्होंने फाड़कर तकिया बनाया) तो आप उस पर टेक लगाकर बैठे। गोया कि ऐसी तस्वीर फरिशतों के घर में दाखिल होने में रुकावट नहीं जो (कढ़ी हुई और हकीर हो) इससे कुछ लोगों ने इस्त-दलाल किया कि कपड़े और वर्क पर तस्वीर जाइज़ है यह एक ज़बरदस्त मुगालता है।

हदीस से केवल इस्तेमाल का जवाज़ मिलता है जिसकी तशरीह हमने कर दी और तस्वीर बनाना हराम है। जिस तरह आप सल्ल. ने फ़रमाया—यह तस्वीर बनाने वाले क़यामत के दिन इन्हें अज़ाब दिया जायेगा। इस वाज़ेह नस को छोड़ना सही नहीं है आदमी इंसाफ पसंद है उसके सामने बात स्पष्ट है। इससे यह भी पता चलता है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह तस्वीर वाला कपड़ा खरीदे क्योंकि यह गुनाह का तआवुन है। अगरचे वह बतौर इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहे। आदमी जिसको इल्म न हो और वह ऐसा कपड़ा खरीद ले तो उसके लिए तस्वीर को (फाड़कर) या उसकी तौहीन के बाद इस्तेमाल करना जाइज है क्योंकि मजकूरा तकिये पर जो तस्वीर थी उसको दरमियान से फाड़ दिया था।

Scanned by CamScanner

किया मैंने इस तकिये को इसलिए तैयार किया कि आप इस पर आराम फ़रमा सकें।" आप सल्ल. ने फ़रमाया–"क्या तुझे इल्म नहीं कि फ़रिशते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो और तस्वीर बनाने वाले को क़यामत के दिन अज़ाब होगा। उसे कहा जायेगा जो कुछ तुमने बनाया है उसमें जान डालों" एक रिवायत में है "तस्वीर बनाने वाले" इन्हें क़यामत के दिन अज़ाब मिलेगा। अज़ाब में मुबताला किया जायेगा। हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं–"आप सल्ल. उस समय तक घर में दाखिल नहीं हुए जब तक मैंने उसको (तकिया) निकाल न दिया।"[1]

3. नबी सल्ल. का फ़रमान है–

"मेरे पास जिबरील अलै. आये और मुझे कहा–"मैं आज सुबह आपके पास आया था। मुझे अन्दर आने से जिस चीज़ ने रोके रखा वह यह था कि दरवाज़े पर कुछ तस्वीरें और घर में बारीक किस्म का पर्दा लटका हुआ था। इसमें भी कुछ तस्वीरें थी और यह कि घर में कुत्ता था। पस आप तस्वीर का सर खत्म करने का हुक्म दीजिए कि वह दरख़्त की शक्ल इख़्तियार कर जाये और पर्दे को फाड़ने का हुक्म दीजिए ताकि उससे तकिया वगैरह बना लिया जाए और आप लोग

---

1. 105/4, 111/2 अलफवाश 68/6 इसकी सनद सही है इस हदीस को इमाम मुस्लिम और दीगर कई लोगों ने जिक्र किया है। इसको हमने (अल हलाल वल हराम) की तकरीज़ में जिक्र किया है।

यह हदीस वाज़ेह दलील है कि जिस घर में तस्वीर हो उसमें फरिशते दाखिल नहीं होते। इससे यह भी पता चलता है कि जब तक तस्वीर घर में हो अगरचे उसका इस्तेमाल हक़ीर अंदाज़ में हो फ़रिशते फिर भी दाखिल नहीं होते। "क्योंकि हदीस में वज़ाहत है कि आप सल्ल. उस समय तक दाखिल नहीं हुए जब तक उसे निकाल नहीं दिया गया। और उस हदीस में ये कलिमात भी हैं।

"फरिशते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो।"

Scanned by CamScanner

उस पर टेक लगा सकें और कुत्ते को घर से निकलने का हुक्म दीजिए। पस बेशक हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर या कुत्ता हो। यह कुत्ते का बच्चा हसन या हुसैन रज़ि. का था जो उनकी चारपाई के नीचे बैठा था। आप सल्ल. के हुक्म से उसे निकाल दिया गया। फिर आप सल्ल. ने पानी मंगवाया और उस जगह पर छिड़क दिया।"[1]

---

1. यह हदीस वाज़ेह दलील है कि तस्वीर की वह तब्दीली जिससे इसका इस्तेमाल जाइज़ हो जाता है। वह है जो इसके खदोख़ाल और शक्ल और सूरत को ही बदल दे। कुछ लोग नसूस की ग़लत तावील या फिर लोगों की राय को उन पर तर्जीह देकर हकीकत में उन दलाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल "वह मजल्ला नूरुल इस्लाम" में छपने वाला तवील मक़ाला है जो मैंने कुछ साल पहले पढ़ा है इस मजल्ले का नया नाम मजल्लतुल अज़हर रखा गया।

इसमें यह फ़तवा दिया गया था कि मुसलमान मुसव्विर के लिए जायज़ है कि वह मुकम्मल बुत बनाये और उसके सर में एक गढ़ा बना दे जो उसके दिमाग़ तक पहुँचा हुआ हो (ताकि उसमें तबदीली और उसकी तौहिन हो)। फिर यह गुल अफ़शानी की जाए कि फ़न्नी नुक्ता निगाह के मद्दे नज़र यह ऐब लोगों से छिपाने के लिए इसके सर के ऊपर बाल रख दिये जायें। इससे यह ऐसे नज़र आयेगा कि इसमें कोई ऐब नहीं है। इससे दुनिया वाले भी राज़ी हो जायेगे और शारेअ़ (अल्लाह तआला) भी। ऐ मुसलमान भाई क्या तूने शरीयत और उसकी नसूस के साथ ऐसा मज़ाक कभी देखा है जिस तरह का मज़ाक इस रिसाले में किया गया है?

अल्लाह की क़सम यह तो बनी इसराईल वाली हरकतें हैं जिनपर अल्लाह तआला की लानत और ग़ज़ब हुआ है उनके मुताल्लिक अल्लाह ने कहा—

﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ إِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَأْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ۝﴾ [۷/الاعراف:۱۶۳]

"और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों का जो कि दरियाए (शौर) के करीब आबाद थी। उस समय का हाल पूछिए जब कि वे हफ़्ते के बारे में हद से

Scanned by CamScanner

2. दीवारों को पर्दों और क़ालीनों से सजाना

दूसरी चीज़ जिससे बचना ज़रूरी है वह दीवारों और (घर को) पर्दों और क़ालीनों वग़ैरह से सजाना है अगरचे ये कालीन वग़ैरह रेशमी न

निकल रहे थे जबकि उनके हफ्ते के रोज़ तो उनकी मछलियाँ ज़ाहिर होकर उनके सामने आती थी और जब हफ्ते का दिन न हो तो उनके सामने ना आती थी। हम उनकी इस तरह आज़माइश करते थे उस सबब से कि वे नाफ़रमानी करते थे।"

उनके मुताल्लिक ही नबी सल्ल. ने फ़रमाया था "अल्लाह उन यहूदियों को तबाह और बरबाद कर दे। अल्लाह तआला ने जब उन पर चर्बी को हराम किया तो उन्होंने इसे आग पर पकाया और बेचकर उसकी कीमत खाई। इसलिए नबी सल्ल. ने हमें तकलीद से बचने का हुक्म दिया है। आप सल्ल. ने फरमाया "तुम उस चीज़ का इरतिकाब मत करो जिनके यहूदी मुरतकिब हुए थे। उन्होंने तो मामूली हीलों से अल्लाह की हराम कर दा चीजों को जायज़ करार दे दिया था।" मगर उनसे समानता इख्तियार करने वालों पर ऐसी बातें कब असर करती हैं।

इसी तरह का एक और बहाना कुछ लोगों ने बनाया। हाथ से बनाई गई तस्वीर और कैमरा वग़ैरह से ली गई (अक्सी) तस्वीर में हुरमत व हिल्लत के लिहाज़ से काफी फर्क है। अक्सी तस्वीर इंसान के हाथ का अमल नहीं बल्कि उसमें तो वह एक साये को महफ़ूज़ करता है। उन लोगों को इंसान के हाथ की वह मेहनत नज़र नहीं आती जो इस आले को वजूद में लाने के लिए दिन-रात सर्फ़ की गयी है। जिसकी मदद से आज इंसान एक लम्हें में तस्वीर महफ़ूज़ कर लेता है। वीडियो फिल्म और दीगर आले वे भी इसमें दाखिल हैं। इसी तरह तस्वीर की और वह सब कुछ डेवलपिंग और प्रिन्टिंग और जो मेरी मालूमात में नहीं है। वह सब कुछ उनके यहाँ इंसान के हाथ की मेहनत नहीं है?

उस्ताज़ अबुल वफ़ा दरवेश तस्वीर कशी के फ़न के बारे में लिखते हैं कि तस्वीर की तैयारी में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ग्यारह काम सर अंजाम दिये जाते हैं। इसके बावजूद वे बग़ैर किसी परेशानी के लिखते हैं "यह तस्वीर कशी इंसानी अमल नहीं है" (देखिये किताब कैफ यतमुत तस्वीर 43-45) उनकी बात का खुलासा यह है कि अक्सी तस्वीर का लटकाना जायज़ है अगर तस्वीर हाथ से बनी हो तो जायज़ नहीं है।

Scanned by CamScanner

भी हों क्योंकि ये फिजूल खर्ची और ग़ैर शरअी ज़ीनत है इसकी दलील हज़रत आयशा रज़ि. की यह हदीस है।

मोहतरम क़ारी क्या आपने ऐसा जमूद कभी देखा है? उन लोगों ने तस्वीर कशी के इस जदीद फ़न को उस क़दीम फ़न के साथ जिसको आप सल्ल. ने हराम क़रार दिया था मिलाने के बजाय उस वक्त और आज के फ़न में फ़र्क़ कर डाला।

मैंने कई साल पहले उनको कहा था तुम्हारी बात से यह लाज़िम आता है कि तुम इस बुतगरी को जायज़ क़रार दो जो आज-कल जदीद वसाइल की बिना पर केवल बिजली का बटन दबाकर की जाती है? ऐसी फैक्ट्ररियों में तो एक लम्हें के अंदर कई-कई बुत बनाये जाते हैं। तुम लोग उन बुतों को जो बच्चों के खेलने के लिए बनाये जाते हैं। क्या कहोंगे? और तुम जानवरों और बुतों इलैक्ट्रानिक कारीगरी के बारे में क्या कहते हो? तो वे हैरान हो गये उनसे कोई जवाब बन ना पाया।

आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि हर तरह की तस्वीर कशी और उनको इस्तेमाल करना नाजायज है। लेकिन ऐसी तस्वीर जिसमें फ़ायदा मुहक्क़िक़ हो और बज़ाहीर उसका कोई बुरा असर भी ना हो तो वह जायज़ है। जिस तरह कि मेडिकल, जुग़राफ़िया मुजरिमों को पकड़ने उनसे खबरदार करने के लिए और दीगर ऐसी तस्वीरें वग़ैरह।

इस सिलसिले में एक हदीस तो पहले गुज़र चुकी। जिसमें आयशा रज़ि. के पास ताक़चे में घोड़े की तस्वीर का ज़िक्र है। दूसरी हदीस रबीअ बिन्त मुअव्विज रज़ि. ब्यान करती हैं।

“नबी सल्ल. ने अय्यामे आशूरा की सुबह मदीने की क़रीबी बस्तियों में यह पैग़ाम भेजा कि जिसने सुबह इफ़्तार की हालत में की वह बाक़ी दिन पूरा कर ले और जिसने सुबह रोज़े की हालत में की उसे चाहिए कि वह अपना रोज़ा पूरा कर ले। वे कहती हैं कि हम अपने बच्चों को रोज़ा भी रखवाते थे जैसे अल्लाह को मंजूर होता हम लोग मस्जिद भी जाते। हम उन बच्चों के लिए रूई वग़ैरह से खिलौना बनाकर अपने साथ रखते। जब कोई बच्चा खाना तलब करते-करते रो पड़ता तो हम उसको यह खिलौना देते। यहां तक कि इफ्तार का समय हो जाता। एक रिवायत में है जब बच्चें हम से खाना मांगते

Scanned by CamScanner

"नबी सल्ल. एक ग़ज़वा पर जाने की बिना पर घर में मौजूद नहीं थे। मैंने उनके वापस आने तक मौका ग़नीमत जानते हुए एक बिछौना हासिल किया जिसमें कुछ तस्वीर वग़ैरह बनी हुई थी। मैंने इसे छतरी (छत की लकड़ी) पर डाल दिया। जब नबी सल्ल. वापस आये तो मैं उनको हुजरे में मिली और कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. अल्लाह के लिए तारीफ़ है जिसने आपको इज़्ज़त दी, आपकी मदद की। आपकी आंखों को ठंडा किया और आपको बुज़ुर्गी अता फ़रमाई। वह कहती हैं आप सल्ल. मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैंने उनके चेहरे पर गुस्से के आसार देखे जल्दी से घर में दाखिल हुए आपने उस बिछौने पर हाथ डाला उसको खींचा और फाड़ डाला और फिर फ़रमाया "क्या तुम दीवारों को ऐसे पर्दो के साथ सजाया करती हो जिसमें तस्वीर भी है। अल्लाह तआला ने हमें अपना अता कर दा रिज़क से पत्थरों और मिट्टी को पहनाने का हुक्म नहीं दिया है। वे कहती हैं मैंने उसको फाड़कर धोती बना डाली उनके अन्दर खजूर के रेशे भरे हुए थे। पस आप ने उस पर कोई ऐतिराज नहीं किया। वे कहती हैं कि आप सल्ल. उन पर आराम करते थे।"[1]

तो हम उनको उन खिलौनों से लालच लगाते यहां तक कि उनका रोज़ा पूरा हो जाता" सही बुखारी 163/4, सही मुस्लिम 152/3, इन दोनों अहादीस से पता चलता है कि अगर तस्वीर कशी किसी मसलिहत के लिए हो तो जायज़ है जैसा कि तरबियत पहलू तहज़ीब, नफ्स और मुसलमानों की मसलिहत और दीगर ऐसे मामले वग़ैरह। इसके अलावा तस्वीर कशी का असल हुक्म बाक़ी है जो उसके हराम होने का है। जैसा कि उल्मा, मशाइख, दोस्तों और बड़े लोगों की तस्वीरें बनाना। इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है अलबत्ता इसमें बुतों के पुजारियों और काफिरों से समानता जरूर है। अल्लाह ताआला बेहतर जानने वाला है।

1. इस हदीस से पता चलता है। दीवारों पर कपड़े वग़ैरह चढ़ाना मना है अगरचे हदीस में उस पर्दे का जिक्र है जिसपर तस्वीर थी मगर मैं कहता हूँ कि तस्वीर वाला या आम कपड़ा दीवारों पर चढ़ाना मना है। क्योंकि हदीस में लफ्ज़ (क्या तुम दीवारों को पहनाती हो) इस रिवायत में दोनों सबब मौजूद हैं।

Scanned by CamScanner

इसलिए तो कुछ सल्फ सालिहीन उस घर में दाखिल नहीं होते थे जिसकी दीवारों पर पर्दा चढ़ा हुआ होता था। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं।

"मैंने अपने बाप के अहद में शादी की मेरे बाप ने लोगों को दावत पर बुलाया। अबू अय्यूब भी उन लोगों में शामिल थे। मेरे घर को दोस्तों ने सब्ज़ रंग के मुख़्तलिफ़ तकियों और बिछौनों से सजा रखा था। अबू अय्यूब मुझे खड़ा देखकर अन्दर दाखिल हुए और घर को सब्ज कपड़ों से सजा देखा तो कहा "ऐ अब्दुल्लाह क्या तुम लोगों ने दीवारों को भी पहना रखा है।" मेरे बाप ने शरमाते हुए कहा ऐ अबू अय्यूब हम पर औरतें ग़ालिब आ गयी हैं। अबू अय्यूब कहने लगे मुझे दूसरों के बारे में तो खौफ़ था मगर तेरे बारे में मुझे यह डर हरगिज़ ना था। तुझ पर भी औरतें ग़ालिब आ जांएगी। फिर कहा मैं न तो तुम्हारे घर से खाना खाऊँगा और न ही इसमें दाखिल हूंगा। उसके बाद वे घर से निकल गये।"[1]

3. भवों के बाल वग़ैरह उखाड़ना

तीसरी बात—कुछ औरतें अपने हुस्न व जमाल को बढ़ाने के लिए भवों के बाल उखाड़कर उनको कौस या हिलाल (चांद) की तरह बनाने की कोशिश करती हैं। इस काम से नबी सल्ल. ने मना भी किया है और ऐसा करने वाली औरत पर लानत भी फ़रमाई है। आप सल्ल. ने फ़रमाया अल्लाह ताआला ने (जिस्म) को गोदने वालियों और (जिस्म) को गुदवाने वालियों', बाल जोड़ने वाली।[2] चेहरे के बाल निकालने

1. इसे तबरानी ने रिवायत किया है 2/192/1 इब्ने असाकर 2/218/5 अबू बकर अल मरोज़ी ने इसे अलवरअ़ में ब्यान किया है। 1/20 इमाम बग़वी ने इसे शरह अल सुन्नह में ब्यान किया है' औरतें सूई वग़ैरह से जिस्मों को जख़्म लगाकर सुरमा भर लेती हैं।
2. सही बुखारी अबू दाऊद देखिये सिलसिला अहादीस सही 2797

Scanned by CamScanner

वालियों और निकलवाने वालियों दांतों को हुस्न के लिए कुशादा करने वाली औरतों पर लानत की है जो अल्लाह की तखलीक़ को तब्दील करती हैं।"[1]

4. नाखूनों को लम्बा करना और नेल पॉलिश लगाना

एक और क़बीह और बुरी आदत जो यूरोप की फ़ासिक औरतों व फ़ाजिर औरतों से हमारी मुसलमान औरतों में आ चुकी है। वह नाखूनों को पॉलिश लगाना और उनको लम्बा करना है। यह पॉलिश सुर्ख़ रंग ही है। जिसे आजकल (मैनिकोर) के नाम से पुकारा जाता है। कुछ मुस्लिम नौजवान भी इस बीमारी का शिकार नज़र आते हैं। जहाँ यह काम अल्लाह तआला की फ़ितरी तखलीक़ को बदलने के जैसा है वहाँ पर उसका करने वाला अल्लाह की लानत का सज़ावार है, और यह कि इसमें ग़ैर मुस्लिम औरतों के साथ समानता बहुत है इस काम से मना पर कई अहादीस हैं। उनमें से एक यह भी है कि ((जिस किसी ने किसी क़ौम के साथ समानता इख़्तियार की वह उन्हीं में से होगा)[2] यह अमल फ़ितरत के भी खिलाफ़ है "अल्लाह तआला की वह फ़ितरत जिसपर उसने लोगों को पैदा किया" नबी करीम सल्ल. ने फ़रमाया "पाँच चीज़ें फ़ितरत में से हैं 'खतना करना, ज़ेरे नाफ़ बाल साफ करना, मूंछों का छोटा करना, नाखून तराशना, और बग़लों के बाल उखाड़ना। एक रिवायत में है कि जेरे नाफ़ बाल साफ करना, मूछें कतरना, नाखून तराशना, बग़लों के बाल उखाड़ना"

---

1. ये अहादीस मैंने अपनी किताब हिजाबुल मिरातुल मुस्लिम में जिक्र की हैं। 54, 53 पृ०,
2. अबू दाऊद, मुनसद अहमद, अल मुन्तखब 2/92, यह हदीस तहावी ने मुश्किल आसार में नक़्ल की है। 81, 80। इसकी सनद हसन है।

Scanned by CamScanner

और हज़रत अनस रज़ि. फरमाते हैं–

"नबी सल्ल. ने हमारे लिए मूछें कुतरना, नाखून तराशना, बग़लों के बाल उखाड़ने, ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ करने का समय मुक़र्रर किया, हम उनको चालीस दिन से ज्यादा ना छोड़ें।[1]

5. दाढ़ी मुडांना

इसी तरह एक और बुरा काम दाड़ी मुडांना है। अक्सर मुसलमान मर्द यूरोप के काफिरों की तक़लीद में दाढ़ियाँ मुडांते हैं। यह काम भी कम से कम औरतों के नाखून बढ़ाना जैसा ही बुरा है अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग इस बात को शर्म और बेइज़्ज़ती महसूस करते हैं कि दुल्हा-दुल्हन के पास जाये और उसने दाढ़ी न मुडां रखी हो।

दाढ़ी मुडांना कई वजूहात की बिना पर खिलाफ़े इस्लाम है।

(अ) अल्लाह तआला की तखलीक़ को बदलना। अल्लाह तआला ने शैतान के बारे में फ़रमाया–"उस पर अल्लाह ने लानत की है उसने कहा मैं तेरे बन्दों से एक मुकर्रर तादाद को गुमराह करूँगा। इन्हें राह से बहकाता रहूँगा। उन्हें बातिल ख़्वाहिशात दिलाऊँगा और उन्हें सिखाऊँगा कि जानवर के कान चीर दें और उन से कहूँगा कि अल्लाह तआला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें और जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनायेगा वह सरासर नुकसान में डूबेगा।"

ये खुली दलील है कि अल्लाह की तखलीक़ को उसकी इजाज़त के बग़ैर तब्दील करना हक़ीक़त में शैतान की फ़रमां बरदारी और अल्लाह तआला की नाफ़रमानी है। इस बात में क़तई कोई शक नहीं

---

1. मैं कहता हूँ हदीस से ज़ाहिर है कि मज़कूरा बालों को चालीस दिन से ज्यादा छोड़ना जायज नहीं है।

Scanned by CamScanner

कि खूबसूरत नज़र आने के लिए दाढ़ी मुडांने वाले बिल्कुल इसी तरह नबी सल्ल. की लानत के मुस्तहिक हैं जिस तरह हुस्न के लिए तखलीक़ बारी ताआला में तब्दीली पर औरतें लानत की मुस्तहिक़ हैं। दोनों एक ही गुनाह के मुर्तकब हैं "मैंने अल्लाह की इजाज़त" का लफ्ज़ इस लिए बोला है कि किसी को वहम हो सकता है कि ज़ेरे नाफ बाल वग़ैरह उतारना भी इस तफ्सीर में दाखिल है। मगर हकीक़त में ऐसा नहीं है इसकी तो इजाज़त है बल्कि इसको तो वाजिब क़रार दिया गया है।

(ब) दाढ़ी मुडांना नबी सल्ल. की खुली मुखालिफ़त है। आप सल्ल. ने फ़रमाया—मूछों को खूब कटवाओं और दाढ़ी को माफ़ करो।[1]

यह बात मशहूर है कि (हुक्म) का सीग़ा वजूब का तक़ाज़ा करता है मगर शैतान यह है कि कोई करीना दलालत कर रहा हो और उस मुकाम पर करीना वजूब ही का मुतकाज़ी है (दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कटवाना वाजिब है) क्योंकि उस (दाढ़ी मुड़वाने) में (जो) कुफ्फार के साथ तशबीह है नबी सल्ल. ने फरमाया—

"मूछों को कम करो और दाढ़ी को बढ़ाओं और मजूसियों की मुखालिफत करो।[2]

(दा) औरतों के साथ मुशाहबहत— बेशक नबी सल्ल. ने उन मर्दों पर जो औरतों से और औरतों पर जो मर्दो से मुशाआबहत इख्तियार करती है लानत की है।[3]

---

1. सही बुखारी 289/10, सही मुस्लिम 153/1, अबू अवाना 189/1 इस हदीस के पेशे नज़र कुछ लोग मूछों को बिल्कुल मुंडवा देते है यह बात गलत है। इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं "ऐसे बन्दे को कोड़े मारे जाएं जो मुछों को बिल्कुल ही मुंडवा देते हैं और कहा यह ऐसी बिदअत है जो लोगों में रिवाज पकड़ती जा रही है। बेहैकी 151/1, फ़तहुल बारी 285/10।
2. सही मुस्लिम, सही अबू अवाना।
3. सही बुखारी 274/10, तिर्मिज़ी 129/2, इस बात में कोई शक नहीं कि एक सलीमुल फितरत इंसान बखूबी अन्दाज़ा लगा सकता हैं कि मजकूरा दलाइल

Scanned by CamScanner

इस बात में कोई शक नहीं कि जिस दाढ़ी के साथ अल्लाह तआला ने बंदे को औरत से इम्तियाज़ी वस्फ़ अता किया उसको मुंडाना औरत के साथ बहुत ज़्यादा समानता इख्तियार करना है इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी ज़िक्र की गई दलीलें दाढ़ी मुंडाने वालों के लिए काफ़ी होंगी। अल्लाह तआला हमें हर ऐसे काम से बचाये जिसको वह पसंद नहीं करता और उससे राज़ी नहीं होता।

6. मंगनी की अंगूठी

कुछ लोग (शादी) के मौक़े पर सोने की अंगूठी पहनते हैं और इसे (मंगनी की अगूंठी) का नाम देते हैं यह काम भी ऐसा है जिसमें कुफ्फ़ार

की मुख़्तलिफ़ चार किसमें इस बात पर खुली दलील है कि दाढ़ी मुंडाना हराम है और उसको छोड़ना वाजिब है। इब्ने तैमिया रह. ने फ़रमाया "दाढ़ी मुंडाना हराम है" मैंने इस मसले पर "शहाब" रिसाला में कलम उठाया था जो कुछ मुहिब्ब सुन्नत लोगों ने किताब की शक्ल में छपवा दिया। जिसका नाम "दाढ़ी इस्लाम की नज़र में" है इसमें मैंने चारों इमामों से दाढ़ी मुंडाने के हराम होने पर दलाइल नक्ल की हैं।

मेरे भाई दाढ़ी मुंडाने वालों की कसरत से धोखा नहीं खाना चाहिए। अगरचे उनमें कुछ लोग इल्म जैसी सिफ्त के हामिल क्यों न हों। कुछ लोग आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि क्या दाढ़ी में इस्लाम है यह तो एक दुनियावी मसला है जो चाहे रखे जो चाहे मुंडवा दे।

याद रखो दाढ़ी उमूरे फितरत में से है जैसा कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है और फितरत कभी भी तब्दीली कबूल नहीं करती। अल्लाह तआला कुरआन मजीद में फ़रमाते हैं–

"यह तो अल्लाह तआला की फ़ितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह की तखलीक़ को तब्दील करना नहीं है। यही मज़बूत दीन है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं।" अल्लाह हमें साबित क़दमी अता फ़रमाये।

Scanned by CamScanner

की तक़लीद है। क्योंकि मुसलमानों में यह आदत ईसाइयों की तरफ़ से दाखिल हो चुकी है।[1] इस काम में शरअी नसूस की साफ़-साफ़ मुखालिफ़त है क्योंकि सोने की अंगूठी के इस्तेमाल से मना किया गया है। इस सिलसिले में कुछ नसूस मुलाहेज़ा फ़रमाएं।

पहली दलील—आप सल्ल. ने सोने की अंगूठी (पहनने) से मना फ़रमाया है—

दूसरी दलील—हज़रत अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं नबी सल्ल. ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी आपने उसे खींचकर उतारा और फेंक दिया और फ़रमाया—"तुममें से कोई आग के एक अंगारे का इरादा करता है यहां तक कि उसे हाथ में पकड़ लेता है।" जब नबी सल्ल. चले गये तो उस आदमी को कहा गया अपनी अंगूठी उठा लो और उससे अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर लेना। उसने कहा—नहीं

---

1. यह ईसाइयों की बहुत क़दीम आदत है उनके यहाँ शादी के वक़्त दुल्हा सोने की अंगूठी दुल्हन के बाएं हाथ के अंगूठे के सिरे पर रखता है और कहता है "बाप के नाम से" फिर इसे शहादत के सिरे पर रखता और कहता "बेटे के नाम से" फिर दरमियानी उंगली के सिरे पर रखता और कहता रूहु-अल-कु-दस के नाम से और फिर वह आमीन कहता। इसके बाद साथ वाली उंगुली में इसे पहना देता (दुल्हन भी ऐसा करती) लन्दन से शाया होने वाले रिसाले (वूमैन) में 1960, के शुमारे में नजीला तालबोत से जब पूछा गया दुल्हा अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी क्यों पहनता है तो उसने जवाब दिया "उस उंगली में एक रग पायी जाती है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट दिल से होता है फिर वह कहती है इस काम की बुनियाद बहुत पुरानी है कि दुल्हा दुल्हन के बाएं हाथ के अंगूठे पर उंगली रखता और कहता "बाप के नाम से" फिर शहादत की उंगली के सिरे पर रखता और कहता "बेटे के नाम से" फिर दरमियानी उंगली के सिरे पर रखता और कहता रूहुल कुदस (जिबराईल) के नाम से और फिर (तीसरी) उंगली के सिरे पर रखता और वहीं रहने देता है और कहता। आमीन! इसी तरह दुल्हन भी ये काम अंजाम देती।

Scanned by CamScanner

अल्लाह की क़सम मैं उस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊँगा जिसको नबी सल्ल. ने फेंका हो।[1]

तीसरी दलील—अबी साअलबा खशनी रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने उसके हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आप सल्ल. उसे उस लकड़ी से (चोके) मारने लगे जो उसके पास थी। जब नबी सल्ल. किसी दूसरी तरफ़ मुहतवज्जह हुए तो उन्होंने उसे उतार कर फेंक दिया।

आप सल्ल. ने जब अंगूठी से खाली हाथ देखा तो फ़रमाया—

हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हें तकलीफ दी और चट्टी डाल दी है।[2]

चौथी दलील—हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से मरवी है कि नबी सल्ल. ने सहाबा में से किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आप सल्ल. ने उनसे मुँह फेर लिया। उन्होंने उसे उतार फेंका और लोहे की अंगूठी पहन ली। आप सल्ल. ने फ़रमाया—यह बहुत बुरी है, यह तो जहन्नम का लिबास है।" उन्होंने उसे भी फेंक दिया। उस सहाबी ने चांदी की अंगूठी पहन ली तो फिर आप सल्ल. खामोश रहे।[3]

---

1. यह हदीस खुली दलील है कि सोने की अंगूठी का इस्तेमाल हराम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ि. से मरफूअन मरवी है कि (आप सल्ल. ने सोने की अंगूठी पहनने वाले पर लानत फ़रमाई है) अलसक़ीकात 36/6 लेकिन इसकी सनद में सेफ़ बिन मिसकिन है जो ज़ईफ है (मगर इसके शवाहिद मौजूद हैं)।
2. सुनन नसाई 288/2, मुसनद अहमद 195/4, असबिहान लाबी नईम 400/1, इस सनद को रिवायत करने वाले रावी सिका। (मज़बूत) हैं अगरचे इस हदीस की सनद में नोमान का हिफ्ज़ कमज़ोर है। मगर इस रिवायत की सनद सही है।
3. मुसनद अहमद (668, 6518) अदबुल मुफरद लिल बुखारी (1021) यह हदीस मुसनद अहमद में एक और सनद से भी मरवी है (6977) मुसनद में ही उमर बिन खत्ताब से मरवी है सुनन के मुअल्लिफ़ीन ने एक और सनद से भी इसको

Scanned by CamScanner

पांचवी दलील—"जो शख़्स अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो वह ना ही रेशम पहने और ना ही सोना।[1]

छठी दलील—मेरी उम्मत में से जो शख़्स इस हाल में मरा कि वह सोना पहनता था तो अल्लाह तआला उस पर जन्नत का सोना हराम कर देंगे।[2]

39. औरतों के लिए (हलकादार) सोने का इस्तेमाल

खूब जान लो कि सोने की अंगूठी, कंगन, हार वग़ैरह औरतों के लिए ऐसे ही हराम हैं जैसे मर्दो के लिए। कुछ हदीसों में खासतौर पर

रिवायत किया है यह हदीस लोहे की अंगूठी के इस्तेमाल को भी हराम क़रार देती है। क्योंकि आप सल्ल. ने इसे सोने की अंगूठी से भी बुरा कहा है। कुछ उलमा ने इसका इस्तेमाल जायज़ क़रार दिया है उनको इस हदीस से ग़लतफ़हमी हुई है जब आप सल्ल. ने एक सहाबी को हक मेहर के लिए कहा था। "जाओ लोहे की अंगूठी ही तलाश कर लो" मैंने अरवाउल गलील में इस बात की वज़ाहत कर दी है। यह हदीस लोहे की अंगूठी के इस्तेमाल में दलील नहीं है यहीं बात हाफिज़ बिन हजर रह. ने भी ज़िक्र की है वे कहते हैं उस हदीस से कुछ लोगों ने लोहे की अंगूठी के इस्तेमाल को जायज़ कहा है जबकिं इसमें ऐसी कोई दलील नहीं है क्योंकि इससे मुराद तो उस अंगूठी की क़ीमत से फायदा उठाना है (फतहुल 266/10), बिल फर्ज़ उसको जवाज़ की दलील बनाया भी जाये तो (ये किस्सा) मना का हुक्म उतरने से पहले था। बाद में नहीं। कुछ लोगों ने अबू सईद खुदरी रज़ि. की रिवायत को दलील बनाया है। जिसमें यमन से आने वाले एक शख़्स का जिक्र है। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। उसने सलाम किया। आप सल्ल. ने जवाब नहीं दिया। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"इसके हाथ में तो आग का अंगारा है" उसने अर्ज़ किया आप किस चीज़ से अंगूठी बनाते है? आप सल्ल. ने फ़रमाया—"लोहे, चांदी और तांबे से" यह हदीस सख़्त ज़ईफ है। पता चला कि चांदी के अलावा कोई अंगूठी जायज़ नहीं है।

1. मुसनद अहमद 261/5, इसकी सनद मरफूअ और हसन है।
2. मुसनद अहमद 6556, 6947—इसकी सनद सही है।

Scanned by CamScanner

औरतों का जिक्र है। कुछ दलीलें मुतलक़ हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। पिछली हदीस भी इसी राय पर दलील है इसके अलावा हदीसें मुलाहेज़ा हों।

पहली दलील—"जिसको यह पसंद हो कि वह अपने करीबी (बीवी) को आग की अंगूठी (या बाली) पहनादे तो वह उसे सोने की अंगूठी या (बाली) पहना दे, और जिसको यह पसंद हो कि वह अपने करीबी को आग का हार पहनादे तो वह उसे सोने का हार पहना दे, और जिसको यह पसंद हो कि वह अपने करीबी को आग का कंगन पहना दे तो वह उसे सोने का कंगन पहना दे। तुम्हारे लिए चांदी लाजमी है उसके साथ दिल बहलाओं।"

"दूसरी दलील—सौबान रज़ि. ब्यान करते हैं—

बिन्त हबीरा नबी सल्ल. की खिदमत में हाज़िर हुयीं उनके हाथ में सोने की बड़ी अंगूठी थी। नबी सल्ल. उनके हाथ पर उस छड़ी से मार रहे थे जो उनके हाथ में थी और साथ-साथ उसको यह कह रहे थे—"क्या तुझे यह पसंद है कि अल्लाह तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहना दे। वे फ़ातिमा रज़ि. के पास आयीं और उनसे शिकायत करने लगी। सौबान कहते हैं इतने में नबी सल्ल. फातिमा रज़ि. के पास तशरीफ लाये। मैं भी उनके साथ था, उन्होंने अपने गले से सोने का हार उतारा और कहने लगीं—"यह मुझे अबु हसन ने तोहफ़ा दिया है (यानि उनके खाविन्द रज़ि. ने) नबी सल्ल. ने फ़रमाया "ऐ फ़ातिमा क्या तुझे यह बात पसंद है कि लोग कहें फ़ातिमा के हाथ में आग का हार है?" फिर आप सल्ल. ने उस को ज़ोर देकर कहा और आप घर से निकल गये और वहाँ नहीं बैठे। फ़ातिमा रज़ि. ने वह हार बेचकर लौन्डी खरीदी और उसे आज़ाद कर दिया। इस बात का पता जब

Scanned by CamScanner

दूसरी हदीस—आप सल्ल. ने आखिरी खुत्बे में फ़रमाया था, "खबरदार ऐ लोगों औरतों के साथ भलाई का मामला करो। बेशक वे तुम्हारे पास अदन (अमानत, मददगार, बन्दियां) हैं, तुम इससे ज्यादा उनके मालिक नहीं हो मगर यह कि वे खुली फ़हाशी करें। अगर वे ऐसा करें तो उनको उनके बिस्तरों में छोड़ दो और उनको हल्की मार मारो अगर तुम्हारी फ़रमांबरदारी करें तो फिर उन पर कोई और रास्ता तलाश न करो। खबरदार तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा हक है तुम्हारा औरतों पर हक यह है कि वे उसको घर में दाखिल न होने दें जिसको तुम पसंद नहीं करते हो और तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे अलावा और किसी को न आने दें। और तुम्हारे ऊपर उनका हक यह है कि तुम उनके खाने-पीने और लिबास में उनके साथ अच्छा सुलूक करो।"

तीसरी हदीस—आप सल्ल. ने फ़रमाया—"कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन, औरत (बीवी) से बैर ना रखे अगर उसकी कोई बात ना पसंद होगी तो दूसरी पसंद आ जाएगी।"

"चौथी हदीस—आप सल्ल. ने फ़रमाया—"तमाम मोमिनों में कामिल ईमान वाला वह है जिसका अख़्लाक़ अच्छा है और उनमें से बेहतरीन वह है जो अपनी औरत के लिए बेहतरीन है।''

पाँचवी हदीस—हज़रत आयशा रज़ि. कहती हैं—

"मुझे नबी सल्ल. ने बुलाया जबकि हबशी लोग ईद के दिन मस्जिद में अपने असलह के साथ खेल रहे थे। आप सल्ल. ने मुझे फ़रमाया—''ऐ हमीरा (गोरे रंग वाली) क्या तू (हबशी) लोगों (के खेल) को देखना पसंद करेगी?" मैंने कहाँ—हाँ।" आप सल्ल. ने मुझे अपने पीछे खड़ा करके अपना कंधा नीचे झुका दिया ताकि मैं उन लोगों को देख सकूँ। मैंने अपनी ठोड़ी आप के कंधे पर और अपना चेहरा आपके रुख़सार मुबारक से लगाते हुए आपके कंधे के ऊपर से देखना शुरू कर दिया।

Scanned by CamScanner

एक रिवायत में है कि मैंने आपके कान और कंधे के ऊपर से देखना शुरू किया। आप सल्ल. कह रहे थे–"ऐ बनी अरमदह। एक दूसरे को पकड़ों।" फिर आप सल्ल. कहने लगे–"ऐ आयशा अभी तेरा दिल नहीं भरा।" मैं कहती थी नहीं ताकि मैं आप सल्ल. के (दिल में) अपने मक़ाम का अन्दाज़ा कर सकूँ यहां तक कि मेरा दिल भर गया।

वे कहती है। "वे लोग उस दिन कह रहे थे अबुल क़ासिम मुहम्मद बहुत अच्छे हैं।"

एक रिवायत में है–

वे कहती हैं–"जब मेरा दिल भर गया। आप सल्ल. ने पूछा क्या तेरे लिए काफी है, मैंने कहा हाँ आप सल्ल. ने फ़रमाया–"फिर चली जाओं।"

एक रिवायत में है–

मैंने आप सल्ल. से कहा (जल्दी ना कीजिए)।आप मेरी खातिर खड़े रहे। फिर कहा "क्या तुझे काफी है?" मैंने कहा–जल्दी न कीजिए। मैंने देखा कि आप थकावट की वजह से अपना वजन दोनों कदमों पर बारी-बारी डाल रहे थे। वे कहती हैं मुझे उन लोगों का (का खेल) देखना पसंद तो नहीं था मगर मैं चाहती थी कि मेरे यहाँ आप सल्ल. का मरतबा और नबी सल्ल. के यहाँ मेरा मकाम आपकी दीगर बीवियों पर वाज़ेह हो जाये। हांलाकि मैं कम उम्र थी। ऐ लोगों एक कम उम्र लड़की की कदर का अंदाजा करो वह जो कि खेल तमाशे को पसंद करती है।

वे कहती हैं–उमर रज़ि. आये तो बच्चे और लोग उस खेल से इधर-उधर हट गये। नबी सल्ल. ने फ़रमाया–"मैं जिन्नों और इंसानों में से शयातीन को देखता हूँ कि वे उमर रज़ि. को देखकर भागते हैं।" आयशा रज़ि. करती हैं नबी सल्ल. ने उस दिन फ़रमाया–"ताकि

Scanned by CamScanner

यहूदियों को पता चल जाये कि हमारे दिल में वुसअत है।"[1]

छठी हदीस—हज़रत आयशा रज़ि से रिवायत है—

"जब नबी सल्ल. गज़वा तबूक या खैबर से तशरीफ लाये आपने एक ताकचे के आगे पर्दा लगा हुआ देखा। इसी दौरान हवा चली तो पर्दे का एक कोना आयशा रज़ि के खिलौनों (गुड़ियो) से हट गया। आप सल्ल. ने पूछा—"ऐ आयशा यह क्या है?" मैंने कहा—"मेरी (गुड़िया) हैं। आप सल्ल. ने उनके दरमियान एक घोड़ा देखा जिसके पर कपड़े के मुख्तलिफ् टुकड़ों से बने हुए थे। आप सल्ल. ने पूछा—" यह उनके दरमियान में क्या है?" मैंने अर्ज़ किया—घोड़ा।" आप सल्ल. ने पूछा—"घोड़े के ऊपर क्या बना हुआ है?" उन्होंने अर्ज़ किया—"यह उसके दो पर हैं।" आप सल्ल. ने फ़रमाया "घोड़े के पर?" वे अर्ज़ करने लगीं—"क्या आपने सुलेमान अलै० के घोड़े के बारे में नहीं सुन रखा जिसके पर थे?" वे कहती हैं आप सल्ल. हँस पड़े यहाँ तक कि आपके नुकीले दाँत भी दिखे।"[2]

सातवीं हदीस—हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं—

"वे एक मरतबा सफर में आपके साथ थी अभी वे कम उम्र थी और उनका बदन हल्का सा था और जिस्म पर गोश्त ज्यादा नहीं था। आप सल्ल. ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम लोग आगे चले जाओ। सब लोग आगे चले गये। आप सल्ल. ने फ़रमाया (ऐ आयशा) "आओ मैं तुम्हारे साथ दौड़ने का मुकाबला करूँ।" मैंने उन के साथ मुकाबला किया तो मैं सबक़त ले गई। काफी दिन गुजरने के बाद एक बार फिर

1. सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुसनद अहमद, अलमुश्किल लिल तहावी 116/1,मुसनद अबु बाअली 1/229
2. सुनन अबू दाऊद 305/2, नसाई ने इसे अशरतुन्निसा में रिवायत किया है। 1/75, इसकी सनद सही है।

Scanned by CamScanner

में आपके साथ सफ़र में थी। आप सल्ल. ने अपने असहाब रज़ि. को हुक्म दिया" तुम लोग आगे चले जाओ" फिर मुझे कहा "आओ मैं तुम्हारे साथ दौड़ने का मुकाबला करूँ।" मुझे पहला वाकिआ क़तई याद नहीं था। उस समय मेरा जिस्म गोशत होने की वजह से भारी हो गया था। मैंने अर्ज़ किया–"ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. मैं इस हाल में आपके साथ कैसे मुक़ाबला कर सकती हूँ?" आप सल्ल. ने फ़रमाया (मुकाबला) करना पड़ेगा।" मैंने नबी सल्ल. से दौड़ लगाई तो आप सबक़त ले गये। इसके बाद आप हँसने लगे और कहा यह उस (दिन) का बदला है।"[1]

आठवीं हदीस–हज़रत आयशा रज़ि. से रिवायत है–

"नबी सल्ल. के पास बर्तन लाया जाता तो मैं उससे पी लेती थी जबकि मैं माहवारी के अय्याम में होती। फिर (नबी सल्ल.) बर्तन पकड़ते और अपने होंठ वहाँ रखते जहाँ से मैंने पिया होता था। कभी-कभी आपके पास खजूर का बर्तन आता। मैं उससे खा लेती थी फिर आप भी वहीं अपने लब मुबारक रखते जहाँ मैंने रखे होते थे।"[2]

नवीं हदीस–जाविर बिन अब्दुल्लाह रज़ि और जाविर बिन उमैर रज़ि. ब्यान करते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया–

"हर वह चीज़ जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना हो वह बेकार और खेल तमाशा है। मगर चार चीज़ें–1. आदमी का अपनी औरत से खेलना (हँसी मज़ाक़ करना)। 2. मालिक का घोड़े को सुधारना। 3. दो अहदाफ के दरमियान चलना (निशानेबाज़ी सीखना)। 4. और

---

1. मुसनद हमीदी 261, अबू दाऊद 304/1, इब्ने माजा 2610/1, नसाई ने इसे अशरतुन्निसा में जिक्र किया है।
2. सही मुस्लिम, 169, 168, मुसनद अहमद 62/6

Scanned by CamScanner

आदमी का तैराकी सीखना।[1]

41. मियां बीवी की खिदमत में

इस किताब को खत्म करते हुए मैं मियां और बीवी की खिदमत में कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ।

1.—उनको चाहिए कि वे अल्लाह तआला की पैरवी करें। एक दूसरे को इसकी नसीहत करें और किताब व सुन्नत के अहकाम की पैरवी करें। अंधी तक़लीद, लोगों की आदात या अपने मज़हब की खातिर किताब व सुन्नत पर किसी चीज़ को तरजीह न दें। अल्लाह तआला ने फ़रमाया –

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۭ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝﴾

"किसी मोमिन मर्द या औरत के लिए जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दें तो इस माभले में कोई इख्तियार नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करे तो वह गुमराह हो गया, खुले गुमराह होना।"

2.—"वे दोनों एक दूसरे के हकूक और फ़राइज़ का जो उन पर अल्लाह तआला की तरफ़ से लागू किए गए एहतेमाम करें।"

मिसाल के तौर पर बीवी यह मुतालबा न करे कि उसे खाविन्द के बराबर हकूक दिए जाएं। अल्लाह तआला ने मर्द को जो औरत पर बरतरी दी है उसकी बुनियाद पर वह उस पर जुल्म न करे और न ही उसे नाजायज़ मारे। अल्लाह तआला के फ़रमान का तर्जुमा

---

1. 33/अल अहज़ाब, 36

Scanned by CamScanner

मुलाहेज़ा हो।

"औरतों के भी वैसे ही हक़ हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं अच्छाई के साथ हाँ मर्दों की औरतों पर फ़ज़ीलत है और अल्लाह तआला गालिब है हिकमत वाला है।" (सूरह बक़रा-228)

और फ़रमाया—

"मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह तआला ने एक दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किये हैं।

पस नेक फ़रमांबरदार औरतें खाविन्द की गैर मौजूदगी में बहिफाज़त अपनी देखभाल करने वालियां हैं और जिन औरतों की नाफ़रमानी और बददिमाग़ी का तुम्हें खौफ़ हो उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की सज़ा दो, फिर अगर वे ताबेदारी करें तो उन पर कोई रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह तआला बड़ी बुलन्दी वाला है।" (सूरह निसा-34)

मुआवियह बिन हैदा रज़ि. ने नबी करीम सल्ल. से अर्ज़ किया—

"ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल. हममें से किसी एक पर उसकी बीवी का क्या हक है? आप सल्ल. ने फ़रमाया—"तू खुद खाये तो उसे भी खिला और जब तू खुद पहने तो उसे भी पहना। उसके चेहरे को बुरा भला ना कह और उसको मत मार, और उसको घर में (सजा के लिए) अकेला छोड़ दे। तुम लोग (बीवी को मारना) कैसे पसंद कर लेते हो। जबकि तुम एक दूसरे से ताल्लुक रखते हो (एक जान और दो जिस्म हो) मगर वह मार जो उनपर जायज़ है।"

1. अबुदाऊद, 334/1, हाकिम 188, 18/2, 3/5, यह हदीस सही है।

Scanned by CamScanner

और नबी करी सल्ल. ने फ़रमाया—

"इंसाफ़ करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह तआला की दायीं तरफ नूर के मिम्बरों पर बैठे होंगे और अल्लाह तआला के दोनों हाथ ही दायें हैं ये वे लोग हैं जो अपने मातहतों, अपने घरवालों और उनमें इंसाफ़ करते थे जिनके वे ज़िम्मेदार हैं।"[1]

जब वे दोनों इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और उसपर अमल करेंगे तो अल्लाह तआला उनकी ज़िन्दगी बेहतरीन बना देंगे। वे खुशबख़्ती और हम आहंगी के साथ ज़िन्दगी गुजारेंगे। अल्लाह तआला के फ़रमान का तर्जुमा मुलाहेज़ा हो—

"जो शख़्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत, लेकिन ईमान पर हो तो हम उसे यक़ीनन निहायत बेहतर ज़िन्दगी अता फ़रमायेंगे, और उनके नेक आमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर-ज़रूर देंगे।"

(सूरह नहल-97)

3.—औरत के लिए खसूसी तौर पर वाजिब है कि वह खाविन्द के हुक्म को हर तरह से पूरा करने की कोशिश करे इसकी वजह है कि अल्लाह तआला ने मर्द को औरत पर फ़ज़ीलत दी है।

जैसा कि पिछली आयात में यह बात गुज़र चुकी है। 1. "मर्द औरत पर हाकिम है,"[2] 2. "मर्दो को औरतों पर फ़ज़ीलत है।"[3]

बेशुमार अहादीस से भी इस राय की ताईद होती है उन हदीसों में खाविन्द की फ़रमांबरदारी और नाफ़रमानी हर दो हालतों में औरत के हालात तफ़सील के साथ ब्यान कर दिए गए हैं। हम जरूरी समझते है कि उनमें से कुछ का तज़किरा कर दें। शायद कि मौजूदा दौर की औरतें उससे नसीहत हासिल कर सकें।

---

1. सही मुस्लिम 7/6, अज्जहदालाबिनमुबारक 2/120, तौहीद,
2. सूरह निसा—34 राज़ी　　3. सूरह बकरा—228

"नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुँचाती है।"

पहली हदीस—"किसी औरत के लिए जायज़ नहीं रोज़ा (नफ़ली) रखे और उसका खाविन्द मौजूद हो, मगर यह कि वह उससे इज़ाजत हासिल करे। और ना ही वह किसी को खाविन्द की इजाज़त के बग़ैर घर में आने दे।"[1]

दूसरी हदीस—"जब खाविन्द बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाये और वह आने से इंकार कर दे और खाविन्द नाराज़गी की हालत में रात बसर करे तो सुबह तक फरिश्तें लानत भेजते रहते हैं।"

एक और रिवायत में "यहां तक कि वह लौट आये" और तीसरी रिवायत में है कि "यहाँ तक कि खाविन्द राज़ी हो जाये।"[2]

तीसरी हदीस—"उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद सल्ल. की जान है औरत उस वक़्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जबतक कि वह अपने खाविन्द का हक़ अदा न कर ले और यदि वह उसको तलब करे। और ऊँट की पालान पर बैठी हो फिर भी अपने आप को उस (खाविन्द) से न रोके।"[3]

चौथी हदीस—"जब भी दुनिया में औरत अपने खाविन्द को तकलीफ देती है तो उसकी जन्नती बीवियों में से एक हूर कहती है "अल्लाह तुझे बरबाद करे उसको तकलीफ न दे। यह तो तेरे पास मेहमान है अनक़रीब तुझे छोड़कर हमारे पास आ जायेगा।"[4]

पांचवी हदीस—हसीन बिन मोहसिन कहते हैं मुझे मेरी चाची ने बताया वे कहती हैं—"मैं किसी ज़रूरत की बिना पर नबी सल्ल. की

---

3. यह हदीस सही है इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है 570/1, मुसनद अहमद 381/4, सही इब्ने हिबान, तरगीब लिल हाकिम 760/3, उस हदीस को दीगर अहादीस से भी तक़वियत मिलती है।
4. तिर्मिजी 208/2, इब्ने माजा, 621/1, मुसनद हैसम बिन कलीब 167/5।

Scanned by CamScanner

खिदमत में हाज़िर हुई। आप सल्ल. ने फ़रमाया "ऐ औरत क्या तू शादीशुदा है।" मैंने अर्ज़ किया जी हाँ, आप सल्ल. ने फ़रमाया "तेरा उस (खाविन्द) के साथ सुलूक कैसा है?" मैंने कहा—मैंने कभी उसके (हक) में कोताही नहीं की है, मगर यह कि मैं आजिज़ हो जाऊँ। आप सल्ल. ने फ़रमाया "तू अपना मक़ाम (खाविन्द के यहाँ) देखती रह कि क्या है? वही तेरी जन्नत और वही तेरी आग है।"[1]

छठी हदीस—"जब औरत पन्ज़गाना नमाज़ पढ़े, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे अपने खाविन्द की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाये।"[2]

औरत पर खाविन्द की खिदमत वाजिब है

मैं कहता हूँ कि पिछले अनुमान के तहत मज़कूरा हदीस में यह बात ज़ाहिर है कि बीवी पर खाविन्द की इताअत और हर मुमकिन उसकी खिदमत करना वाजिब है। इस बात में कोई शक नहीं कि सबसे पहले घर के अन्दर उसकी खिदमत और उसकी औलाद की तरबियत वग़ैरह शामिल है। इस मसले में कुछ उलमा ने इख़्तिलाफ़ भी किया है। इब्ने तैमिया रह. फ़रमाते हैं—

"उलमा ने इस बात में इख़्तिलाफ़ किया है कि क्या औरत पर खाविन्द की खिदमत वाजिब है? मसलन घर के क़ालीन, फ़र्श वग़ैरह की सफ़ाई। उसे खाने और पीने की चीज़ें पकड़ाना उसके लिए और

---

1. इब्ने अबी शीबा 1/47/7, इब्ने साअद 459/8, इमाम नसाई ने इसे अशरतुन्निसा में रिवायत किया है, मुसनद अहमद 341/4, तबरानी ने औसत में से नक्ल किया है 117/1, सुन्नी अलबकी 291/7।
2. यह हदीस हसन और सही है औसत 169/2, अतग़ीव, 73/3, मुसनद अहमद 1661, अल हुलिया, 307/6।

Scanned by CamScanner

उसके गुलामों के लिए खाना, जानवरों, के लिए चारा वग़ैरह का एहतेमाम और गन्दुम वग़ैरह से आटा बनाना।"

कुछ उलमा ने कहा—उस पर खिदमत वाजिब नहीं है यह क़ौल इन्तिहाई कमज़ोर है कुछ इस क़ौल की तरह है कि उसपर खाविन्द के साथ ज़िन्दगी गुजारना और उसके साथ जिन्सी ताल्लुक क़ायम करना वाजिब नहीं है क्योंकि यह उसके साथ बेहतरीन ज़िन्दगी नहीं है। अगर सफर या घर का साथी दोस्त ही मसलहत का ख्याल न रखे तो यह उसके साथ अच्छी ज़िन्दगी गुजारना नहीं है।

कुछ उल्मा ने कहा—और यही क़ौल सही है कि "उसपर खाविन्द की खिदमत वाजिब है क्योंकि कुरआन मजीद में खाविन्द को सरदार कहा गया है।

और वह (बीवी) सुन्नत रसूल सल्ल. की बुनियाद पर खाविन्द के यहाँ बांदी की हैसियत से है (जैसा कि पहले गुजर चुका है) खिदमत गुजार और गुलाम का काम खिदमत करना है, यह बात किसी से ढकी-छुपी नहीं।

कुछ उलमा ने कहा—उस पर हल्की-फुल्की खिदमत वाजिब है। कुछ ने कहा यह खिदमत के तहत्त जो कुछ भी आता है वह उस पर वाजिब है और यही बात हक़ है।

यह खिदमत हालात के एतेबार से होगी। मसलन जंगली लोगों की खिदमत बस्ती में रहने वालों की तरह नहीं है। ताक़त वाली खिदमत कमज़ोर की तरह नहीं है।

मैं कहता हूँ कि इन्शा अल्लाह सही बात यह है कि औरत पर घरेलू खिदमत वाजिब है यही क़ौल इमाम मालिक का और असबग़ रह. का है। हनाबला में से जोज़ जानी का यही ख्याल है सल्फ सालिहीन और उनके बाद आने वाले जमहूर उलमा भी इस बात के क़ाइल हैं

Scanned by CamScanner

जिसने यह कहा कि औरत पर खाविन्द की खिदमत वाजिब नहीं है उसके पास कोई काइल दलील नहीं है।

जो लोग यह कहते हैं "निकाह औरत से फ़ायदा उठाने का सबब है खिदमत का नहीं।"

उनकी बात ग़लत है क्योंकि औरत भी खाविन्द से इसी तरह फ़ायदा हासिल करती है जिस तरह वह करता है। इस लिहाज़ से तो वे दोनों बराबर हैं इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह तआला ने उसके अलावा भी खाविन्द पर बीवी के लिए एक चीज़ वाजिब क़रार दी है और वह है उनका खाना-पीना, और नान व नुफ्का वग़ैरह। इंसाफ़ का तकाज़ा यह है कि खाविन्द के लिए इसके बिल मुकाबिल कोई फ़ालतू चीज़ होनी चाहिए थी ग़ौर करें तो वह खिदमत के अलावा कुछ नहीं। उस पर मज़ीद यह है कि वह उस पर नसे कुरआनी की रोशनी में हाकिम है। अगर औरत खिदमत की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगी तो मजबूरन खाविन्द को घरेलू कामों में उसकी खिदमत करना होगी इस सूरतेहाल में वह हाकिम होगी और यह कुरआन मजीद की आयत के उलट मामला होगा। इससे साबित हुआ कि खिदमत वाजिब है ताकि (हुक्म इलाही) की मुराद पूरी हो।

यह भी है कि मर्द का खिदमत की ज़िम्मेदारी संभाल लेना दो मुतज़ाद कामों को जन्म देता है। वह घरेलू कामों में मशगूल होगा और हुसूले रिज़्क और वसाइल तलाश करने के लिए फ़ारिग़ नहीं होगा। इस तरह दीगर कई मसलेहतें खत्म हो जाएंगी।

और यह कि औरत घर में तमाम काम-काज से कट कर बैठ जाएगी। जिसका एहतेमाम उसपर वाजिब था इससे मियां-बीवी के हकूक व फ़राइज़ में ऐसा फ़साद और बिगाड़ पैदा होगा जो शरीअत के अता कर दा हकूक में खलल का बाइस होगा। इस तरह तो औरत

Scanned by CamScanner

को मर्द पर एक दर्जा फ़जीलत हासिल हो जाएगी। इसलिए नबी सल्ल. ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ि. की शिकायत का इज़ाला नहीं किया था जब उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया।

"वे नबी करीम सल्ल. के पास आयीं और चक्की चलाने की वजह से हाथों पर पड़ जाने वाले छालों की शिकायत की क्योंकि उनको पता चला था कि कुछ गुलाम आप सल्ल. के पास आये हैं। उन्होंने आप सल्ल. को घर में न पाया तो उस बात का तज़कीरा आयशा रज़ि. से किया। जब नबी सल्ल. आये तो आयशा रज़ि. ने आप सल्ल. को खबर दी। हज़रत अली रज़ि. कहते हैं आप सल्ल. हमारे पास तशरीफ लाये। हम अपने बिस्तरों पर दराज़ हो चुके थे। हम उठने लगे तो आप सल्ल. ने फ़रमाया अपनी अपनी जगह पर ही रहो। आप आये और मेरे और (फ़ातिमा रज़ि.) के दरमियान बैठ गये यहां तक कि मैंने आपके पाँव की ठंडक अपने पेट पर महसूस की। आप सल्ल. ने फ़रमाया—"क्या तुमको उस चीज़ से बेहतर की खबर न दूँ जिसका तुमने सवाल किया है? जब तुम दोनों अपने सोने की जगह पर दराज़ हो या तुम अपने बिस्तरों की तरफ़ आओ तो तैतीस (तैतीस) मरतबा सुब्हानल्लाह, तैंतीस मरतबा अलहमदुलिल्लाह, चौंतीस दफा अल्लाहु अक्बर कहो। यह तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है" हज़रत अली रज़ि. कहते हैं इसके बाद मैंने यह अमल भी नहीं छोड़ा। उनसे पूछा गया सफ़ीन की रात में भी? आप रज़ि. ने कहा सफ़ीन की रात में भी।"

इस हदीस पर ग़ौर करें कि आपने हज़रत अली रज़ि. को यह नहीं कहा कि (फ़ातिमा) पर खिदमत वाजिब नहीं बल्कि तुझ पर है। यह बात हक़ीक़त है कि आप सल्ल. शरअी हुक्म सुनाते हुए किसी की परवाह नहीं करते थे जिस तरह कि इब्ने कय्यिम रह. ने वाज़ेह किया है जो आदमी इस मसले में मज़ीद तफसील का तलबगार है वह इब्ने

Scanned by CamScanner

क़य्यिम की किताब ज़ादुलमआद की जिल्द नं. 4 पृ. नं. 48, 46 का मुताअला करे।

पिछली बहस कि "औरत पर मर्द की खिदमत वाजिब है" इससे यह बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि खाविन्द इस खिदमत में शरीक नहीं हो सकता अगर उसे फ़रागत और फुरसत मिले तो अपनी बीवी की मदद करना मुसतहब है इसी लिए तो सय्यदा आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं

"आप सल्ल. भी अपने घर वालों का हाथ बटाते थे उनकी खिदमत करते थे। जब नमाज़ का समय होता तो आप नमाज़ के लिए निकल जाते थे।"

नबी सल्ल. भी एक बशर (इंसान) थे। आप सल्ल. अपने कपड़ों को पेबन्द लगा लेते।

बकरी का दूध दूह लेते और अपनी मदद खुद कर लेते।

हम अपनी किताब को इन्हीं कलिमात पर खत्म करते हैं।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ.

Scanned by CamScanner